खण्ड-318, अंक-5
शुक्रवार, 10 श्रावण, शक संवत् 1897
(1 अगस्त, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 318 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	३९१–३९५
उत्तर प्रदेश प्लैटों का स्वामित्व विधेयक, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	३९५
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७५, (सदन के पटल पर रखा गया)	३९५
उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	३९५
सदस्यों के दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचनाएं	३९६
विभिन्न समितियों तथा स्थायी समितियों में रिक्त स्थानों पर सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३९६–३९७
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड में एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३९७
गया प्रसाद लाइफ सेविंग फण्ड, कानपुर की समिति में एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३९७
षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	३९८
सदन के आगामी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी	३९८–३९९
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५ (पारित) ..	३९९–४१७
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७५ (पारित) ..	४१८–४२३
आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७५ (पारित) ..	४२३–४२९
उत्तर प्रदेश फंडामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५ (पारित)	४२९–४३६
प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा (समाप्त)	४३६–४५३
नत्थियां	४५४–४६८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १ अगस्त, १९७५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३१५

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर,' श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश गुप्त, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेडू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गिरजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री

गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री

बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनी राम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नु लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फर नगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्तयार खां, श्री

मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद असरार अहमद श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री

राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव; चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बाबू, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती

सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेम राज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—स्वायत्त शासन मंत्री, श्री जगदीश शरण अग्रवाल भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व विधेयक, १९७५ (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ४५४–४६२ पर)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७५ (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४६३–४६६ पर)

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९७५ (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४६७–४६८ पर)

सदस्यों के दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को सूचित करना है कि :—

(१) भारतीय लोक दल के सदस्य, श्री रामस्वरूप भारतीय (जिला प्रतापगढ़) ने अपने दिनांक २८–७–१९७५ के पत्र द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने भारतीय लोक दल की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है और वे अब विधान सभा में स्वतन्त्र सदस्य के रूप में कार्य करेंगे ।

(२) जनसंघ दल के सदस्य, श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा) ने अपने दिनांक २८–७–१९७५ के पत्र द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने जनसंघ से त्याग-पत्र दे दिया है।

विभिन्न समितियों तथा स्थायी समितियों में रिक्त स्थानों पर सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन १९७४–७५ के लिये गठित—

(१) सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति में श्री वीरेन्द्र वर्मा तथा श्री प्रभुनारायण सिंह के रिक्त स्थानों पर क्रमशः श्री त्रिवेनी (आजमगढ़) तथा श्री निर्भय नरायन सिंह (बलिया) को,

(२) अनुसूचित जातियों, अनसूचित जन जातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्रीमती मोहसिना किदवाई के रिक्त स्थान पर श्री आबिद अली (सीतापुर) को,

(३) शरणार्थी स्थायी समिति में कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा तथा डाक्टर चरण सिंह के रिक्त स्थानों पर क्रमशः श्री जमुना प्रसाद बोस (बांदा) तथा काजी जलील अब्बासी (बस्ती) को,

(४) विद्युत् स्थायी समिति में डाक्टर चरण सिंह के रिक्त स्थान पर श्री रामदुलारे (रायबरेली) को,

(५) श्रम स्थायी समिति में श्री जटाधर बाजपेयी के रिक्त स्थान पर श्री रघुवीर राम (गाजीपुर) को,

(६) आबकारी स्थायी समिति में श्री नारायण सिंह के रिक्त स्थान पर श्री गंगा सिंह यादव (एटा) को,

(७) चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति में डाक्टर चरण सिंह के रिक्त स्थान पर श्री हाजी मोहम्मद हयात (मुरादाबाद) को,

(८) पुलिस स्थायी समिति में श्री नारायण सिंह के रिक्त स्थान पर श्री रमाकान्त द्विवेदी (फतेहपुर) को,

(९) उद्योग स्थायी समिति में श्री जटाधर बाजपेई के रिक्त स्थान पर श्री रघुवीर सिंह (मैनपुरी) को,

निर्वाचित करता है तथा यह निश्चय करता कि ये सदस्य सम्बन्धित समिति में १९७५–७६ के लिये भी निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन १९७४–७५ के लिये गठित:—

(१) सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति में श्री वीरेन्द्र वर्मा तथा श्री प्रभुनारायण सिंह के रिक्त स्थानों पर क्रमशः श्री त्रिवेनी (आजमगढ़) तथा श्री निर्भय नरायन सिंह (बलिया) को,

(२) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्रीमती मोहसिना किदवाई के रिक्त स्थान पर श्री आबिद अली (सीतापुर) को,

(३) शरणार्थी स्थायी समिति में कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा तथा डाक्टर चरण सिंह के रिक्त स्थानों पर क्रमशः श्री जमुना प्रसाद बोस (बांदा) तथा काजी जलील अब्बासी (बस्ती) को,

(४) विद्युत् स्थायी समिति में डाक्टर चरण सिंह के रिक्त स्थान पर श्री राम दुलारे (रायबरेली) को,

(५) श्रम स्थायी समिति में श्री जटाधर बाजपेई के रिक्त स्थान पर श्री रघुबीर राम (गाजीपुर) को,

(६) आबकारी स्थायी समिति में श्री नारायण सिंह के रिक्त स्थान पर श्री गंगा सिंह यादव (एटा) को,

(७) चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति में डाक्टर चरण सिंह के रिक्त स्थान पर श्री हाजी मोहम्मद हयात (मुरादाबाद) को,

(८) पुलिस स्थायी समिति में श्री नारायण सिंह के रिक्त स्थान पर श्री रमाकान्त द्विवेदी (फतेहपुर) को,

(९) उद्योग स्थायी समिति में श्री जटाधर बाजपेई के रिक्त स्थान पर श्री रघुबीर सिंह (मैनपुरी) को,

निर्वाचित करता है तथा यह निश्चय करता है कि ये सदस्य सम्बन्धित समिति में १९७५-७६ के लिये भी निर्वाचित समझे जाएंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड में एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड में एक रिक्त स्थान पर श्री श्याम लाल रावत (सीतापुर) को निर्वाचित करता है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड में एक रिक्त स्थान पर श्री श्याम लाल रावत (सीतापुर) को निर्वाचित करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

गया प्रसाद लाइफ सेविंग फण्ड, कानपुर की समिति में एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड, कानपुर की समिति में, श्री राम करन के रिक्त स्थान पर श्री जगदीश अवस्थी (कानपुर) को निर्वाचित करता है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड, कानपुर की समिति में, श्री राम करन के रिक्त स्थान पर श्री जगदीश अवस्थी (कानपुर) को निर्वाचित करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन†

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

मैं सभापति, विशेषाधिकार समिति, सर्वश्री रामकुमार दीक्षित एवं मोतीलाल देहलवी की गिरफ्तारी की सूचना सदन में न दिये जाने के सम्बन्ध में सर्वश्री कल्याणसिंह, राम कुमार दीक्षित एवं मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा द्वारा कानपुर के जिलाधीश, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गिरफ्तार करने वाले दरोगा तथा सजा देने वाले न्यायाधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार को अवहेलना के प्रश्न पर, जो ३ मई, १९७५ को विशेषाधिकार समिति को इस जांच के लिये निर्दिष्ट किया गया था कि प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है या नहीं, समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

२—इस प्रश्न पर प्रतिवेदन किये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा ३१ जनवरी, १९७४ तक का समय बढ़ाया गया था। किन्तु इस प्रश्न पर पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति अपना विचार समाप्त कर कोई अवाप्ति या प्रतिवेदन सदन या माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत नहीं कर सकी और पंचम विधान सभा का विघटन हो गया। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २२० के अनुसार कोई समिति जो सदन के विघटन से पूर्व अपना कार्य समाप्त करने में असमर्थ हो, सदन को प्रतिवेदन देगी कि समिति अपना कार्य समाप्त करने में समर्थ नहीं हो सकी है। अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण संख्या १०२ के अनुसार यदि विशेषाधिकार समिति किसी भी प्रतिवेदन के प्रारूप पर अथवा ऐसे प्रतिवेदन के प्रारूप पर जो अन्ततः तैयार किया जाय विचार करने में विफल रहे तो सभापति इस विषय की सूचना माननीय अध्यक्ष को देंगे, जो ऐसी परिस्थिति में जैसा उचित समझेंगे आदेश देंगे। उपर्युक्त नियम एवं निदेश के अनुसार माननीय उपाध्यक्ष ने १ मार्च, १९७४ को माननीय अध्यक्ष को यह प्रतिवेदन किया कि इस प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति को अपना प्रतिवेदन अन्तिम रूप से तैयार करना सम्भव नहीं है, अतः इसे नयी विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाय। माननीय अध्यक्ष ने तदनुसार इस प्रश्न को वर्तमान विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया। सदन ने १९ फरवरी, १९७५ को एक संकल्प पारित करके इस प्रश्न पर प्रतिवेदन देने के लिये ६ मास का समय और बढ़ा दिया।

श्री अध्यक्ष—

पूरा पढ़ा समझा जाय। आपने रख दिया। यह पढ़ा समझा गया। प्रतिवेदन सदन के पटल पर रख दिया गया।

सदन के आगामी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष—

माननीय भीखा लाल जी का जो संशोधन था.....

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

वह वापस ले रहे हैं।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)

अध्यक्ष जी, कार्यक्रम मालूम हो जाता तब इसको लेते।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कल शनिश्चर और परसों इतवार की छूट्टी होगी। सोमवार से कार्य-क्रम होगा। पूरे दिन के लिये कार्य-क्रम है। अपर हाउस से बिल पास हो रहे हैं, वे आएंगे। हमारे पास कुछ

---

†छापा नहीं गया।

बिजनेस बाकी है, वह रहेगा। हमारा इरादा यह है कि इस सदन में एक बार हमारे उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े क्षेत्र हैं और हम कहेंगे नहीं कि कौन पिछड़े हैं, उन पर आप साधारण चर्चा चाहते हैं क्योंकि प्लानिंग कमीशन में हमारे यहां पर एक रिव्यु होता है सितम्बर-अक्तूबर में। इस सदन से जो कुछ हमें मिलेगा, जो जानकारी रहेगी, उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों के ऊपर, उनकी आर्थिक स्थिति पर, सामाजिक स्थिति पर, उन सारी चीजों पर एक दिन सदन बहस करे, पहाड़ों की बाबत, पूर्व की बाबत, मध्य की बाबत, पश्चिम के कुछ पाकेट्स जो पिछड़े हैं उनकी बाबत, बुन्देलखंड की बाबत एक साधारण चर्चा कभी हुई नहीं, उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो। एक दिन भर उस पर रख दें। बाकी बिजनेस हमारे पास है ही। हम सदन के कृतज्ञ हैं कि बिजनेस कायदे से चल रहा है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५

खंड-६ (क्रमागत)†

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव) -

मान्यवर, खंड ६ में मैंने संशोधन प्रस्तुत किया था जिसकी मंशा को माननीय माल मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है और अब सरकार की ओर से दूसरे शब्दों में एक संशोधन लाया जा रहा है लिहाजा उस संशोधन के समर्थन में मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५ के खंड ६ द्वारा मूल अधिनियम की धारा १२२-ख में जो उपधारा (२) लगायत (४-ङ) रखी जा रही है, उसके नीचे निम्नलिखित नई उपधारा (४-च) रख दी जाय :--

"(४-च)--पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी व्यक्ति के जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का भूमिहीन खेतिहर मजदूर हो अध्यासन में धारा ११७ के अधीन गांव सभा में निहित कोई भूमि (जो धारा १३२ में उल्लिखित भूमि न हो) ३० जून, १९७५ के पूर्व से हो, और भूमिधर, असामी या सीरदार के रूप में उक्त दिनांक के पूर्व से उसके द्वारा धृत किसी भूमि सहित इस प्रकार अध्यासित भूमि १.२६ हैक्टर (३.१२५ एकड़) से अधिक न हो, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भूमि प्रबन्धक समिति या कलेक्टर द्वारा इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायगी और यह समझा जायेगा कि ऐसे व्यक्ति को वह भूमि सीरदार के रूप में धारा १९५ के अधीन उठा दी गयी है।

स्पष्टीकरण--पद "भूमिहीन" और "खेतिहर मजदूर" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो धारा १९८ में उनके लिए दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय सानवाल और देव बहादुर सिंह जी ने संशोधन दिये हैं, उसी का यह संशोधित रूप है।

प्रश्न यह है कि खंड ६ द्वारा मूल अधिनियम की धारा १२२-ख में जो उपधारा (२) लगायत (४-ङ) रखी जा रही है, उसके नीचे निम्नलिखित नई उपधारा (४-च) बढ़ा दी जाय :

"(४-च)--पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति के, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का भूमिहीन

---

†३१ जुलाई, १९७५ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खेतिहर मजदूर हो, अध्यासन में धारा ११७ के अधीन गांव सभा में निहित कोई भूमि (जो धारा १३२ में उल्लिखित भूमि न हो) ३० जून, १९७५ के पूर्व से हो, और भूमिधर, असामी या सीरदार के रूप में उक्त दिनांक के पूर्व से उसके द्वारा धृत किसी भूमि सहित इस प्रकार अध्यासित भूमि १.२६ हैक्टेयर (३.१२५ एकड़) से अधिक न हो, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भूमि प्रबन्धक समिति या कलेक्टर द्वारा इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायगी और यह समझा जायेगा कि ऐसे व्यक्ति को वह भूमि सीरदार के रूप में धारा १९५ के अधीन उठा दी गयी है।"

स्पष्टीकरण--पद "भूमिहीन" और "खेतिहर मजदूर" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो धारा १९८ में उनके लिये दिये गये हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

धारा १२४ का संशोधन

७--मूल अधिनियम की धारा १२४ में उपधारा (१) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :--

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा १२२-ख के अधीन वसूल की जाने योग्य क्षति-पूर्ति या प्रतिकर की धनराशि संचित गांव कोष में जमा की जायगी।"

श्री भीखा लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ७ में जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

खंड ७ में एक प्रतिबन्धात्मक निम्न खंड जोड़ दिया गया है

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा १२२-ख के अधीन वसूल की जाने योग्य क्षतिपूर्ति या प्रतिकर की धनराशि संचित गांव कोष में जमा की जायगी।"

मान्यवर, १२२ (ख) में प्राविधान है कि उस भूमि या जायदाद पर जो ग्राम समाज की है अगर उस पर कोई नाजायज कब्जा करता है या कोई नुकसान पहुंचाता है तो उस पर जुर्माना आयद किया जा सकता है। यह जुर्माना चूंकि ग्राम समाज की सम्पत्ति के सम्बन्ध में है, इसलिये ग्राम सभा कोष में जाना चाहिये। अब इस प्रतिबन्ध के लगने से यह रकम गांव कोष में न जाकर जो संचित गांव कोष है उसमें चली जायगी। हमारा कहना यह है कि गांव सभाओं की आमदनी बहुत ही सीमित है और उनके विकास कार्य करने में बड़ी बाधाएं पड़ती हैं साधनों की कमी के कारण। अब इस साधन को भी लेने जा रही हैं। कहा जा रहा है कि यह इसलिये किया जा रहा है कि ग्राम समाज और गांव सभा के मुकदमों में पैरवी करने में ज्यादा खर्च होता है और उस कोष से इस खर्च को मीट किया जायगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जैसा कि कल कहा गया था कि ग्राम समाज के मुकदमों के लिये सरकारी वकील दे दिया जाता है लेकिन उनका खर्चा आमतौर से ग्राम समाज वहन करता है। सरकारी कोष से फीस बहुत कम मिलती है, कोई पैरवी करने के लिये तैयार नहीं होता। इसलिये ग्राम-समाजों को अपने कोष से पैसा देना पड़ता है। अगर यह पैसा निकल जायगा तो आमदनी

का कोई जरिया नहीं रह जायगा और अब इसको करके जो बचा-खुचा है उसको भी ले रहे हैं। बहुत दिनों से मांग रही है कि गांव सभाओं की स्थिति सुधारने के लिये मालगुजारी का एक हिस्सा गांव सभाओं को दिया जाय, उस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिये वहां का विकास रुक जायगा इस वजह से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

यह अस्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने सिर्फ विरोध किया है। आप अगर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

धारा १२५-क का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १२५-क में —

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(१) प्रत्येक जिले के लिये एक संचित गांव कोष संघटित किया जायेगा जिसमें—

(क) धारा १२४ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट क्षतिपूर्ति या प्रतिकर की धनराशि, और

(ख) उपधारा (२) के अधीन देय सभी अंशदान,

जमा किये जायेंगे।"

(२) उपधारा (२) में, शब्द 'पन्द्रह प्रतिशत' के स्थान पर शब्द "पच्चीस प्रतिशत" रख दिये जायं।

श्री भीखालाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं खंड ८ का विरोध करता हूं। इसलिये करता हूं कि जैसा कि मूल प्रस्ताव है उसके जरिये अब ग्राम सभाओं की दूसरी आमदनी का जरिया भी सरकार लेने जा रही है। अभी तक जो उनकी आमदनी सालाना होती थी उसका १५ फीसदी उनको संचित गांव कोष में जमा करना पड़ता था। अब उसको २५ कर रहे हैं जिससे वे बिलकुल पापर हो जायेंगे और ग्रामों का विकास बिलकुल रुक जायगा।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अस्वीकार करता हूं। मैं आपका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९–२३

धारा १३१ का संशोधन

९––मूल अधिनियम की धारा १३१ में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात् :––

"(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा १९५ या धारा १९६ के अधीन या उसके अनुसार कोई भूमि सीरदार के रूप में उठा दी गयी हो, और "

धारा १३४ का संशोधन

१०––मूल अधिनियम की धारा १३४ में––

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :––

"१३४ (१)––यदि कोई सीरदार, जो धारा १३१ के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट सीरदार न हो, उस भूमि के लिए जिसका वह सीरदार हो, प्रार्थना-पत्र के दिनांक पर देय मालगुजारी का अथवा देय समझी जाने वाली मालगुजारी का बीस गुना राज्य सरकार के नाम में जमा करता है तो वह उसके लिये असिस्टेन्ट कलेक्टर के समक्ष यथोचित रूप से प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उस दिनांक से जब धनराशि जमा की जाय इस बात के प्रख्यापन का अधिकारी हो जायेगा कि उसने उस भूमि के संबंध में धारा १३७ में उल्लिखित अधिकार प्राप्त कर लिए हैं।

स्पष्टीकरण १–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये पद "भूमि" के अन्तर्गत भूमि में अंश भी है।

स्पष्टीकरण २–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये देय मालगुजारी निम्नलिखित होगी :

(क) धारा २४६ की उपधारा (१) के खंड (क) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट भूमि के संबंध में सभी वृद्धियों को कार्यान्वित करने के पश्चात् उपलब्ध धनराशि; और

(ख) उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर धारा २४७ का प्रतिबन्धात्मक खंड लागू होता हो उस धारा के अधीन मौरूसी दरों पर अवधारित धनराशि।"

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :––

"(३) धारा १३१ के खंड (ख) में अभिदिष्ट किसी सीरदार द्वारा, भूमिधरी अधिकार अर्जित करने के लिये उपधारा (१) के अधीन दिये गये समस्त प्रार्थना–पत्र, जो उत्तर प्रदेश भूमि–विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७५ के प्रारम्भ होने के दिनांक (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) के ठीक पूर्व विचाराधीन हो, उपशमित हो जायेंगे, और जमा की गई धनराशि यथास्थिति, सीरदार या उसके उत्तराधिकारी को वापस कर दी जायगी।

स्पष्टीकरण––उपधारा (३) के प्रयोजनार्थ, कोई प्रार्थना–पत्र विचाराधीन समझा जायगा, यदि उक्त दिनांक को, धारा १३७ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रमाण–पत्र वास्तव में जारी न किया गया हो।"

धारा १३८ का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा १३८ में—

(क) उपधारा (१) में, शब्द "भूमिधर खाते में अपने अंश के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है" के स्थान पर शब्द तथा अंक "भूमिधर खाते में अपने अंश के बटवारे के लिये धारा १७८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वाद प्रस्तुत कर सकता है" रख दिये जाएं ।

(ख) उपधारा (२) में, शब्द "उसे न्याय शुल्क देने पर" के स्थान पर शब्द "भूमिधर धारा १७८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और न्याय शुल्क देने पर" रख दिये जाएं ।

धारा १३९ का निकाला जाना ।

१२—मूल अधिनियम की धारा १३९ निकाल दी जाय ।

धारा १४५ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा १४५ में, शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "परगने के अधिकारी असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिये जायं ।

धारा १५६ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा १५६ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् —

"स्पष्टीकरण—जहां किसी खातेदार ने किसी ऐसी व्यवस्था के अधीन अपने सम्पूर्ण खाते या उसके भाग से अपना कब्जा संक्रमित कर दिया हो जिसके द्वारा खातेदार किसी धनराशि या ऐसे खाते या उसके भाग में उगाये गये उत्पाद के किसी अंश का हकदार हो जाय तो यह समझा जायगा कि संक्रमणकर्ता ने ऐसा खाता या उसका भाग संक्रमिती को पट्टे पर दे दिया है ।"

धारा १५७ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा १५७ में—

(१) उपधारा (१) में, खंड (ङ) में, शब्द "स्वीकृत संस्था (recognised institution)" के स्थान पर शब्द "स्वीकृत शिक्षा संस्था" रख दिये जायें, और स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय ;

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(१-क) जहां उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, १९७३ की धारा २ के खंड (ग) में यथापरिभाषित कोई बैंक उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों द्वारा कोई भूमि अर्जित करे तो वह ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग को एक बार में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये पट्टे पर दे सकता है और उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् पट्टेदार का इस प्रकार पट्टे पर दी गई भूमि में कोई अधिकार, हक या स्वत्व समाप्त हो जायगा ।"

धारा १५९ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा १५९ में, शब्द तथा अंक "धारा १६७" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १६६ तथा १६७" रख दिये जाएं ।

धारा १६० का संशोधन

१७—मूल अधिनियम की धारा १६० में, शब्द तथा अंक "धारा १५७" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १५६ तथा १५७" रख दिए जाएं ।

धारा १६३ का संशोधन

१८—मूल अधिनियम की धारा १६३ में—

(i) उपधारा (१) में, शब्द "वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में सक्रमण हुआ हो" के स्थान पर शब्द "वह व्यक्ति जिसके पक्ष में संक्रमण किया गया हो और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसने सम्पूर्ण खाते या उसके भाग पर इस प्रकार कब्जा प्राप्त कर लिया हो" रख दिये जायें ;

(ii) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(३) उपधारा (१) के अधीन बेदखली की डिक्री में भूमिधर को सम्पूर्ण खाते या उसके भाग से, जैसा भी न्यायालय, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निदेश दे बेदखल होने का निदेश दे सकता है।"

धारा १६६ का संशोधन

१९—मूल अधिनियम की धारा १६६ में, शब्द "इस अध्याय के निदेशों के अनकूल" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में" रख दिए जाएं।

धारा १६७ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा १६७ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(३) इस धारा के अधीन बेदखली के प्रत्येक वाद में संक्रमणकर्ता पक्षकार बनाया जायगा।"

धारा १६९ का संशोधन

२१—मूल अधिनियम की धारा १६९ में—

(१) उपधारा (१) में, शब्द, कोष्ठक, अक्षर तथा अंक "उपधारा (२) तथा (२—क)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "उपधारा (२—क)" रख दिये जायें ;

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाय।

धारा १७८ का संशोधन

२२—मूल अधिनियम की धारा १७८ में, उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(३) जहां किसी सह—खातेदार ने—

(क) धारा १५७ की उपधारा (२) के अधीन किसी खाते में केवल एक अंश पट्टे पर दिया हो ; या

(ख) धारा १३४ के अधीन किसी खाते के केवल एक अंश के संबंध में ही भूमिधरी अधिकार यथावत् प्राप्त किये हों;

तो न्यायालय उपर्युक्त अंश को अलग—अलग कर खाते का विभाजन कर देगा, परन्त् शेष खाते के संबंध में उपधारा (१) के उपबन्धों का, यदि लागू होते हों, अनुसरण किया जायगा।"

धारा १९४ का संशोधन

२३—मूल अधिनियम की धारा १९४ में,—

(१) खण्ड (क) में, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "खण्ड (क)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "खण्ड (क) या खण्ड (कक)" रख दिये जाएं ;

(i) खण्ड (ख) में, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर " खण्ड (क) (ख), (ग) या (ङ)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "खण्ड (क), खण्ड (ख) खण्ड (ग), खण्ड (गग) या खण्ड (ङ)"रख दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ से खंड २३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २४—३६

धारा १९८ का संशोधन

२४—मूल अधिनियम की धारा १९८ में—

(क) उपधारा (१) में—

(१) खण्ड (क) से (झ) तक के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायें, अर्थात् :—

"(क) ऐसे व्यक्ति की, जिसने संघ की सशस्त्र सेना में सक्रिय सेवा करते हुए शत्रु–आक्रमण के कारण अपना जीवन बलिदान किया हो, मण्डल में रहने वाली भूमिहीन विधवा, उसके भूमिहीन पुत्र, उसकी भूमिहीन अविवाहित पुत्रियां या उसके भूमिहीन माता–पिता ;

(ख) मण्डल में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु–आक्रमण के कारण पूर्णतया निर्योग्य हो गया हो;

(ग) मण्डल में रहने वाला और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई भूमिहीन खेतिहर मजदूर ;

(घ) मण्डल में रहने वाला कोई अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर ;

(ङ) कोई भूमिधर, सीरदार या असामी जो मण्डल में रहता हो और जिसके पास १.२६ हेक्टर (३.१२५ एकड़) से कम भूमि हो ;

(च) मण्डल में रहने वाला कोई भूमिहीन व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में किसी अधिकारी से भिन्न सेवा से निवृत्त, निर्मुक्त या सेवा मुक्त हो ;

(छ) मण्डल में रहने वाला भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानी जिसे राजनीतिक पेंशन न दी गई हो;

(ज) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जो मण्डल में न रहता हो किन्तु यू० पी० पंचायत-राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ४२ में अभिदिष्ट न्याय पंचायत सर्किल में रहता हो।"

(२) उसके स्पष्टीकरण में खण्ड (१) में, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "और खण्ड (घ) के सिवाय" निकाल दिये जायं ;

(ख) उपधारा (२) निकाल दी जाय ;

(ग) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(३) ऐसी भूमि का क्षेत्रफल जो उपधारा (१) के अधीन प्रदिष्ट की जाय—

(१) खण्ड (ङ) के अधीन आने वाले व्यक्ति की दशा में, प्रदेशन के ठीक पूर्व भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में उसके द्वारा धृत भूमि को मिलाकर १.२६ हेक्टर (३.१२५ एकड़) ;

(२) किसी अन्य दशा में, १.२६ हेक्टर (३.१२५ एकड़) से अधिक न होगा।"

(घ) उपधारा (४) में, खण्ड (१) तथा (२) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात् :—

"(१) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७५ के प्रारम्भ होने के पूर्व किये गये भूमि के प्रदेशन की दशा में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर प्रदेशन तथा पट्टा, यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है, और

(२) ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् किये गये भूमि के प्रदेशन की दशा में, ऐसे प्रर्दशन या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर प्रदेशन तथा पट्टा यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है।" ;

(ङ) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(४-क) जहां किसी भूमि का प्रदेशन या पट्टा उपधारा (४) के अधीन निरस्त कर दिया जाय, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(१) ऐसी भूमि में प्रदेशन ग्रहीता या पट्टेदार अथवा उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकार, हक तथा स्वत्व समाप्त हो जायगा और भूमि गांव सभा को प्रत्यावर्तित हो जावेगी ;

(२) कलेक्टर निदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि पर कब्जा रखने या बनाए रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् वह भूमि तत्काल गांव सभा के कब्जे में दे दी जाय और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो आवश्यक हो।"

धारा ३३१ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा ३३१ में, उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदव से रखी गई समझी जाय, अर्थात् :—

"(३) इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ ४ में उल्लिखित किसी न्यायालय द्वारा उसके स्तम्भ ३ में उल्लिखित कार्यवाहियों में पारित किसी डिक्री या सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की धारा ४७ के अधीन

किसी आदेश या धारा १०४ या उस संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश ४३ नियम १ में उल्लिखित प्रकार के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उसके स्तम्भ ५ में उल्लिखित किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी।"

नई धारा ३३३क-का बढ़ाया जाना

२६—मूल अधिनियम की धारा ३३३ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"३३३-क—कमिश्नर अथवा अपर कमिश्नर धारा ३३३ में निर्दिष्ट किसी ऐसे वाद या व्यवहार को जिस पर उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया गया हो, उसमें दी गई किसी आज्ञा की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, और यदि उसकी यह राय हो कि ऐसी आज्ञा को परिवर्तित निरस्त या उलट दिया जाना चाहिये तो वह मामले को उस पर अपनी राय सहित बोर्ड को आज्ञार्थ अभिदिष्ट करेगा, और तदुपरान्त बोर्ड उस पर ऐसी आज्ञा देगा जो वह उचित समझे।"

बोर्ड को अभिदेश

धारा ३४४ का संशोधन

२७—मूल अधिनियम की धारा ३४४ में, उपधारा (२), (३) तथा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् : —

"(२) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों, अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९५७ की धारा ८६ का संशोधन

२८—उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८६ में, उपधारा (४), (५) तथा (६) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(४) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६० का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १७, १९६० का संशोधन

२९—कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६०, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द "कुमायूं तथा उत्तराखंड डिवीजन" (उसकी धारा १ को छोड़कर) जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "कुमायूं तथा गढ़वाल डिवीजन" रख दिये जायं और दिनांक २० दिसम्बर, १९६८ से रखे गये समझे जायं।

धारा ३ का संशोधन

३०—मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (९) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और दिनांक २० दिसम्बर, १९६८ से रखी गई समझी जाय, अर्थात् :—

"(९) 'कुमायूं डिवीजन' से तात्पर्य है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जिले ;

(९-क) 'गढ़वाल डिवीजन' से तात्पर्य है गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी और चमोली के जिले; ।"

धारा ५६ का संशोधन

३१—मूल अधिनियम की धारा ५६ में—

(क) उपधारा (३) में, खण्ड (६) में, शब्द तथा अंक "इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८" के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम, १९६३" रख दिये जायं।

(ख) उपधारा (४), (५) तथा (६) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(४) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक के ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९५६ की धारा ४३ का संशोधन

३२—जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ४३ में उपधारा (४), (५) तथा (६) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(४) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो

विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ की धारा ५ का प्रतिस्थापन

३३—यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाये, अर्थात् :—

"५—राज्य सरकार के अधीक्षण, निदेश तथा नियन्त्रण के अधीन रहते हुए परिषद् वादों, अपीलों, अभिदेशों तथा पुनरीक्षणों के निस्तारण से सम्बद्ध विषयों को छोड़कर अधिनियम के अधीन उपबन्धित अन्य विषयों के सम्बन्ध में मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी होगा।"

राज्य सरकार तथा परिषद् के नियन्त्रण सम्बन्धी अलग-अलग अधिकार

धारा ८ का संशोधन

३४—मूल अधिनियम की धारा ८ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(१) जहां कोई ऐसी कार्यवाही, जो अपील या अभिदेश या पुनरीक्षण में परिषद् द्वारा विचार किये जाने के लिये आये, दो या अधिक सदस्यों से संगठित किसी डिवीजन बेंच द्वारा सुनी जाय तो वह वाद ऐसे सदस्यों की राय अथवा उनमें से अधिकांश की राय, यदि कोई हो, के अनुसार निर्णीत किया जायेगा।"

धारा ३३ का संशोधन

३५—मूल अधिनियम की धारा ३३ में, उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(२) कलेक्टर वार्षिक रजिस्टर में—

(क) धारा ३५ के उपबन्धों के अनुसार समस्त उत्तराधिकार तथा संक्रमण या

(ख) अन्य परिवर्तन, जो किसी भूमि के सम्बन्ध में हों,

अभिलिखित करायेगा और समस्त अशुद्धियों तथा लोपों को धारा ३९ के उपबन्धों के अनुसार शुद्ध भी करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) के अधीन परिवर्तन अभिलिखित करने के अधिकार का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि उसके अन्तर्गत किसी ऐसे विवाद को निर्णीत करन का अधिकार भी है जिसमें हक सम्बन्धी कोई प्रश्न अन्तप्रति हो।"

धारा ३३-क का संशोधन

३६—मूल अधिनियम की धारा ३३-क को पुन: संख्यांकित करके उसकी उपधारा (१) कर दी जाय और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(२) किसी व्यक्ति के जो उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम १९५० ई० की धारा १९५ या १९६ के अधीन किसी भूमि का सीरदार या उक्त अधिनियम की धारा १९७ के अधीन असामी हो गया है, सम्बन्ध में उपधारा (१) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

*श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक के खंडों में इन संशोधनों का प्रस्ताव करता हूं—

खंड २४ के उपखंड (क) (i) (ग) की दूसरी पंक्ति में शब्द " जाति" के आगे शब्द " या विमुक्त जाति" बढ़ा दिये जायें।

खंड २४ के उपखंड (क) (i) (ज) की प्रथम पंक्ति में शब्द " आदिम जाति" के आगे शब्द " या विमुक्त जाति" बढ़ा दिये जायें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह अस्वीकार है।

श्री ध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २४ के उपखंड (क) (i) (ग) की दूसरी पंक्ति में शब्द "जाति" के आगे शब्द "या विमुक्त जाति" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २४ के उपखंड (क) (i) (ज) की प्रथम पंक्ति में शब्द "आदिम जाति" के आगे शब्द "या विमुक्त जाति" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, सीताराम निषाद का जो संशोधन है यह मैंने अस्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष—

तो 'हां' क्यों किया आपने? अब तो हो गया।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

वैसे तो आप जो आज्ञा देंगे शिरोधार्य है लेकिन इतना तो आप अधिकार देंगे सदन को कि जो चीज असम्भव हो कार्यान्वियन के और जिससे मतलब ही गलत हो जाय और वह पैसेज में हो तो फिर दुबारा रिव्यू करने का मौका तो हमें दें। हम तो चाहते हैं कि विमुक्त जाति की मदद करें लेकिन संविधान में ऐसा है नहीं, यह एक प्रशासनिक अरेन्जमेंट है। अब या तो विमुक्त जाति, जैसा वह नत्थी 'क' पर दिया हुआ है, ऐसा करें और इसको अनेग्जर करें या हमारे माननीय सदस्य इस कठिनाई को समझें। अपना मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग दिक्कत में पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी रिव्यू करने की पावर है। श्रीमन्, इन दि अइज आफ ला देयर इज नथिंग लाइक विमुक्त जाति। एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव अरेन्जमेंट है, संवैधानिक अरेन्जमेंट नहीं है। जो चीज कांस्टीट्यूशनल नहीं है उसको रिव्यू करने का अधिकार तो हमें दें।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि आप कृपया इसको शुद्ध कर दें। स्वीकार तो हमनें नहीं किया विमुक्त जाति वाला। हमने तो 'न' कहा था।

श्री अध्यक्ष—

अस्वीकार करते हुये भी आप वोट कर दें। "विमुक्ति जाति' संविधान में नहीं है। देर से ही सही, लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने जो आपत्ति की है वह संवैधानिक है क्योंकि विमुक्त जाति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संविधान में है नहीं । इसको फिर से हम विचार के लिये खुला रखेंगे। आप नियम के निलम्बन का प्रस्ताव कर दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्बन्धित नियम को निलम्बित कर के इस संशोधन के ऊपर पुनर्विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्बन्धित नियम को निलम्बित करके इस पर पुनर्विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सीताराम निषाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी के आश्वासन के बाद मैं अपने संशोधन को जो मैंने खंड २४ में दिया है, वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री भीखा लाल—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २४ के उपखंड (घ) (i) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर "पन्द्रह वर्ष" रख दिये जायं।

तथा खंड २४ के उपखंड (घ) (ii) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर "पन्द्रह वर्ष" रख दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कल निवेदन किया था इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में यह दिया हुआ है कि गांव सभा की भूमि के सम्बन्ध में अवैध पट्टों के सम्बन्ध में चाहे वे कितने ही पुराने क्यों न हों, संवीक्षा करने की और यदि आवश्यक हो तो उनका पुनर्विलोकन करने की शक्ति भी प्रदान की जा रही है। यानी पट्टा चाहे कितना ही पुराना हो उसका पुनर्विलोकन हो सकेगा। मगर संशोधन की मंशा यह नहीं है। जो संशोधन किया जा रहा है विधेयक में उसकी मंशा यह नहीं है, उसका इन्टरप्रीटेशन दूसरा भी हो सकता है। जो बिल में क्लाज है उसकी मंशा यह प्रतीत होती है कि ५ वर्ष पूर्व जितने पट्टे हुये हैं उनका पुनर्विलोकन नहीं हो सकेगा। उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि कितनी ही म्याद का पट्टा हो वह हो सकेगा। इसकी शब्दावली ऐसी है कि जिससे भ्रम हो सकता है। विधेयक में (घ) (i) में लिखा है—"....ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर प्रदेशन तथा पट्टा, यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है ..." इसलिये मैं चाहता हूं कि यहां ५ वर्ष के स्थान पर १५ वर्ष रख दिया जाय।

*श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी बात नहीं है। माननीय सदस्य को गलत फहमी है। यहां जो है वह यह है कि ५ बर्ष के अन्दर हम स्क्रूटिनी करेंगे, पट्टा चाहे जितना भी पुराना हो, वह निरस्त हो जायेगा। अब ५ वर्ष के स्थान पर अगर १५ वर्ष रखे जायेंगे तो क्या १५ वर्ष तक स्क्रूटिनी होगी? इसलिये ५ वष ही ठीक है जो रखा गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

खंड २४ का उपखण्ड (घ) (i) में है—" (i) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७५ के प्रारम्भ होने के पूर्व किये गये भूमि के प्रदेशन की दशा में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर प्रदेशन तथा पट्टा, यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है, और

(i) ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक से या उसके पश्चात् किये गये भूमि के प्रदेशन की दशा में, ऐसे प्रदेशन या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर प्रदेशन तथा पट्टा यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है।"

इसका मतलब यह है कि पांच साल तक हम बराबर स्क्रूटनी करते रहेंगे, चाहे जितने पुराने पट्टे हों, या पांच साल के अन्दर के या पांच साल से पहले के हों, पांच साल के अन्दर जो भी हमें मालूम होता रहेगा उनकी स्क्रूटनी करते रहेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

मान्यवर, यह तो टाइम प्रोग्राम ऐसा है कि अगर इसको इसी तरह से छोड़ दिया जाय तो स्क्रूटनी करने वाले हर साल कहते रहेंगे कि करने वाले है और जब कोई प्रश्न उठाया जायेगा तो सदन में खड़े होकर कह देंगे कि पांच साल के अन्दर करना है। हम तो यह चाहते हैं कि कितने पट्टे निरस्त हुए और कब हुए, इसका लेखा-जोखा इस सदन के सामने हर ६ महीने बाद पेश किया जाय और पांच साल में काम नहीं कर सके तब कोई और रास्ता निकाला जा सकता है। इसलिये माननीय भीखा लाल जी को इस में कोई सन्देह नहीं होना चाहिये। पांच साल का अर्थ यह है कि हम चाहते हैं कि जितना काम करना है उसको पूरा कर लें और बराबर जो एक तलवार काम न करने की लटकी रहती है वह तलवार लटकी न रहे। माननीय राजस्व मन्त्री का मतलब यह है कि यह मामला उलझा हुआ है, इसलिये जब से ग्राम समाज को पट्टा करने का अधिकार मिला और उसके द्वारा पट्टे हुये तब से रेकार्ड्स को देख लिया जाय। माननीय भीखा लाल जी को यह शंका न होनी चाहिये कि ५ साल तक के गलत हुये पट्टे ही देखे जायेंगे। ५ साल, ६ साल यानी कानून के अन्दर रेट्रोस्पेक्टिव पिछले साल के रेकार्ड भी देख सकते हैं। इस स्पष्टीकरण के बाद अब इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री भीखा लाल—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन को जो आश्वासन दिया है, उसके पश्चात् मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, और ३६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३७–४८

३७––मूल अधिनियम की धारा ३४ में ––

धारा ३४ का संशोधन

(क) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् : ––

"(१) उत्तराधिकार या संक्रमण (ऐसे उत्तराधिकार या संक्रमण से भिन्न जिसे धारा ३३-क के अधीन पहले ही अभिलिखित कर लिया गया है) द्वारा किसी भूमि पर कब्जा पाने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे उत्तराधिकार या संक्रमण की सूचना उस तहसील के तहसीलदार को देगा जिसमें भूमि स्थित हो।" ;

(ख) उपधारा (२) निकाल दी जाय,

(ग) उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय, अर्थात् : ––

"स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनार्थ, शब्द 'संक्रमण' के अन्तर्गत निम्नलिखित है, अर्थात् :––

(i) ऐसा कौटुम्बिक व्यवस्थापन जिसके द्वारा उस कुटुम्ब के किसी एक या एक से अधिक सदस्यों के नाम में अधिकार अभिलेख में अभिलिखित जोत या जोत के भाग को किसी दूसरे या अन्य सदस्यों का होना प्रख्यापित किया जाय ; या

(ii) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० ई० की धारा १६१ के अधीन जोत या उसके भाग का विनिमय प्रख्यापित किया जाय।"

धारा ३५ का प्रतिस्थापन

३८––मूल अधिनियम की धारा ३५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :––

रिपोर्ट पर प्रक्रिया

"३५––धारा ३४ के अधीन उत्तराधिकार या संक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, या अन्यथा तथ्यों की जानकारी होने पर, तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो, और यदि यह प्रतीत हो कि उत्तराधिकार या संक्रमण हुआ है तो वह वार्षिक रजिस्टरों को तद्नुसार संशोधित करने का निदेश देगा।"

धारा ३९ का संशोधन

३९––मूल अधिनियम की धारा ३९ में, उपधारा (२) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :––

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह कलेक्टर को कोई ऐसे विवाद, जिसमें हक सम्बन्धी प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, निर्णीत करने की शक्ति प्रदान करती है।"

धारा १९१ का प्रतिस्थापन

४०––मूल अधिनियम की धारा १९१ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् : ––

वाद संक्रमित करने का परिषद् या आयुक्त का अधिकार

"१९१––परिषद् या आयुक्त इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी वाद या कार्यवाही को जिसके अन्तर्गत विभाजन सम्बन्धी वाद भी है, किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से किसी अन्य ऐसे न्यायालय या अधिकारी को जो उन पर कार्यवाही करने के लिये सक्षम हो, संक्रमित कर सकता है।"

धारा २१० का संशोधन

४१—मूल अधिनियम की धारा २१० में, उपधारा (६) में, अंक "३५" निकाल दिया जाय।

धारा २१८ का प्रतिस्थापन

४२—मूल अधिनियम की धारा २१८ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"२१८—आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी दिये गये आदेश की

परिषद् को अभिदेश

वैधता अथवा औचित्य के सम्बन्ध में तथा कार्यवाहियों की नियमितता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले या की गयी कार्यवाहियों के अभिलेख को मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, और, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसे अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही या दिये गये आदेश को परिवर्तित, निरस्त या उलट दिया जाना चाहिये तो वह उस मामले को अपनी राय सहित आदेशार्थ परिषद् को अभिदिष्ट करेगा और तदुपरान्त परिषद् उस पर ऐसा आदेश देगी जो वह उचित समझे।"

धारा २१९ का प्रतिस्थापन

४३—मूल अधिनियम की धारा २१९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"२१९—परिषद् किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी मामले

परिषद् के समक्ष पुनरीक्षण

के अभिलेख को मंगा सकती है, और यदि यह प्रतीत हो कि —

(क) अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या

(ख) अधीनस्थ न्यायालय इस प्रकार निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा है, या

(ग) अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता के साथ कार्य किया है तो परिषद् ऐसा आदेश दे सकती है, जो वह उचित समझे।"

धारा २२७ का संशोधन

४४—मूल अधिनियम की धारा २२७ में —

(क) खण्ड (२) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्

"(i) द्वितीय वर्ग के सहायक कलेक्टर या तहसीलदार की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करना,";

(ख) खण्ड (५) निकाल दिया जाय।

धारा २३४ का प्रतिस्थापन

४५—मूल अधिनियम की धारा २३४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"२३४—(१) परिषद् राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृत से, निम्नलिखित

परिषद् की नियम बनाने की शक्ति

सभी या किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में, इस अधिनियम से संगत नियम बना सकती है, अर्थात् :—

(क) तहसीलदारों तथा नायब-तहसीदारों के कर्त्तव्यों को नियत करना और उनके तैनाती तथा स्थानान्तरण और अस्थायी रिक्तियों में उनकी नियुक्ति को विनियमित करना;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाये या रखे गये अधिकार-अभिलेखों तथा अन्य अभिलेखों, नक्शों, खसरों, रजिस्टरों तथा सूचियों के प्रपत्र, उनकी अन्तर्वस्तुएं उन्हें तैयार करने, अनुप्रमाणित करने तथा अनुरक्षित करने की रीति नियत करना तथा उस भूमि के, यदि कोई हो, प्रकार को नियत करना जिसके सम्बन्ध में धारा ३२ के अधीन ऐसा अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता न हो ;

(ग) उत्तराधिकारों तथा संक्रमणों को अधिसूचित न करने पर धारा ३८ के अधीन जुर्माने का आरोपण विनियमित करना ;

(घ) उन खर्चों को विनियमित करना जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में या उसके सम्बन्ध में वसूल किये जा सकते हों;

(ङ) किसी ऐसे अधिकारी (या अन्य व्यक्ति) द्वारा जिससे इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाय या जो ऐसा करने के लिये अधिकृत हो, अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना ;

(च) इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में सभी व्यक्तियों के पथप्रदर्शन के लिये और ऐसे वाद या कार्यवाही के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाना ;

(छ) राजस्व न्यायालय में याचिका लेखकों के रूप में कार्य करने के लिये व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करने, ऐसे व्यक्तियों के कार्य संचालन तथा उनके द्वारा लिये जाने वाले शुल्कों के मान को विनियमित करना, तथा लाइसेंस की ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों का उल्लंघन करने के लिये लाइसेंस को रद्द करना।

(२) उपधारा (i) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन राज्य सरकार या परिषद् द्वारा बनाये गये समस्त नियम, जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७५ के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान थे, और ऐसे दिनांक को प्रवृत्त थे, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि वे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त, संशोधित या परिवर्तित न कर दिये जायं।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

४६—ऐसे सभी मामले जो मूल अधिनियम की धारा २१८ के अधीन जैसी की वह उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७५ के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान थी, राज्य सरकार को अभिदिष्ट किये गये हों तथा ऐसे सभी पुनरीक्षण जो धारा २१९ के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७५ के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पूर्व विद्यमान थी, राज्य सरकार के समक्ष दाखिल किये गये हो, और उक्त दिनांक को राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हो, किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी परिषद् को संक्रमित हो जायेंगे और परिषद् द्वारा निर्णीत किये जायेंगे तथा परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा ५४ का संशोधन

४७—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५४ में—

(i) उपधारा (१) में शब्द "नियम बना सकती है" के स्थान पर शब्द "गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियम बना सकती है" रख दिये जायं ;

(ii) उपधारा (३), (४) तथा (५) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(३) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हों, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बन्द्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २०, १९७५ निरसन

४८—(१) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३७ के उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"(क) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

(१) उत्तराधिकार या संक्रमण (ऐसे उत्तराधिकार या संक्रमण से भिन्न जिसे धारा ३३-क के अधीन पहले ही अभिलिखित कर लिया गया है) की दशा में क्षेत्र का कानूनगो तहसील के तहसीलदार को सूचना देगा।,"

मान्यवर, लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ३३ (क) में यह प्राविधान है कि अगर किसी काश्तकार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की सूचना लेखपाल कानूनगो को देगा और कानूनगो उस काश्तकार के उत्तराधिकारियों का पता लगा कर अगर कोई निजा न हो, कोई डिस्प्यूट न हो, तो उनका नाम अभिलेख में दर्ज कर देगा। इतना प्राविधान ३३ (क) में है लेकिन अगर इसमें कोई डिस्प्यूट है तो कानूनगो क्या करेगा इसका कोई प्राविधान लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट में नहीं है। मैं तो समझता हूं कि लैण्ड रिकार्ड को दुरस्त रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसको ठीक करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस मंशा के मुताबिक लेखपाल की जिम्मेदारी है कि अगर कोई काश्तकार मर जाय तो कानूनगो को सूचना दे और कानूनगो इन्दराज करे। लेकिन जो मामला डिस्प्यूटेड है उसके लिये इसमें कोई प्राविधान नहीं है कि क्या किया जायगा। मेरा संशोधन है कि जो मामला डिस्प्यूटेड है उसकी सूचना कानूनगो तहसीलदार को खुद करेगा। इससे प्रकिया और सुलभ हो जायेगी। तहसीलदार के पास जब रिपोर्ट जायगी तब तहसीलदार जांच करके इन्दराज दुरुस्त करेगा। मैं समझता हूं कि माननीय माल मन्त्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, यह बहुत स्पष्ट है । धारा ३५ में, किसी अन्य सूत्र द्वारा भी सूचना मिलती है तो दाखिल खारिज की कार्यवाही की जायगी। मैं इस संशोधन को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं समझता, इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि—

खंड ३७ के उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(क) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

(१) उत्तराधिकार या संक्रमण (ऐसे उत्तराधिकार या संक्रमण से भिन्न जिसे धारा ३३-क के अधीन पहले से ही अभिलिखित कर लिया गया है) की दशा में क्षेत्र का कानूनगो तहसील के तहसीलदार को सूचना देगा' ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३७, ३८ ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७ और खंड ४८ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० ई०, उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम १९५६, कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६०, जौनसार-बाबर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ तथा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम, बनाया जाता है—

प्रारम्भिक

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७५†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री जगदीश शरण अग्रवाल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस प्रस्ताव को सदन में माननीय सदस्यों के समक्ष रखते हुये मैं निवेदन करूंगा कि यह एक छोटा सा निर्दोष विधेयक है। छोटा सा होते हुये भी एक विशेषता इसमें है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो समाजवाद की राह पर चलने का निश्चय किया है, उसे मंजिल पर पहुंचाने का यह एक कदम है। यह चेन की छोटी सी कड़ी है। इसके द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश में जो २ वाटर वर्क्स प्राइवेट सेक्टर में रह गये थे उनको लेने का प्राविधान किया गया है।

हमारे यहां जो म्युनिसिपैलीटीज ऐक्ट १९१६ है, उसकी धारा २००-सी में यह अधिकार है कि किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया जा सकता है वाटर सप्लाई का। उसी धारा के अन्तर्गत १९३५ में एक प्राइवेट कम्पनी को अलीगढ़ और मुरादाबाद का ठेका दिया गया तथा वाटर सप्लाई करने का जैसा कि और जगहों पर दिया गया था। आखिरी यह दो जगहें रह गयीं जहां कम्पनी के पास ठेका था; अलीगढ़ की जनता की मांग थी कि सप्लाई उनकी ठीक नहीं है। इसलिये लोगों में असंतोष था। अत: वहां की जन भावना को देखते हुये उस वाटर वर्क्स को हम टेकओवर करें और राज्य की ओर से संचालन उसका करें। मान्यवर, हमारें कहने से यह कम्पनी राजी हो गयी और हम आसानी से उसका टेकओवर कर सकें। उसके बाद मुरादाबाद का प्रश्न था। वहां की जनता भी बहुत दुखी थी और उनकी मांग थी कि उस कम्पनी को भी सरकार अपने हाथ में ले ले। हम वहां गये और वहां की जनता को आश्वासन दिया, इस सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में, कि उसको अपने अधिकार में ले लेंगे। कम्पनी इसके लिये राजी नहीं हुई इसलिये हमको एक अध्यादेश लाना पड़ा और उसके बाद उसको अपने अधिकार में १३ जून, १९७५ को मुरादाबाद का वाटर वर्क्स टेकओवर किया।

विश्वास तो यह था कि पहले नियम के अन्तर्गत जब हम वाटर संस्थान का टेकओवर करते थे तो उसका मार्केट मूल्य देना होता था और कई अन्य बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता था। आज संविधान में जो संशोधन किया गया है उसी भावना से यह विधेयक हम प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें यह प्राविधान किया है कि इन दोनों वाटर वर्क्स के लिये जो मुआवजा देंगे वह मार्केट मूल्य नहीं होगा बल्कि बुक वैल्यू होगा। मार्केट वैल्यू का मतलब बाजार के हिसाब से जो मूल्य होगा वह और बुक वैल्यू का मतलब यह कि जो बुक में प्राइज रिकर्ड है और समय-समय पर डिप्रीशिएशन करते हुय होगा यह देंगे। इसलिये इन दोनों प्राइजों में बड़ा अन्तर पड़ जाता है। इसलिये यह विधेयक लाया गया है कि हम कम्पनी का टेकओवर कर लें और उसकी बुक प्राइज दे सकें। जिससे कि उन कम्पनी को राज्य के इक्सचेकर से न्याय के अनुकूल कार्य हो। यह हमारा छोटा सा विधेयक है और आशा है कि इस छोटे से विधेयक को सदन का समर्थन प्राप्त होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†३१ जुलाई, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

खंड २, ३, ४, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (सशोधन) विधेयक, १९७५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

(२) धारा ३, १ जनवरी, १९७५ से प्रवृत्त हुई समझी जायगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध दिनांक १३ जून, १९७५ से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २२४-बी के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

२—यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा २२४-बी के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"२२४-ख—धारा २२४ के खण्ड (ग) के अधीन दिया गया प्रत्येक लाइसेंस यदि पहले ही प्रतिसंहृत न कर दिया गया हो, १३ जून, १९७५ से प्रतिसंहृत हो जायगा।"

वर्तमान लाइसेंसों का प्रति संहृण

धारा २२४-सी के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

३—मूल अधिनियम की धारा २२४-सी के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"२२४-ग—(१) यदि किसी लाइसेंसधारी का लाइसेंस धारा २२४-बी के अधीन जैसी कि वह उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९७५ के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, प्रतिसंहृत कर दिया जाय या उक्त अधिनियम द्वारा यथा प्रतिस्थापित नई धारा २२४-ख के आधार पर प्रतिसंहृत हो जाय तो लाइसेंस के प्रतिसंहृरण के दिनांक (जिसे इस धारा में आगे "उक्त दिनांक" कहा गया है) के ठीक पूर्व लाइसेंसधारी की या उसमें निहित जलकल सम्बन्धी समस्त सम्पत्ति (अर्थात्, समस्त वर्तमान जल-सम्भरण सेवायें जिनके अन्तर्गत सभी संयन्त्र, मशीनरी, जल-कल, पम्पिंग सेट, फिल्टर बेड तथा किसी सार्वजनिक मार्ग के किनारे ऊपर या नीचे बिछाये गये पानी के मेन और पाइप भी हैं और उनसे संलग्न सभी भवन और अन्य निर्माण-कार्य, सामग्री, भंडार तथा वस्तुयें) उक्त दिनांक से उस सम्पत्ति से सम्बध लाइसेंसधारी के किसी ऋण, बन्धक या समान आभार से मुक्त होकर बोर्ड में निहित और उसको अन्तरित हो जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा ऋण, बन्धक या समान आभार ऐसी सम्पत्ति के स्थान पर उप धारा (२) में निर्दिष्ट धनराशि से सम्बद्ध हो जायगा।

(२) जहां किसी लाइसेंसधारी की कोई सम्पत्ति बोर्ड में उप धारा (१) के अधीन निहित हो जाती है, और वह ऐसा जल कल नहीं है जिसका प्रबन्ध मात्र बोर्ड ने धारा २२४ के खण्ड (घ) के अधीन उस लाइसेंसधारी को अन्तरित किया था, वहां बोर्ड उस लाइसेंसधारी को इस धारा में आगे के उपबन्धों के अनुसार अवधारित धनराशि देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त दिनांक से उक्त धनराशि के भुगतान के दिनांक तक की अवधि के लिये उक्त धनराशि पर उक्त दिनांक को प्रभावशाली रिजर्व बैंक की दर से एक प्रतिशत अधिक ब्याज लाइसेंसधारी को उक्त धनराशि के अतिरिक्त दिया जायगा।

(३) राज्य सरकार इस धारा में उल्लिखित कटौतियां करने के पश्चात् लाइससधारी को इस धारा के अधीन देय किसी धनराशि का निर्धारण करने के लिये विशेष अधिकारी लेखा सम्बन्धी विषयों के पर्याप्त ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को लिखित आदेश द्वारा नियुक्त करेगी।

(४) (क) विशेष अधिकारी दिये जाने वाली शुद्ध धनराशि का निर्धारण करने के लिये राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की या लाइसेंसधारी की सहायता की अपेक्षा कर सकता है, जिसे वह उचित समझे।

(ख) विशेष अधिकारी को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वैसी ही शक्तियां होंगी जैसी किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं :—

(१) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(२) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना ;

(३) साक्षियों का परीक्षण करने के लिये कमीशन जारी करना।

विशेष अधिकारी को ऐसी और शक्तियां भी होंगी जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचिना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(५) ऐसे लाइसेंसधारी को देय स्थूल धनराशि नीचे विनिर्दिष्ट धनराशि का कुल योग होगी :

(१) जलकल से सम्बन्धित और बोर्ड द्वारा ले लिये गये सभी निर्माण-कार्य (उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किये हुये निर्माण-कार्यों को छोड़ कर) जो पूरे हो गये हैं और लाभप्रद उपयोग में हों उनका पुस्तांकित मूल्य जिसमें से इस धारा से संलग्न सारणी के अनुसार आकलित अवक्षय को कम कर दिया जायगा ;

(२) लिये गये निर्माणाधीन कार्य (उपभोक्ताओं या भावी उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किये गये निर्माण-कार्य को छोड़कर) का पुस्तांकित मूल्य ;

(३) लिये गये सभी भन्डार का जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त पुर्जे भी हैं, पुस्तांकित मूल्य और उपयोग किये गये भन्डार तथा अतिरिक्त पुर्जों की दशा में यदि लिये गये हों, ऐसी धनराशि जो विशेष अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाय ;

(४) ली गयी तथा उक्त दिनांक को उपयोग में लाई जा रही अन्य सभी स्थिर आस्तियों का पुस्तांकित मूल्य, जिसमें से उक्त सारणी के अनुसार आकलित अवक्षय को कम कर दिया जायगा;

(५) जो संयन्त्र और उपस्कर उक्त दिनांक को विद्यमान थे और अब घिसाई-पिटाई या अप्रचलन के कारण उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं, यदि वे ले लिये गये हों तो जिस सीमा तक लाइसेंसधारी ने अपनी बहियों में उनका मूल्य बट्टे खाते में न डाल दिया हो, उस सीमा तक उन सबका पुस्तांकित मूल्य जिसमें से उक्त सारिणी के अनुसार आकलित अवक्षय को कम कर दिया जायगा।

स्पष्टीकरण—किसी स्थिर आस्ति के पुस्तांकित मूल्य का तात्पर्य उसकी मूल्य लागत से है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—

(१) लाइसेंसधारी के द्वारा आस्ति के लिये दिये गये क्रय मूल्य जिसके अन्तर्गत परिदान का खर्च और आस्ति को अस्तित्व में लाने और लाभप्रद उपयोग के योग्य बनाने में उचित रूप से उपगत प्रभार भी (जैसा कि लाइसेंसधारी की बहियों में दिखाया गया है) सम्मिलित है।

(२) पर्यवेक्षण की वास्तविक लागत, किन्तु जो पैरा (१) में निर्दिष्ट धनराशि के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो :

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन धनराशि का विनिश्चय करने के पूर्व विशेष अधिकारी द्वारा लाइसेंसधारी को सुनवाई का अवसर इस बात के लिये कम से कम १५ दिन की नोटिस देने के पश्चात् दिया जायगा।

(६) बोर्ड लाइसेंसधारी को उपधारा (५) के अधीन देय स्थूल धनराशि में से निम्नलिखित धनराशि काटने का हकदार होगा : —

(क) लाइसेंसधारी द्वारा बोर्ड की देय समस्त धनराशि और उस पर ब्याज का बकाया, यदि कोई हो;

(ख) राज्य सरकार या राज्य विद्युत् परिषद् की देय समस्त धनराशि तथा उस पर ब्याज का बकाया, यदि कोई हो;

(ग) जल-कल के सम्बन्ध में (संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० के अर्थान्तर्गत) मजदूर के रूप में सेवायोजित व्यक्तियों को देय और उक्त दिनांक को भुगतान की गई मजदूरी, बोनस, अनुतोष, भविष्य निधि या अन्य भुगतान की कोई धनराशि ;

(घ) लाइसेंसधारी द्वारा जल-कल के सम्बन्ध में सेवायोजित व्यक्तियों के विषय में इम्प्लाईज प्राविडेन्ट फण्ड ऐक्ट, १९५२ या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अधीन अपने अंशदान या अपने द्वारा वसूल किए गये कर्मचारी के अंशदान या लाइसेंसधारी से वसूली योग्य अन्य देयों के सम्बन्ध में भुगतान न की गई धनराशि।

(७) लाइसेंसधारी यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्य विद्युत परिषद् के प्रति या अपने कर्मचारियों के प्रति उपधारा (६) के अधीन की गयी कटौतियों तक अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायगा। ऐसी कोई कटौती की जाने पर म्युनिसिपल बोर्ड, यथा स्थिति, राज्य सरकार या राज्य विद्युत परिषद् या मजदूर को उस सीमा तक भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

(८) यदि लाइसेंसधारी को देय स्थूल धनराशि इस धारा के अधीन कटौती की जाने वाले धनराशि के बराबर या उससे कम हो तो म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा लाइसेंसधारी को कोई भुगतान नहीं किया जायगा।

(९) बोर्ड द्वारा लाइसेंसधारी को देय धनराशि, यदि कोई हो, वही होगी जो उपधारा (५), (६) तथा (८) के अधीन विशेष अधिकारी द्वारा अवधारित की जाय और धारा ३२४ की किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा देय धनराशि के अवधारण के सम्बन्ध में लागू होती है।

विभिन्न आस्तियों की प्रयोगाविधि के आधार पर अवक्षय सारणी

लाइसेंसधारी के उपक्रम में लगी स्थिर आस्तियों के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष के लिये उतनी धनराशि काटी जायगी जो यदि निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट सम्पूर्ण अवधि पर्यन्त प्रतिवर्ष अलग रखी जाय तथा उस पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज संचित होने दिया जाय तो उसके उक्त अवधि के अन्त में उतनी धनराशि प्राप्त हो जो लाइसेंसधारी की बहियों में पहले से अप-लिखित तथा पृथक की गयी धनराशियों को ध्यान में रखते हुये, उक्त आस्ति की मूल लागत के नब्बे प्रतिशत के बराबर हो :—

आस्ति का ब्योरा	स्तम्भ—२ अवधि या वर्ष संख्या
क—भूमि को पूर्ण हक के अधीन स्वामित्व में हो	अपरिमित ।
ख—पट्टे के अन्तर्गत धृत भूमि	पट्टे की अवधि या पट्टे के अभ्यर्पण पर असमाप्त शेष अवधि।
ग—नई क्रय की गई अस्तियां—	
(क) स्थायी प्रकार के भवन तथा सिविल अभियांत्रिक निर्माण-कार्य जिनका ऊपर उल्लेख न किया गया हो :	
(१) कार्यालय	पचास
(२) अस्थायी संस्थापन जैसे काष्ठ संरचनायें ..	पांच
(३) कच्ची सड़कों से भिन्न सड़कें	एक सौ
(४) अन्य ..	पचास
(ख) स्वचालित गाड़ियां ..	सात
(ग) (१) कार्यालय फर्नीचर तथा फिटिंग्स	बीस
(२) कार्यालय उपस्कर ..	दस
(घ) खरीदी गई पुरानी आस्तियां तथा ऐसी आस्तियां जो इस सारणी में अन्यथा न दी गई हों।	ऐसी युक्तियुक्त अवधि जिसे विशेष अधिकारी द्वारा आस्तियों के अर्जन के समय उनका प्रकार, आयु तथा दशा को ध्यान में रखते हुये अवधारित किया जाय।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १६, १९७५

निरसन तथा अपवाद

४—(१) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७५†

खाद्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इस वर्ष गेहूं की जो लेवी हमारे प्रदेश में ली गयी वह उत्पादकों पर लगायी गयी । गेहूं की लेवी लगाते समय यह निर्णय किया गया कि किसानों की जो होल्डिंग्स हैं जिस पर रबी बोई जाती है और गेहूं के उत्पादन का जो क्षेत्र है उसके ऊपर क्रमिक आधार पर अर्थात् जिसको ग्रेडेड लेवी कहते हैं लगायी जाय । क्रमिक आधार को ठीक तौर से विधान में लाने के लिये यह संशोधन किया गया है । यह छोटा सा संशोधन है । इसके पहले जो संशोधन आया था उसमें कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी । उसमें शब्द थे कि "परिमाण नियत किया जायगा ।" यह परिमाण किस प्रकार नियत किया जा सकेगा यह विचारणीय प्रश्न था । इसको ठीक करने के लिये ही इसमें क्रमिक शब्द जोड़ा गया है । इस वर्ष हमारे प्रदेश में जो ग्रेडेड लेवी लगायी गयी वह सफल रही है और मैं ऐसा समझती हूं कि हमारा एक ऐसा सूबा है जिसने इस ग्रेडेड लेवी को सफल कर दिखाया और इसमें किसानों का भी पूरा सहयोग रहा । जो अब तक के आंकड़े हैं वह भी यह बताते हैं कि जिस तरह से ग्रेडेड लेवी लगायी गयी उसमें काफी अंश तक सफलता मिली और लेटेस्ट फिगर्स यह बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की वसूली और डाइरेक्ट परचेज मिलाकर ६ लाख १७ हजार ९३८ टन गेहूं की वसूली कर सके हैं । विभिन्न डिवीजन्स और कमिश्नरियों के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे वे लक्ष्य किसी एडहाक बेसिस पर नहीं थे बल्कि पूरी जांच पड़ताल के बाद निर्धारित किये गये थे । किसानों को डिमान्ड नोटिस दिया गया था । इस प्रकार पूरी जांच पड़ताल के बाद यह लक्ष्य निर्धारित किये गये थे । चूंकि उस समय सदन नहीं बैठ रहा था इसलिये यह संशोधन करना पड़ा । मैं आशा करती हूं कि माननीय सदस्य इस छोटे से संशोधन को स्वीकार करेंगे जो कि आगे चलकर हमारे सूबे में खाद्यान्न की वसूली का बेसिस भी बनने जा रहा है ।

कामरेड चन्दन सिंह (जिला झांसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में आबादी के लिहाज से उत्पादन ऐसा नहीं है कि हम खाद्य के मामले को स्वतन्त्र छोड़ दें । हमारी पार्टी की नीति रही है कि सरकार

---

†३१ जलाई, १९७५ की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[कामरेड चन्दन सिंह]

के पास एक विशेष भन्डार खाद्यान्न का होना चाहिये। एक तो पैदावार अधिक नहीं और दूसरे हमारे देश में प्राकृतिक प्रकोप बाढ़ आदि के होते हैं तो उसके लिये आवश्यक है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां खाद्यान्न की कमी है वहां खाद्यान्न भेजा जा सके। इसीलिये यह सब देखते हुए हमारी पार्टी प्रारम्भ से यह कहती रही है कि हमारे देश का खाद्यान्न का व्यापार पूरी तरह से सरकार के हाथ में होना चाहिये, इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। इसको व्यापारियों के हाथ में खुले रूप में नहीं छोड़ देना चाहिये। सरकार ने गत २ वर्ष पहले इसका प्रयोग किया। गेहूं का व्यापार अपने हाथ में लिया और मैं समझता हूं कि उस वक्त जितना भन्डार सरकार को चाहिये था, उतना गेहूं सरकार अपने पास में ले सकी। लेकिन अगले साल जहां व्यापारी ने हल्ला मचाया कि हमारे व्यापार का विनाश हो रहा है सरकार रोजगार छीने ले रही है मैं समझता हूं कि सरकार दब गई और फिर व्यापारियों के डर से गेहूं के व्यापार के राष्ट्रीयकरण को छोड़ दिया। सरकार ने व्यापारियों का विश्वास किया और थोड़े दिनों बाद इस नतीजे पर पहुंची कि जितना गल्ला चाहिये था उतना गल्ला व्यापारी नहीं दे रहे है, तो फिर सरकार ने उसी दौरान अपनी नीति बदली और लेवी के तौर पर गेहूं की वसूली की जिसका परिणाम यह हुआ कि पिछले साल बड़े-बड़े लोगों से वसूली न होकर केवल छोटे लोगों से वसूली हुई। सरकारी अधिकारी गांव में पहुंचे और छोटे को दबाया और बड़े लोगों से साठगांठ कर ली और इस तरह से जितना चाहिये था उतना भी नहीं इकट्ठा किया जा सका। पिछले साल के नतीजे पर इस साल लेवी का प्राविधान किया गया।

हमारी पार्टी ने यह जो क्रमिक लेवी—होल्डिंग्स के अनुसार लेवी लगाने की व्यवस्था का आमतौर से समर्थन किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि हमारे प्रदेश में खेती की व्यवस्था विभिन्न तरह की है इसलिये उसको देख लिया जाय कि किस तरह से हो। कहीं ऐसा न हो कि इस लेवी के कारण फिर छोटे किसानों पर भार पड़े और बड़े छूट जायं। सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था कि हम बड़े किसानों से वसूल करना चाहते हैं, लेकिन मैं ललितपुर और झांसी जिले के अनुभव से यह बताऊं कि इन जिलों में छोटे किसानों के साथ सख्ती की गई और अभी तक तो यह हुआ है कि पहले तो छूट रही कि जितनी लेवी है और जिस तरह से दी जा सके दे। छोटे किसानों ने आधी लेवी दी लेकिन बरसात में जब कि किसान अपने खेतों में लगा हुआ है, सरकारी अधिकारी दौड़ पड़े और उस क्षेत्र के किसानों से जबरदस्ती वसूली की जा रही है। लोगों को बाजार से खरीद-खरीद कर देना पड़ा, अपने खाने को जो रखा था गेहूं, उसको देना पड़ा। इससे पहले मैं खाद्य मन्त्री, खाद्य कमिश्नर महोदय से मिला था कि जो क्रमिक लेवी लगी है, उसमें जितनी गेहूं की फसल किसान ने बोई है उतने पर ही लेवी लगायें। हमारा जो झांसी और ललितपुर जिला है जो पतरुआ जमीन का इलाका है, वहां पर खेती की व्यवस्था इस तरह की है कि लोगों के पास १०-१० एकड़ और १५-१५ एकड़ जमीन तो है, लेकिन सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण २-३ एकड़ में ही गेहूं को पैदा करते हैं। अगर आपके ही आंकड़े के अनुसार मान लिया जाय तो दो-तीन एकड़ में गेहूं उतना ही पैदा होगा जितना खाने के लिये जरूरत है तो वह लेवी कहां से देगा? इस पर भी आपने लिया। इसी तरह से कुछ इलाका ऐसा है जो अच्छी जमीन वाला इलाका कहा जाता है लेकिन वह भी असिंचित है और वहां पर पैदावार तीन चार गुनी ही होती है; लेकिन वहां पर लेवी ली गई और लोगों को लेवी का गेहूं खरीद कर देना पड़ा।

मैं जब खाद्य कमिश्नर महोदय से मिला तो उन्होंने कहा कि हमने जिला अधिकारी को छूट दे दी है कि वह एक-एक किसान को देखकर छूट दे सकते हैं, लेकिन जब हम जिला अधिकारी के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि ऊपर से तो सख्ती से हुक्म पालन के आदेश आये है कि जैसी लिस्ट बना दी गई है उसी तरह से वसूली हो, नतीजा वही होगा। पहले जो

छूट रही है, वह उनके लिये समाप्त हो गई है। बड़े लोगों को जिनको १५ क्वीन्टल देना था उन्होंने आधा परघा दिया और जिस छोटे किसान पर ३ क्विन्टल है अगर उसने २ क्विन्टल दिया तो उस पर सख्ती दिखाकर वह एक क्विन्टल भी वसूल कर लिया गया लेकिन बड़े किसान से १०-२० क्विन्टल गेहूं भी नहीं वसूल किया गया। इस सख्ती का नतीजा यह हुआ कि बेचारे छोटे किसान के पास जिसके पास पैदा ही नहीं हुआ था, उसे बाजार से खरीद कर आपको देना पड़ा।

आपात् स्थिति की जो फिजा बनी थी कि गरीबों को राहत होगी, आपके इस कदम से लोगों में अन्दर-अन्दर असन्तोष व्याप्त हो गया है। इसलिये हम आपात् स्थिति को लाभकारी बनाने में असमर्थ हो गये हैं। मेरा कहना है कि सरकार ऐसी चीजों को मद्देनजर रखे, लेवी क्रमिक रखे तो उसकी पैदावार में से हिस्सा हो, न कि पैदावार उसने किया न हो, पैदावार हुई न हो, सिंचाई के साधन उपलब्ध न हों और लेवी एक्रेज के हिसाब से लगायें। एक्रेज के हिसाब से आप बड़े किसानों पर ज्यादा लेवी लगाये, इसके समर्थक हम हैं, हमारी पार्टी है और रहेगी। यही हमें निवेदन करना है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, इस लेवी के सम्बन्ध में थोड़ा कहना है पिछले सत्र में हमारे दल की ओर से कुछ शंकायें की गई थीं--उसकी वसूली के सिलसिले में और खासकर यह बात कही गई थी कि लेखपाल इस मामले में बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, बड़े-बड़े काश्तकारों को छूट मिल रही है और छोटे काश्तकारों को परेशान करके उनके खाने का गेहूं उनसे जबरदस्ती पकड़कर वसूल कर लिया जायेगा। जो सुविधायें देने की बात कही गई थी, वे नहीं मिलेंगी। आज भी ऐसे लोग हैं, जिन्होंने समय से पहले लेवी दे दी, लेकिन रसीद लिये घूम रहे हैं, उन्हें न तो तेल मिला, न सीमेंट मिली और न शक्कर मिली है। जब कि आपके स्पष्ट आदेश थे कि क्रय केन्द्रों पर सारी चीज मुहय्या रहेगी और किसानों को मिलेगी।

मेरे जिले बाराबंकी में किसी बड़े किसान ने अपने एरिया के हिसाब से गल्ला नहीं दिया है, लेकिन छोटे किसानों को बेजा तंग किया गया। आपने कहा कि सारे काश्तकारों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस दी गई, किन्तु मान्यवर, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। गांव सभा के प्रधान को उज्रदारी की मियाद निकल जाने के बाद में नोटिस भेज दी गई, लेखपाल और प्रधान ने बाद में लोगों को यह बताया कि आपको इतनी-इतनी लेवी जमा करनी है। लोगों को उज्रदारी करने का मौका भी नहीं मिला। यह ठीक है कि मेरा जिला भी टारगेट को पार कर गया है, लेकिन यह सारी की सारी कमियां आपको ध्यान में रखनी चाहिये। गल्ला वसूल तो अवश्य हो गया लेकिन आपके तरीके से किसानों को बड़ी परेशानियां हुई हैं। अब बड़े-बड़े किसानों के खिलाफ तो कुछ नहीं, लेकिन छोटे-छोटे जिन किसानों ने २-४ दिन ढिलाई बरती या इस तरह कहूं कि जिनके गल्ला नहीं पैदा हुआ, किन्तु लेखपाल द्वारा जबरदस्ती गल्ला लाद दिया गया, उनके खिलाफ डी० आई० आर० के मुकदमें थानों में एम० डी० एम० आदि द्वारा कायम किये जा रहे हैं। वे कायम कर दिये गये हैं। मेरे पास क्षेत्र के लोग शिकायत लेकर आये कि हमने बाद में जमा कर दिया, अब हमें क्यों परेशान किया जा रहा है, मुकदमें खत्म होने चाहिये। इस पर मैंने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा अब हम क्या करेंगे? तो यह चीज पहले से आपको करनी थी। यह एक प्रकार का केवल टेक्निकल आफेंस है। टेक्निकल आफेंस मानते हुये, जिन लोगों ने डी० आई० आर० के मुकदमें कायम होने के बाद अपनी लेवी जमा कर दी है, आप जिलाधीशों को आदेश भेज दें सारे जिलों में कि जिन लोगों ने लेवी जमा कर दी है उनके खिलाफ मुकदमा न चलाया जाय या खत्म कर दिया जाय।

एक बात और है। खाली लेवी लगाने से हमारी पार्टी समर्थन करती है, पूरा व्यापार अपने हाथ में सरकार ले ले लेकिन जो वादे किसानों को देने के लिये किया जाता है, वह कुछ पूरा नहीं होता है। चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे डालडा हो या मोटे कपड़े का सवाल हो,

[श्री रामचन्द्र बक्श सिंह]

लोगों को पता नहीं चलता कि न्याय पंचायत के स्तर पर सारी की सारी जरूरत की चीजे कहा मिलेंगी, माननीय सदस्य कहते रहें कि देहातों में उन किसानों को जिन से गल्ला ले रहे हैं, जिन पर डी० आई० आर० के मुकदमे कायम करवा रहे हैं छोटे किसानों पर, उनको महसूस हो कि उनको भी कुछ दे रहे हैं। आप कपड़े पर लेवी लगा कर, सारी आवश्यक वस्तुओं पर लेवी लगा कर प्रबन्ध करें कि न्याय पंचायत के स्तर पर निश्चित रूप से मिलें। जिस तरह से किसानों के घर में घुस कर आपके अधिकारी गल्ला वसूल कर लेते हैं, तो कम से कम यह निश्चित कर लें कि वाकई इस तरह का उनको सामान मिला है। इसके बारे में कानून बनाइये।

आपके विभाग में कौन अधिकारी हैं, और कौन मन्त्री है पता नहीं चलता। आपको मैंने कई बार बाराबंकी जिले के बारे में लिखा। एक चौथाई कोटा शकर के सालों से सस्पेंड पड़े हुये हैं। कई बार पत्र दे कर बात कही गयी। आपसे कहा गया जो आपको पत्र दिया जायगा, वह नीचे के अधिकारियों के पास चला जायगा। उस पर कुछ होने वाला नहीं है। जिला पूर्ति अधिकारी और उनके नीचे के अधिकारियों की साजिश है कि न्याय पंचायत के लोगों को पता न चले कि कहां सामान मिलेगा। शिकायत पर शिकायत लेकिन ईमानदार आदमी आपके यहां से हटा दिये जायेंगे लेकिन जितने बदमाश आदमी हैं वह रखे जायेंगे। तीन चार रोज पहले मैंने पत्र दिया था। किरोसीन आयल के सिलसिले में एक प्रश्न दिया था। लिखित कम्पलेन्ट दे दिया। जिला अधिकारी ने रेकमेंड किया कि बख्शी और तिवारी पूर्ति निरीक्षक तत्काल हटा दिये जायं प्रशासनिक आधार पर। लेकिन वह वहां पर टिके हुये हैं। उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ। सात-आठ महीने का एक इन्स्पेक्टर था, शायद उसको मौका नहीं मिला था बेईमानी करने का ईमानदार था, उसको वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया। और जिलाधीश ने प्रशासनिक आधार पर जिनको ट्रान्सफर करने के लिये रेकमेंड किया था वह टान्सफर नहीं किये गये। मैंने आपको लिख कर दे दिया। लेकिन आपके यहां लिख कर आ जाता है, आपका पत्र प्राप्त हुआ। उचित कार्यवाही के लिये भेज रहे हैं। इस पूर्ति विभाग के अन्दर जितनी गड़बड़ियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। यह बड़े महत्व का विभाग है। खाली कुछ लैवी वसूल हो गयी इससे काम चलने वाला नहीं है। किसान आम तौर से यह महसूस करे कि आपका विभाग खाली वसूली के लिये ही नहीं, कुछ देने के लिये भी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी —

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की, जिन्होंने डिबेट में भाग लिया, आभारी हूं। माननीय सदस्य झांसी द्वारा यह बताया गया कि किसानों के ऊपर लेवी लगी है। उसमें कुछ छोटे किसानों के साथ ज्यादती हुई और ठीक से जो पड़ताल होनी चाहिये यह सब नहीं की गयी है। मैं ऐसा समझती हूं कि इस बार जिस तरह से पड़ताल करायी गयी और होल्डिंग्स के हिसाब से, जो रबी की होल्डिंग है उसको ध्यान में रख कर जो पड़ताल करायी गयी, एक बड़े काफी विचार विनिमय के बाद, जितने क्षेत्रफल पर गेहूं बोया जाता है उससे यह ऐवरेज निकाल कर ग्रेडेड लेवी का आंकड़ा रखा था। सिंचित और असिंचित का भी ख्याल रखा गया है और बुन्देलखंड की धरती जहां पर १ और १ १/२ का ख्याल होता है, उपज और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी इसमें समावेश किया गया है। लेवी लगाने के पूर्व सरकार ने इन सारी बातों पर गौर किया था और फिर लेवी लगाई गई थी। यह कहना कि लेवी छोटे किसानों पर लगाई गई है और बड़े किसानों को छोड़ दिया गया, मैं समझती हूं, यह बात सही नहीं है। यह सही स्थिति भी नहीं है। यहां पर तो जब पहले ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्रेडेड लेवी लगाई गई तो ७२.४ प्रतिशत किसान इस प्रदेश के जिसे हम छोटे किसान कहते हैं, ३ १/४ एकड़ वाले, वे छोड़ दिये गये हैं। जब ७२.४ प्रतिशत छोटे किसान छोड़ दिये गये हैं तो छोटे किसान तो इस ग्रेडेड लेवी के अन्तर्गत आते ही नहीं हैं। उसके बाद वे किसान आते हैं जो कि ३ १/४ एकड़ से ६ १/४ एकड़ वाले हैं। उन पर भी केवल १५ प्रतिशत लेवी लगी थी और इस १५ प्रतिशत में जो किसान आते हैं उनकी संख्या करीब-करीब २७ लाख है जो कि ३ १/४ से ६ १/४ एकड़ के अन्तर्गत आते हैं। इनमें से भी बहुतों ने दे दिया है।

अभी माननीय सदस्य, बाराबंकी, कह रहे थे कि इन्डिविजुवल लोगों को डिमान्ड नोटिस नहीं दिये गये क्योंकि पंचायत घरों में नोटिस टांग दिये जाते हैं। मेरा निवेदन है कि दोनों प्रकार से नोटिस सर्व होते हैं, पंचायतों में भी टांगे जाते हैं और इन्डिविजुअल्स को भी नोटिस दे दिया जाता है। हो सकता है कि कहीं-कहीं देर से पहुंचा हो, इससे मैं इन्कार भी नहीं करती हूं लेकिन इन्डिविजुअल नोटिस भी दिये गये हैं। मैं स्वयं भी बहुत से क्रय-केन्द्रों पर गई, वहां पर किसानों से पूछा तो उन्होंने खुद वह डिमान्ड नोटिस दिखाये। जब मैंने उनसे पूछा कि कितनी लेवी लगी है तो उन्होंने अपनी जेब से वह कागज, जो डिमान्ड नोटिस की शक्ल में था, निकाल कर दिखाया और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने लेवी दी है। १५ जुलाई तक जो हमारा लेवी अभियान चला था उसमें २७ लाख किसानों में से ४,२६८ किसान बाकी रह गये थे जिन्होंने उसको नहीं दिया था लेकिन लेटेस्ट फीगर यह बताती हैं कि काफी हद तक लोगों ने लेवी दे दी है? २५ प्रतिशत का हिसाब जिन काश्तकारों पर लेवी का लगाया था उसमें भी बहुत थोड़े किसान रह गये हैं, और परमेन्टेज आफ होल्डिंग्स की दृष्टि से २ प्रतिशत या १ प्रतिशत जो किसान आते हैं, ये सब बहुत बड़े किसान हैं। यह ग्रेडेड लेवी है, कोई अन्दाज के ऊपर या एडहाक लेवी नहीं है। तो बड़े और छोटे का सवाल नहीं आता है। जो भी किसान, जिनको हमने एक्जेम्प्ट कर दिया है, उसके बाद जिनके ऊपर लेवी तय होती है, वह हर व्यक्ति चाहे वह ३ १/४ एकड़ के ऊपर के किसान हों या उसके ऊपर देय हो उनको देना है। १५ जुलाई के बाद जब लेवी देने का समय समाप्त हो गया, किसानों को जो सुविधायें दी जा रही थीं, वह अब उन्हें न देकर गेहूं वसूला जा रहा है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वे बताते हैं। अब तक करीब-करीब ९८ परसेंट किसानों ने अपनी लेवी दे दी है। अभी कल ही एक विधायक हमारे पास गये और एक पत्र दिया और कहा कि १५ अगस्त तक का लेवी देने के लिये टाइम दे दीजिये। उनके दो पुत्र और वह अकेले, तीनों के बीच में जमीन थी। लेकिन लड़के तो बेचकर चले गये और खुद नहीं दे पाये हैं। तो बहुत से लोग पहले समझते थे कि शायद सरकार लेवी छोड़ देगी और उनको देना नहीं पड़ेगा। कुछ बड़े किसान हैं, बड़ी होल्डिंग के सेंस में ही नहीं बल्कि जो जाति, नेतृत्व या पोजीशन की दृष्टि से बड़े समझे जाया करते थे। वह समझा करते थे कि सरकार बाद में छोड़ देगी इसलिये उन्होंने कुछ अंश में दिया कुछ नहीं दिया। लेकिन हमने सब पर नोटिस दी है और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को कि सबके साथ एक सा व्यवहार किया जायगा। किसी को हैरस करने की बात नहीं है। हमने अबकी बार अपने अधिकारियों को किसानों के घर नहीं भेजा है। जो डिफाल्टर हैं उन पर डी० आई० आर० या एसेंश्यल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत नोटिस होंगी और कानूनी कार्यवाही होगी। तो इससे कोई छोड़ा नहीं जायगा। कुछ लोग विधायक हैं इस सदन के मेम्बर हैं या पार्लियामेंट के हैं या ऊंची पोजीशन के हैं उनको मैंने व्यक्तिगत पत्र भी लिखे जिससे वे लेवी दे दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार छोड़ने वाली नहीं है। तो एसेंश्यल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत जो एफ०आई० आर० जिनके खिलाफ लार्ज की है उनकी टोटल संख्या २९८३ है और उनमें से ७४३ लोग अरेस्ट भी हुये हैं। तो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जायगा और किसी को बिना बात के परेशान भी नहीं किया जायगा। जो लोग जमा करते जायेंगे उसके बाद जानबूझकर जेल में भी नहीं रखेंगे। मैं समझती हूं मेरी इस व्याख्या के बाद सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

एक स्पष्टीकरण चाहता था। मैं माननीया मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि डी० आई० आर० में मुकदमा लाज होने के बाद जिन लोगों ने जमा कर दिया है लेवी, उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा या नहीं, या इस तरह के इन्स्ट्रक्शन्स भेज देंगी कि जो जमा कर दें उनके खिलाफ मुकदमें न चलाये जायं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

कानूनी दृष्टि से मैं नहीं कह सकती कि किस प्रकार से हो सकता है। इतना आश्वासन दे सकती हूं कि बिना बात के किसानों को हमें परेशान नहीं करना है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७५ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, खंड ३, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

१--(१) यह अधिनियम आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

१९५५ का अधिनियम संख्या १० की धारा ३ का संशोधन

२--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की यथासंशोधित उप-धारा (२) में आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७५ द्वारा यथाप्रतिस्थापित खण्ड (च) के स्पष्टीकरण, में उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात् :--

"(२) उस विशिष्ट खाद्यान्न के, जिसके सम्बन्ध में आदेश हो, उत्पादन के लिये खेती के अधीन क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रत्येक उत्पादक द्वारा विक्रय किये जाने के लिये परिमाण नियत किया जा सकेगा अथवा नियत किये जाने के लिये व्यवस्था की जा सकेगी और विभिन्न उत्पादकों द्वारा धृत अथवा उनकी खेती के अधीन कुल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ऐसा परिमाण क्रमिक आधार पर नियत किया जा सकेगा अथवा नियत किये जाने के लिये व्यवस्था की जा सकेगी।"

उ० प्र० अध्यादेश संख्या १७, १९७५ निरसन

३--आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २, खंड ३, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७५ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश फंडामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री जगदीश शरण अग्रवाल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, फिर यह विधेयक जो मैं माननीय सदन के समक्ष रख रहा हूं एक छोटा सा विधेयक है। एक अध्यादेश आया था उसको रिप्लेस करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। मैंने अभी निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक मकसद की ओर तेजी से बढ़ रही है। हमने यह एलान किया है कि हम प्रदेश में भ्रष्टाचार का निवारण करेंगे, जखीरेबाजी और मुनाफाखोरी जैसी चीजों का उन्मूलन करेंगे और जनता में जो अनसोशल एलीमेन्ट्स हैं उनके प्रति कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे। जब यह निश्चय हमने किया तो यह करेस्पांडिंग ड्यूटी शासन की है कि हम अपने शासन को भी स्ट्रीमलाइन करें। हम इस बात का भी प्रयास करें कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी भी स्क्रीनिंग करें और अगर हम इस नतीजे पर आयें कि कहीं ढील हो रही है हमारी नीतियों के कार्यान्वयन में तो हम कठोर से कठोर कार्यवाही कर सकें। प्रस्तुत विधेयक की उसी की तरफ एक कदम है। पहले रूल ३६४ और ३६५ में यह प्राविधान था कि ५५ वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति रिटायर हो सकता है २५ वर्ष की उसकी सेवायें अगर हो जायं। हमने इस विधेयक के द्वारा यह प्राविधान किया है कि अगर एक कर्मचारी ५० वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और अगर ऐसा समझा जाय कि जनहित में आवश्यक है तो उसको कम्पलसरीली रिटायर किया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति २० साल की सेवायें कर चुका है और जनहित में आवश्यक है तो उसको रिटायर कर सकते हैं।

आप भली भांति परिचित हैं कि सर्विस एक तरह का अनुबन्ध होता है और उसमें रेसीप्रोसिटी होती है। अगर हम ५० वर्ष में उनको रिटायर करने का अधिकार लेते हैं और २० वर्ष की सेवाओं के बाद रिटायर करने का अधिकार लेते हैं तो हमें उन्हें करेस्पांडिग अधिकार देना पड़ेगा कि अगर वह चाहें तो ५० वर्ष की आयु के बाद या २० वर्ष की सेवाओं के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो वह भी हमने इसमें प्राविधान किया है। जो हमारा संकल्प है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करें उसके लिये यह भी बहुत हद तक सहायक होगा। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि यह माननीय सदन इसको अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, जहां तक माननीय मन्त्री जी ने बिल के उद्देश्यों के बारे में बताया, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह सदन उसका स्वागत करेगा। इमरजेन्सी २६ जून को लागू हुई। माननीय मन्त्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में यह कहना कि यहां

---

†३१ जुलाई, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

भ्रष्टाचार का कतई उन्मूलन हो चुका है सही बात नहीं होगी। आपके सामने तमाम अधिकारियों के रेकार्ड मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के बारे में लगातार खबर सुनता हूं कि इतने अधिकारी निकाल दिये गये। मैं जानना चाहूंगा कि २६ जून के बाद से उत्तर प्रदेश के अन्दर कितने वरिष्ठ अधिकारियों को नौकरी से हटाया गया, कितनों को कम्पलसरी रिटायर किया गया। किसी अखबार में मुझे यह सूचना नहीं मिली। माननीय मंत्री जी यह सूचना बतलाने की कृपा करें। मैं जानना चाहता हूं कि इमरजेन्सी लागू होने के बाद इस दिशा में क्या कदम उठाये गये? इसके विपरीत हो क्या रहा है? जो ५८ वर्ष की रिटायरमेंट एज भी पार कर चुके हैं उन्हें आप एक्सटेन्शन दे रहे हैं। छोटे अफसरों को निकाल रहे हैं। लेकिन जो ब ड़े-ब ड़े अफसर हैं, हेड आफ दि डिपार्टमेंट हैं उनके लिये आप कारपोरेशन्स आदि बना कर आप जगह बना रहे हैं और उनको वहां जगह दे रहे हैं। अगर इस समय भी आपने इमरजेन्सी का फायदा उठाकर भ्रष्ट अधिकारियों को न निकाला तो आप प्रदेश का शासन सम्भाल नहीं पायेंगे। मध्य प्रदेश ने इसके लिये मिसाल कायम की है। उसी तरह आपको भी काम करना चाहिये।

श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे, माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी ने जो बिल रखा है, उस पर बोलने का अवसर दिया। बहुत सी कमोडिटीज के बारे में अभी हाल ही में हमने देखा.....

श्री अध्यक्ष—

अब दूसरा बिल चल रहा है, वह तो पास हो गया।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब विरोध पक्ष ने कह दिया कि हम कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे तो क्या उन्होंने अपना निणय बदल दिया है?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हू कि उनके विभाग में बहुत काम करने के लिये पड़ा हुआ है और १०-१० साल से कुछ केसेज ऐसे पड़े हैं जिसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ है, जैसे हमारे यहां के कछुआ हास्पिटल का मामला है। जमीन का मामला १० साल से पड़ा है। तो वे अपने डिपार्टमेंट को बढ़ायें ताकि काम जो पड़ा हुआ है, वह पूरा हो सके।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो यह विधेयक रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारी नगरपालिकाओं, म्युनिसिपैलिटीज, नोटिफाइड एरियाज और टाउन एरियाज में जो कर्मचारी हैं उनकी सेवा मुक्ति से सम्बन्धित यह विधेयक है। इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि ५० वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद यह देखा जायेगा कि इस दौरान उसके सेवा काल में उस कर्मचारी या अधिकारी का काम कैसा रहा।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस बिल का कोई भी सम्बन्ध टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज या म्युनिसिपैलिटीज के कर्मचारियों से नहीं है। उन कर्मचारियों पर तो यह लागू ही नहीं होता है। यह तो राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

मेरा मतलब है कि माननीय मंत्री जी का वह विभाग है इसलिये यह बात कही जा सकती है। आज जो ५० वर्ष की उम्र तक सेवा करने वालों की बात कही जाती है, म तो यह कहूंगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि हर तीसरे साल यह देखा जाना चाहिये कि कौन अधिकारी है, कौन कर्मचारी है जो सन्तोषपूर्ण ढंग से काम नहीं कर रहा है और यदि उसकी उम्र ५० वर्ष नहीं, ४० साल ही हो और २५ वर्ष की उम्र में नौकरी में आ गया हो और उसकी सर्विस १५ वर्ष की हो तब भी ठीक से काम न करने पर उसे नौकरी में रहने की छूट नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि सर्विसेज के कुछ ऐसे कायदे कानून होने चाहिये--मैं यह अपनी इच्छा से कह रहा हूं, यद्यपि हमारे यहां जो कानून हैं, जो व्यवस्था है, वह बहुत पुरानी है। अंग्रेजों के जमाने का ही एजुकेशन कोड बना हुआ है, आई० पी० आर० है, आई० पी० सी० है, इस तरह से जो नियम कानून बने हुए हैं, उनको कैंसिल करके हम चाहते हैं कि इनको नये सिरे से बनाया जाय। सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कुछ थोड़ी सी सर्विस कम होने से नियुक्ति होने पर लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया। मैं तो कहता हूं कि सीनियारटी की बिना पर प्रमोशन का क्लेम नहीं होना चाहिये, बल्कि काम देख कर--जिस आदमी का अच्छा काम हो उसी को प्रमोशन मिलना चाहिये। किसी आदमी को उसके अच्छा काम करने पर ही पदोन्नति मिलनी चाहिये। आपने जो यह कह रखा है कि ५० वर्ष की उम्र तक सभी काम करते चले जायं, चाहे उनके काम करने का ढंग ठीक न हो, यह नहीं होना चाहिये। इसके लिये कोई ऐसा विधेयक लाया जाना चाहिये जिसके अधीन ऐसी व्यवस्था हो कि अच्छे लोगों को पारितोषिक मिल सके और बुरे लोगों को सजा मिल सके। जब तक आप ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे ठीक से काम नहीं होने का। यदि कोई अच्छा आदमी हो जिसकी नौकरी १० साल की भी हो तो उसका डबल प्रमोशन हो जाना चाहिये और जो बुरे आदमी हों और १० साल की नौकरी हो तो उसका ३ इनक्रीमेंट रोक देना चाहिये। साथ ही रिटायरमेंट के सम्बन्ध में ऐसा कायदा कानून होना चाहिये कि किसी आदमी के बारे में जब भी यह मालूम हो जाय कि वह ठीक से काम नहीं कर रहा है तब से ही उसके काम को देख कर, नापजोख कर एक पैमाने के आधार पर उसे काम से हटा दिया जाय। डे टु-डे के वर्क को देख कर भी आप कुछ लोगों को उनकी सेवा से मुक्त कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य को शायद भ्रम है कि ५० वर्ष की उम्र तक सर्विसेज के बीच में और कोई सजा गलत काम करने पर नहीं है और उनको छूट है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

सजा देने में और निकालने में अन्तर है। मेरा विचार है कि जो अच्छे वर्कर्स हैं, वे ५० वर्ष तक अच्छा काम करते रहने पर भी कोई पारितोषिक नहीं पाते हैं तो उनको तकलीफ होती है। जो अच्छा काम करते हैं उनको उत्तरोत्तर तरक्की मिलनी ही चाहिये।

मैं श्री नेगी जी की भावना का समर्थन करता हूं कि जो छोटे कर्मचारी हैं, छोटे अधिकारी हैं, उनके साथ न्याय नहीं होता है। उनका काम अच्छा होने पर उसकी जांच की कोई व्यवस्था होनी चाहिये। होता यह है कि ऊपर वाले लोग पक्षपात पूर्ण भावना से या कभी-कभी द्वेषपूर्ण भावना से इस तरह के काम करते हैं। और बड़े अधिकारियों या छोटे अधिकारियों के लिये जो भी दंड प्रक्रिया या रिटायरमेंट की प्रक्रिया हो वह ऐसी होनी चाहिये जिससे वह छूट न सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद रफी खां--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट में आई० पी० एस० और आई० ए० एस०, एलाइड सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं उनके रिटायरमेंट के सिलसिले में हम कोई ऐक्शन ले सकते हैं, ५० साल के बाद या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह जानना चाहते हैं कि इस कानून से आप आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकते हैं ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

हम कार्यवाही कर सकते हैं। जो हमने नियम बनाये हैं संविधान के प्राविधान के अन्तर्गत उसकी ओवर लैपिंग धाराओं के अन्तर्गत इसको व्यवस्थित कर सकते हैं।

मान्यवर, मैं कृतज्ञ हूं माननीय सदस्यों का कि उन्होंने, अधिकांश लोगों ने मौन रहकर और कुछ लोगों ने बोलकर इस विधेयक का स्वागत किया। माननीय नेगी जी ने पूछा कि वह जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत से सरकारी आदमियों को दंडित किया गया और इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश ने क्या किया ? मैं इस दोष के अपराध को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बातों का प्रचार उतनी तेजी से नहीं करती है जितनी तेजी से मध्य प्रदेश करता है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने इस दिशा में बहुत कड़ाई से कदम उठाये हैं और हर विभाग में, वह कह रहे थे कि वहां १०-२०-५० पर ऐक्शन लिया गया है, मैं तो कहना चाहता हूं कि हमने हजारों के खिलाफ ऐक्शंस लिया है। अभी माननीया खाद्यमंत्री जी यहां पर बैठीं थीं उन्होंने बताया कि ८ डी० एस० ओ०, जो गजटेड आफिसर होते हैं उनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया और सस्पेंड किया गया। उनके यहां ३ हजार आदमियों पर ऐक्शन लिया गया। १२ सौ मामलों में निर्णय ले लिया गया और शेष मामले विचाराधीन हैं। यह एक विभाग की बात नहीं है। जहां भी शिकायतें हैं उनकी तरफ ध्यान देकर ऐक्शन लिया जा रहा है। मैं स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित हूं और आवास विकास विभाग से भी संबंधित हूं। वहां पर हमने तेजी से इस कार्य को किया है और काफी संख्या में हमने ऐक्शन लिये हैं। हमने पिछले हफ्ते में नगर-पालिकाओं, टाउन एरियाज को सुपरसीड किया है, जहां करप्शन के चार्जेज हैं, वहां अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है, उनको मुअत्तल किया है और डिस्पोजल की कार्यवाही कर रहे हैं।

मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि ५० साल के बाद कार्यवाही करेंगे उसके पहले भी कार्यवाही होनी चाहिये। आपने उनके भ्रम को मान्यवर, दूर किया। ५० वर्ष के बाद रिटायर तो हम करेंगे ही फिर भी हमारे जो अन्य अधिकार और नियम हैं, हर वक्त उनके मुताबिक हम कार्यवाही करते रहेंगे। माननीय सदस्य ने कहा कि ३० साल के बाद रिटायर किया जाना चाहिये तो मान्यवर, ३० साल की उम्र में जीवन का आरम्भ होता है, आरम्भिक जीवन होता है। इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य ने यह भी सुझाव दिया कि ३ वर्ष के अन्दर स्क्रीनिंग होनी चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों को मुख्य मंत्री जी ने इन्टरनल परामर्श दिया है और विभागाध्यक्षों की समिति में यह निश्चय किया है कि हम ६ महीने में स्क्रीनिंग करेंगे सारे अधिकारियों की ओर यदि ग ब ी पायेंगे तो कड़ी से क ी कार्यवाही करेंगे। ऐक्शन लेंगे। तो जो माननीय सदस्य ३ साल की बात कह रहे थे उसके लिये ६ महीने में स्क्रीनिंग करने का इरादा लिया है। हमारा अपना निश्चय यह है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीम लाइन करेंगे और जो उद्देश्य और लक्ष्य हैं उनकी उपलब्धि करेंगे। यदि कहीं गति अवरोध होता है, कोई लक्ष्य विरोधी कार्य होता है, भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो मान्यवर, क ी से क ी कार्यवाही की जायगी। मैं आशा करता हूं कि इतने स्पष्टीकरण के बाद अब इस पर एक मत से समर्थन प्राप्त होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि हजारों कर्मचारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया है। तो क्या मंत्री जी के पास सूचना है कि कितने राजपत्रित अधिकारी हैं और कितने पी० सी० एस० हैं जिन पर इमरजेन्सी के बाद ऐक्शन लिया है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मान्यवर, इतना बड़ा स्पेसिफिक जवाब देना मेरे लिये इस समय असम्भव है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि काफी के खिलाफ ऐक्शन लिया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फंडामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, ४, ५, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

फण्डामेन्टल रूल ५६ का अग्रेतर संशोधन करने तथा सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में परिणामस्वरूप संशोधन करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा वैधीकरण

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

फण्डामेन्टल रूल ५६ का संशोधन

२—फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड २, भाग २ से ४ तक में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के समय-समय पर यथासंशोधित नियम ५६ (जिसे आगे उक्त नियम ५६ कहा गया है) में—

(१) खंड (क) के वर्तमान परन्तुकों व उनके स्पष्टीकरणों को निकाल दिया जाय ;

(२) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रख दिये जायं, अर्थात् :—

"(ग) खंड (क) या (ख) में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी) नोटिस देकर बिना कोई कारण बताये उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवा-निवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है, या ऐसा सरकारी सेवक पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या बीस वर्ष की अर्ह सेवा पूरी कर लेने पर किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर स्वेच्छया सेवा निवृत्त हो सकता है।

(घ) ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) किसी ऐसे सरकारी सेवक को पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से, ऐसी नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर तत्काल सेवा–निवृत्त किया जा सकता है, और ऐसी सेवा–निवृत्ति पर सरकारी सेवक, नोटिस की अवधि के लिये या, यथास्थिति, ऐसी नोटिस तीन मास से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिये

उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन का दावेदार होने का हकदार होगा जिस दर पर वह उनके अपनी सेवा–निवृत्ति के ठीक पहले पा रहा था।

(२) यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो वह किसी सरकारी सेवक को किसी नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर, और नोटिस के बदले में उससे किसी शास्ति का भुगतान करने की अपेक्षा किए बिना, सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दे सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसके विरुद्ध, अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन या आसन्न हो, दी गई नोटिस तभी प्रभावी होंगी जब वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाय, किन्तु किसी आसन्न अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दे दी जायगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि स्वेच्छया सेवा निवृत्त होने के लिए खंड (ग) के अधीन सरकारी सेवक द्वारा एक बार दी गई नोटिस उसके द्वारा, नियुक्त प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय, वापस नहीं ली जा सकेगी।

(ङ) प्रत्येक सरकारी सेवक के जो इस नियम के अधीन सेवा-निवृत्त होता है या जिससे सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, सुसंगत नियमों के अनुसार और उनके प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, सेवा-निवृत्ति पेन्शन देय होगी और सेवा-निवृत्ति संबंधी अन्य लाभ, यदि कोई हों, उपलब्ध होंगे।

स्पष्टीकरण––(१) नियुक्ति प्राधिकारी खंड (ग) के अधीन उसमें यथा विनिर्दिष्ट सेवा-निवृत्ति के लिये सरकारी सेवक से अपेक्षा करने का निर्णय उस प्राधिकारी के द्वारा यह बात लोकहित में प्रतीत होने पर लेगा, किन्तु यहां पर दी गई किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि आदेश में इसका उल्लेख करने की अपेक्षा की गई है कि ऐसा निर्णय लोक हित में लिया गया है।

(२) प्रत्येक ऐसा निर्णय, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, लोक हित में लिया गया उपधारित किया जायगा।

(३) पद "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे ऐसे पद पर या सेवा में, जिससे सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा सरकारी सेवक से की गई हो या सरकारी सेवक सेवा-निवृत्त होना चाहता हो, मौलिक नियुक्ति करने की तत्समय शक्ति प्राप्त हो और पद "अर्ह सेवा" का वही अर्थ होगा जो सेवा–निवृत्ति पेंशन से सम्बन्धित सुसंगत नियमों में दिया हो।

(४) नियुक्ति प्रधिकारी का प्रत्येक आदेश, जिसमें सरकारी सेवक से इस नियम के खंड (घ) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन तत्काल सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की गई हो, जारी किये जाने के दिनांक के अपराह्न से प्रभावी होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसके जारी किये जाने के पश्चात् सम्बद्ध सरकारी सेवक सदाशयता से और उस आदेश की अनभिज्ञता से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करता है तो उसके कार्य को, इस तथ्य के होते हुए भी कि वह पहले ही सेवा-निवृत्त हो गया, विधिमान्य समझा जायगा।"

सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के आर्टिकिल ४६५ तथा ४६५-ए का विखण्डन

३—उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के लिये यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के आर्टिकिल ४६५ और ४६५-ए एतद्द्वारा विखंडित किये जाते हैं, सिवाय उन बातों के जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व तद्धीन की गई हों या अकरित हो ।

अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व जारी किये गये आदेशों पर लागू होना

४—(१) यदि १ नवम्बर, १९७३ को या उसके पश्चात् उक्त नियम ५६ के खंड (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन या सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के आर्टिकिल ४६५ के नोट १ के अधीन या आर्टिकिल ४६५—ए के नोट १ के अधीन कोई आदेश दिया गया हो या दिया जाना अभिप्रेत हो जिसमें किसी सरकारी सेवक से बिना नोटिस के या तीन मास से कम अवधि की नोटिस पर सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की गई हो तो यदि ऐसे सरकारी सेवक को उक्त तीन मास की सम्पूर्ण अवधि या उसके भाग के लिये वेतन पहले ही नहीं दे दिया गया हो तो वह तीन मास की पूरी अवधि के लिये या, यथास्थिति, नोटिस तीन मास से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिये उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते की, यदि कोई हो, धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने का हकदार होगा जिस दर पर वह ऐसे आदेश के दिनांक के ठीक पहले पा रहा था।

(२) संदेहों को दूर करने के लिये, एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उक्त नियम ५६ या उक्त रेगुलेशन्स या उस निमित्त किसी आदेश या अनुदेश की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि आदेश द्वारा अपेक्षित सेवा–निवृत्ति के पूर्व या साथ–साथ नोटिस की सम्पूर्ण अवधि या उसके भाग के लिये सरकारी सेवक को वस्तुतः भुगतान करने की अपेक्षा कभी भी की गई है, और ऐसा भुगतान न करने से आदेश की विधि मान्यता पर न तो कोई प्रभाव पड़ेगा और न कोई प्रभाव कभी पड़ा हुआ समझा जायगा, भले ही किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में कोई प्रतिकूल बात दी हो, और राज्य सरकार चाहे तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीन मास के भीतर किसी ऐ निर्णय, डिक्री या आदेश के पुनर्विलोकन के लिये किसी न्यायालय को आवेदन कर सकती है ।

(३) शासनादेश संख्या ५/२/१९७३-नियुक्ति (३), दिनांक २ नवम्बर, १९७३ उसी दिनांक से निरस्त हुआ समझा जायगा, व सेवा-निवृत्ति का कोई आदेश इस आधार पर अवैध नहीं समझा जायगा या कभी अवैध हुआ नहीं समझा जायगा कि वह उक्त शासनादेश से असंगत है ।

निरसन तथा अपवाद

उ० प्र० अध्यादेश संख्या १४, १९७५

५—(१) उत्तर प्रदेश फंडामेंन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम ७ जून, १९७५ को प्रवृत्त हो गया था ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४, ५, खंड १ , प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फंडामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फंडामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा (क्रमागत)†

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आपका, आभारी हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं भूगोल का विद्यार्थी रहा हूं इसलिये कह सकता हूं कि बाढ़ का सम्बन्ध वन, बांध और वृक्षारोपण से है । बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये पहले वन हैं। यदि जंगल कटते रहें और भूमि नंगी होती रही तो बारिस होने से मिट्टी बहती चली जायेगी। यदि हिमालय पर अधिक से अधिक वन लगायें और मैदानी भागों को भी वनों से अच्छादित कर दें तो बाढ़ बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं । मान्यवर, हमने यह भी कहा था कि हम यदि दूर दृष्टि से सोचें तो १०–२० साल के लिये नहीं, हजारों सालों के लिये निश्चित है कि हिमालय का हिस्सा जहां पानी रहता है वहां वन रहने चाहिये । अब प्रश्न है कि वहां लोग बस गये हैं, उनके बच्चे बसर कर रहे हैं । तो हिसाब मैंने लगाया था कि आज से १० साल पहले ४२ रुपये किलो तेल की कीमत आती थी । इसमें बैल की मेहनत, मजदूरी, गुड़ाई और निराई सभी शामिल हैं । यदि वहां वृक्ष लगाये जायं और उद्योग खोले जायं तो उससे जंगल कटने रुक जायेंगे । और इससे बाढ़ की गति रुकेगी, नियंत्रित होगी, मेरा ऐसा विश्वास है । यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है कि जितने घने जंगल होंगे तो जो पानी पड़ता है वह पत्तियों में जज्ब हो जायेगा और इस तरह से भूमि में पानी ग्रहण करने की शक्ति ज्यादा होगी और इस प्रकार बाढ़ कम आयेगी।

दूसरी चीज है बांध । जहां पर पहाड़ों से आने वाली नदियां मैदान में मिलती हैं, वहां बांध बांध दें तो उससे भी बाढ़ रुकेगी । साथ ही आपको बिजली और मछलियां मिल सकेंगी । यहां पर मैं टिहरी बांध का जिक्र करना चाहता हूं । दस साल पहले वहां खुदाई शुरू कर दी गयी थी । इस बांध के विषय में कई बार काफी चर्चा हो चुकी है। अगर यह बांध बन जाय तो जितनी संपत्ति देश और प्रदेश की बाढ़ में नष्ट होती है, वह बच जायगी । कितने ही पशु मर जाते हैं, आदिमयों की जानें जाती है, सरकार को तकावी में रुपया देना पड़ता है, वह सब बच जायेगा । मेरा तो कहना है कि इस इमरजेन्सी में सरकार को अपनी नीति बनानी चाहिए कि जितने प्रस्तावित बांध हैं वह बनाये जायं । बाढ़ के प्रकोप से हर साल लोग त्राहि-त्राहि करते हैं, जन धन की हानि होती है, इसलिये इस बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये पूरे हिमालय में चाहे फल के वृक्ष हों या औद्योगिक उपयोग के वृक्ष हों वह लगाये जायं । इसी प्रकार खेतों में भी पेड़ लगायें । लेकिन इसमें यह है कि पेड़ दस साल में फल देने के काबिल होता है । इस दस साल में सरकार को चाहिये कि वह किसानों को कुछ सब्सीडी दे जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह कर सकें । मुझे खुशी है कि जब बाढ़ आती है तो सरकार उस तरफ चौकन्नी रहती है । अखबारों में भी हम इसकी बाबत पढ़ते रहते हैं । हमारी

---

†३१ जुलाई , १९७५ की कार्यवाही से ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रधान मंत्री ने भी एक लाख रुपया उत्तर प्रदेश के लिए दिया है। प्रदेशीय सरकार भी सहायता देती है। हमारी सभी की पूर्वी जिलों के और मैदानी क्षेत्र के लोगों के साथ सहानुभूति है और हम उनका जीवन सुखमय चाहते हैं। इसके लिये आवश्यक है कि बाढ़ पर नियंत्रण पायें और बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिये जरूरी है कि बड़े-बड़े बांध बनाये जायं और पहाड़ों पर पेड़ लगाये जायं। इन चीजों का विशेष महत्व होना चाहिये। मैं तो आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से जोरदार अपील करूंगा कि केन्द्रीय सरकार व्यवस्था करे कि बांधों का निर्माण कर जनता को एक नया जीवन दे। यही मैं कहना चहता था। मान्यवर, मैं आपका फिर से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बाढ़ के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया।

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

बाढ़ के सम्बन्ध में कल से बहस चल रही है। मैं इस सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। बाढ़ की समस्या ऐसी है जो हमारे प्रदेश के लिये बहुत ही गम्भीर है। अभी पिछले दिनों आल-इन्डिया मीटिंग हुई सिंचाई मंत्रियों की। उसमें मैं प्रदेश की तरफ से शामिल हुआ था। उसमें मैंने यह अर्ज किया था कि बाढ़ का मामला कोई प्रदेश अपनी शक्ति के आधार पर हल नहीं कर सकता। बाढ़ के लिये अगर यू० पी० अकेला अपनी समस्याओं पर गौर करे और उनको हल करे तो अरबों रुपयों की जरूरत होगी, लेकिन उतना न हमारे पास साधन हैं और न हम कर सकते हैं। तो मैंने यह तजवीज किया कि यह मामला बाढ़ का ऐसा है जिसे केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये और सभी सूबों को सहायता देनी चाहिये कि वह इस मसले को हल करने की कोशिश करे। मुझे खुशी इस बात की है कि जो तजवीज मैंने पेश की थी उसको दूसरे सूबों के सिंचाई मंत्री ने भी उसकी पूरी तरीके से ताईद की और उसके बाद वह तजवीज सर्वसम्मति से पास भी हो गई।

जहां तक बाढ़ का सवाल है, उसके बारे में पालिसी यही है कि हम जल्दी से जल्दी उस पर कन्ट्रोल करें लेकिन कोई प्रदेश चाहे वह यू० पी० हो, बिहार हो या कोई अन्य पीड़ित प्रदेश हो, वह अपने-अपने साधनों से पूरी तरह से हल नहीं कर सकता है। हमारी दुश्वारी यह है कि सन् १९७१ में जब बाढ़ आई थी तो हमें केन्द्रीय सरकार ने ५ करोड़ रुपया इसके लिये दिया था और यह वायदा किया था कि हर साल यह रुपया मिलता रहेगा, लेकन पिछले साल से वह भी बन्द हो गया। अब हम अपने साधन से कितना बाढ़ के सिलसिले में सुरक्षा के लिये काम कर सकते हैं, वह एक सीमित है और हमें जब हम अधिक नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिये एक दुश्वारी होती है। हमने केन्द्रीय सरकार से यह भी दरख्वास्त की कि ५ करोड़ रुपया जो दिया जाता था वह दिया जाय और अगले सालों के लिये जारी रखा जाय। हमें पिछले साल का भी दिया जाय और इस साल का भी।

जहां तक बाढ़ का इस साल का सवाल है, अभी हमारे साथी स्वामी प्रसाद जी ने कहा कि अब की दफा बाढ़ दरअसल जल्दी आ गई और उसके बिना पर फसलों की हानि हुई क्योंकि फसलें इब्तिदाई शक्ल में थीं। जहां तक हम लोगों की कोशिश का सम्बन्ध है, हमने एक सब कमेटी बना दी है जो बराबर गौर करती रही है बाढ़ की समस्या और उसके बारे में सहायता पर। जहां तक सम्भव हो सका है, हमने बराबर यह कोशिश की है कि बाढ़ के सिलसिले में पूरी-पूरी सहायता होनी चाहिये। हमारे साथी मेम्बरान ने जो कहा है, मैं उससे सहमत हूं कि माचिस, नमक बंटवाने से लाभ नहीं होगा, यह तो लोगों में गलत भावना पैदा करना हुआ, बल्कि उस मसले का असल हल होना चाहिये। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब काफी लम्बी रकम उस पर खर्च की जाय।

अब जहां तक हमारे साथी हाफिज साहब ने फरमाया, गालिबन मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह जिक्र करना क्यों नहीं उचित समझा, लेकिन मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि जो हलका अब उनका है, पहले वह मेरा था और अब दूसरी तरफ चला गया। अब भी उसमें

श्री मोहम्मद महमूद अली खां]

जहां तक बाढ़ का मसला है, वहां अब भी काम हो रहा है और इस वक्त भी हो रहा है। एकदम से सभी जगह काम नहीं हो सकता। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बाढ़ का मसला, यह सही है कि उससे नुकसान होता है, और हर साल नुकसान होता है, लेकिन बाढ़ का मसला जैसा मैंने अर्ज किया अपने साधनों से पूरी तरीके से हल होना बहुत मुश्किल है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी लिखा है और नतीजे पर पहुंच गये हैं जो वहां के सिंचाई मंत्रियों ने भी पास कर दिया है कि सेन्ट्रल बाढ़ कन्ट्रोल बोर्ड बाढ़ के सिलसिले में बनाए और वह तमाम स्थानों, प्रदेशों के बारे में सोचे कि उन सारे प्रदेशों में बाढ़ को कैसे कन्ट्रोल किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि सेन्टर की सरकार अवश्य हमारी मदद करेगी और उनके सहायता और सहयोग से हम इस समस्या का समाधान निकाल पाने में सफल होंगे।

श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)--

श्रीमन्, एक मेरा निवेदन है जो विरोधी दल के सदस्य कई दिनों से इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, किन्तु हाजिरी-रजिस्टर पर दस्तखत करके चले जाते हैं, तो क्या उनको हाजिर माना जाएगा ?

श्री अध्यक्ष--

बहिर्गमन तो उन्होंने स्वयं किया है, आपने उन्हें नहीं निकाला है। बहिर्गमन तो पार्लियामेन्ट्री परम्परा का एक अंग है। बहिगमन एक संसदीय परम्परा है। इसका अस्त्र सभी लोकतन्त्रीय व्यवस्थाओं में अपनाया जाता है।

श्री जयराज गौतम--

जनता का काम होना चाहिये, तब वह लें, बिना काम किये वह २५ रुपये ले रहे हैं, यह तो अवैध है ?

*श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, इस महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हो रही है, उसमें हमारे विरोधी दल के लोग यहां नहीं बैठे हैं। जबसे सदन चालू है देखा जाता है वे दस्तखत करते हैं, किन्तु सदन में नहीं बैठते हैं। ऐसा लगता है कि आर्थिक लाभ में तो वे पीछे नहीं हैं किन्तु ....

श्री अध्यक्ष--

इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी भी संख्या कम है। अब जब आपने यह सवाल उठा दिया है तो सदन की संख्या देख ली जाए। (एक क्षण के अनन्तर) संख्या नहीं है, कोरम नहीं है, घंटी बजाई जाए।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री प्रेम दत्त--

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया, कम से कम यह बात रिकार्ड में आ जाए कि विरोध पक्ष यहां नहीं आता है और जब तक वह सदन में नहीं आता है, तब तक यह माना जाए कि उनकी हाजिरी सदन में नहीं है। यों आपकी जो व्यवस्था है, वह मान्य है, फिर भी सूचना के लिये निवेदन कर दिया। जहां तक बाढ़ का संबंध है, सिंचाई मंत्री ने उस पर जो घोषणा की, मैं उनको इसके लिये बधाई देता हूं। हमारा कार्य प्रयास करने का था कि बाढ़ पर कैसे नियन्त्रण किया जाए। वह एक ऐसी रूप-रेखा रखें, जिसके आधार पर काम हो जो हर वर्ष की समस्या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है वह न रह जाए। हम जानते हैं कि पूर्वी जिलों में बाढ़ के समय सैकड़ों–हजारों मकान और जानवर बह जाते हैं और कभी-कभी मनुष्य भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो जिस तरह से अब हमने कृषि की ओर ध्यान दिया और उत्पादन बढ़ाया हमारी सरकार ने। तो मैं समझता हूं कि कृषि उत्पादन में बाढ़ नियंत्रण को भी शामिल होना आवश्यक है क्योंकि इसका सीधा असर हमारी खेती पर पड़ता है, उत्पादन कम होता है और हमारे देश की उत्पादन की जो मुख्य समस्या है, उस पर इसका कुप्रभाव भी पड़ता है। प्राय: देखा जाता है कि जो हमारे पूर्वी जनपद हैं, वहां पर जो मकान बनते हैं, वे बह जाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम ऐसी जगहों, जहां हर वर्ष बाढ़ का प्रभाव पड़ता है, आबादी को वहां से हटाकर ऐसे स्थानों पर बसाने की योजना बनाई जाय कि वहां के लोग जो बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित होते हैं, बरबाद होते हैं, वे बच सकें।

दूसरी बात जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि बहुत सी जगहों पर और खास कर मेरे क्षेत्र में कितने ही गांव लो लाइंग एरिया में बसे हुए हैं जहां पर पानी भर जाता है और महीनों भरा रहता है और उसके निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं और अगर कहीं है भी तो बहुत समय लग जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि वहां की फसलें नष्ट हो जाती हैं और भुखमरी और बीमारियां फैल जाती हैं जिससे वहां के जन-जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एक ऐसी योजना मैदानी इलाकों के लिये बनाई जाय कि जहां पर पानी निकलने के साधन न हों, वहां से रिपोर्ट मंगाकर वहां पर उसकी व्यवस्था की जाय ताकि जब बाढ़ आवे, जो पानी रुक जाता है, वह निकल जाय और खेती का नुकसान न हो सके।

प्राय: यह भी देखा जाता है कि जो छोटी-छोटी नदियां हैं, बाढ़ के समय उनमें इतना पानी आ जाता है कि वहां पर आवागमन ही रुक जाता है। हमारे यहां पर जो छोटी-छोटी नदियां हैं, उन पर कोई पुल नहीं होते हैं और उनको पार करने में बहुत समय लग जाता है क्योंकि एक लम्बा चक्कर लगाकर लोग दूसरी पार पहुंच पाते हैं या जब बहुत ही एमरजेन्सी या आवश्यकता होती है तो किसी प्रकार से उन नदियों को पार किया जाता है तो मैं निवेदन करूंगा कि उन पर छोटे-छोटे पुल बनवा दें ताकि जब वहां का पानी कम हो तो आने जाने की व्यवस्था हो सके।

मान्यवर, फतेहपुर के उत्तर में गंगा बहती है और दक्षिण में यमुना। वह दोनों नदियों के बीच में बसा हुआ है। हमारे जिले में ८–९ नदियां हैं, बरसात में उनका पानी वहां से निकलता है। यदि इन नदियों पर बांध बना दिए जायं तो मैं समझता हूं कि जो सिंचाई नहीं हो पाती है, उसका भी हमारे जनपद में समाधान हो सके वरना फतेहपुर के लिये वह कहावत चरितार्थ होती है जैसे "जल बीच मीन प्यासी, सुन-सुन आवे हंसी"। इसके अलावा हमारे जनपद में जो अन्य नदियां हैं, जैसे पांडो नदी आदि उनका जो पानी बाढ़ के कारण फसल बरबाद करता है, उससे बचत हो सके और वह पानी जो बांध के रूप में इकट्ठा रहेगा तो जब आवश्यकता होगी रबी और खरीफ की फसलों के समय उसका सदुपयोग हो सकेगा। इससे फसलें भी बचेंगी और सरकार का रेवन्यू भी बढ़ेगा। इससे खेती का उत्पादन भी बढ़ेगा और हरित क्रान्ति की ओर जो हम चल रहे हैं, उस दिशा में भी बहुत सहायक होगा। तो आवश्यक है कि सरकार इन चीजों पर ध्यान दे ?

मान्यवर, बाढ़ के बाद बहुत भयंकर बीमारियां आती हैं और जहां पर आवागमन के साधन नहीं होते हैं, वहां के लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो मान्यवर, ऐसी व्यवस्था की जाय कि बाढ़ के बाद जो बीमारी होती हैं उसके लिये विशेष प्रबन्ध किया जाय और मोबाइल टाइप की गाड़ियां बनायी जायं। हमारे हेल्थ सेन्टर्स ऐसी जगहों पर हैं जहां से बाढ़ के इलाकों से सहायता नहीं पहुंच सकती, लाभ नहीं होता। तो इस विषय पर ध्यान देने की कृपा करें। बाढ़ का अनुदान नहीं के बराबर होता है, न लोगों का जीवनयापन होता है और न समस्या का समाधान होता है। तो जहां मिट्टी के तेल, माचिस आदि का प्रबन्ध किया जाता है तो ऐसा लगता है कि रस्मअदायगी की जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि कोई मिनी स्टोर टाइप

[श्री प्रेम दत्त]

के वहां बना दिये जायं जिससे इस दुर्व्यवस्था का समाधान हो सके। आप जो योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजें तो उसमें क्षेत्रीय प्रश्नों और सुझावों का भी समावेश कर लें ताकि सबका समाधान एक साथ हो सके।

अन्त में मैं आपको और सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

*श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)--

अध्यक्ष जी, हर साल उत्तर प्रदेश की बाढ़ की विभीषिका का हम वर्णन करते हैं और अखबारों में भी उसकी चर्चा होती है। प्रत्येक वर्ष क्या राहत कार्य किये जा रहे हैं और क्या किये जाने वाले हैं उस पर भी कुछ न कुछ वाद-विवाद होता है। इस जमाने में जबकि एक ओर तो पानी की कमी है, सिंचाई के लिये नहरों में पानी नहीं, अन्य कार्यों के लिये पानी नहीं होता, वहां दूसरी ओर अथाह शक्ति जल की, जिसको अगर हम बांध सकें तो वह हमारे बड़े उपयोग में आ सकती है बरबादी के बदले। सच बात है, साधनों के अभाव में हम मजबूर हैं, वित्तीय साधन इतने पर्याप्त नहीं हैं कि उन सारी समस्याओं के निराकरण के लिये कार्य किया जा सके फिर भी जितने भी साधन हों, एक बात निश्चित है कि हम एक दफा कदम बढ़ायें। अगर ऐसा कदम जनहित और उस दिशा की ओर चल सकता है तो हम सही दिशा की ओर ही बढ़ेंगे। अभी कुछ साथी चर्चा कर रहे थे कि कुछ जिलों में बाढ़ आती है तो उन्हीं को चर्चा में भाग लेना चाहिये। मेरा अपना विश्वास है कि बाढ़ किन कारणों से आती है और किस जिले में कहां की प्रक्रिया बाढ़ को लाती है यह देखने का विषय है। हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। किसी भूखंड में मुसीबत आती है तो सब का चिन्तित होना लाजमी होता है, यह स्वाभाविक बात है। अब जो पानी आता है तो ऊंचे प्रदेशों से आता है, नदियां वहीं से निकलती हैं। तो उस जल-शक्ति को बरबाद न करके कैसे उसको रोक सकते हैं और जिन दिनों पानी का अभाव हो उसको कैसे उससे दूर कर सकते हैं उसके लिये मेरा सुझाव यह है कि जहां आपने बांध बांधे हैं, जैसे नैनीताल जिले में कृत्रिम बांध ९-१० बांधे गये हैं। नानक सागर बांध है, हरिपुरा, तुमड़िया, बौर है। एक दर्जन बांध बनाये गये हैं, जिन जलाशयों में वर्षा का पानी एकत्रित करके उससे सिंचाई का काम लिया जाता है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आती है उसका सम्बन्ध केवल हमारे प्रदेश से नहीं रहता है बल्कि नैपाल का भी उससे सम्बन्ध रहता है क्योंकि राप्ती और गंडक आदि नदियां नैपाल से निकलती हैं। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया था, वहां से भी कुछ बातचीत चल रही है और प्रयास किया जा रहा है कि वहां इस पानी को रोका जा सके जिससे राप्ती और गंडक आदि नदियों के कारण हमारे प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका न आ सके। मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में वह नैपाल सरकार के साथ कोई इस तरह की बातचीत करे जिससे कि हमारे यहां जो बाढ़ वहां की वर्षा या नदियों के कारण आती है, वह न आ सके और जो हमारा यह हर वर्ष का कष्ट है, उससे हमें मुक्ति मिल सके।

दूसरे, अधिक वर्षा के बाद पानी आता तो है लेकिन उस पानी का जो बहुत अधिक फैलाव होता है यह नदियों में ज्यादा रेत भर जाने के कारण उनकी गहराई कम हो जाने से भी होता है। अगर कुछ ड्रेगिंग मशीनें मंगा कर नदियों को गहरा किया जा सके और उनके किनारे बंध बांध दिये जायं तो पानी का फैलाव रुक सकता है। फ्लड कंट्रोल बोर्ड को इस दिशा में सोचना चाहिये। इससे हमको कुछ हद तक बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। माननीय मंत्री जी फ्लड कंट्रोल बोर्ड को एक नदी में यह प्रयोग करने का आदेश दें और अगर वह सफल होता है तो अन्य नदियों में भी उसको किया जाय। यही मुझे कहना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष जी, बाढ़ हर साल आती है और चली जाती है और सदन में हम लोग हर साल वाद-विवाद भी करते हैं। लेकिन उसका प्रभाव और नदी के कटाव का अन्तर कभी नहीं होता है बल्कि बढ़ जाता है। मेरा ऐसा विश्वास होता चला जा रहा है कि सरकारी तन्त्र इसकी ओर ध्यान नहीं देता है इस कारण यह सब हो रहा है। खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग, तीनों मिलकर बाढ़ की समस्या का कुछ हल निकाल सकते हैं।

(इस समय १ बज कर १३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती सरस्वती टम्टा पीठासीन हुईं।)

नदियों का कटाव बड़ा भीषण है। मैं यह भी जानता हूं कि सरकार के बूते के बाहर है। लेकिन जो पैसा खर्च भी होता है वह ठीक से नहीं होता है। नदियों का कटाव इतना भीषण है कि सैकड़ों वर्षों से बना हुआ किसान का मकान, चाहे मिट्टी का हो, चाहे पक्का हो, बाढ़ आती है और नदी उसको काट देती है और १०–१५ दिन के अन्दर ही वह आदमी भिखारी बन कर घूमता है। मैं मान्यवर, कल माननीय राज्यपाल जी के साथ अभी मैं बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने के लिये गया था। इसके पहले भी मैंने २–३ बार बाढ़ देखा है। देवारा खास गांव में ७ आदमियों का घर एक दिन में कट गया। २५० आदमी बेघरबार हो गये। आज तक उनके रहने, बसने व खाने पीने तथा रोजगार आदि की व्यवस्था नहीं हो पायी है। यह कितनी हास्यास्पद बात है कि हम लाख दो लाख आदमियों के लिये भी रहने व खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। दुनियां के बहुत से देशों ने तो नदियों पर काबू भी पा लिया है। जो पैसे वाले देश हैं उन्होंने तटबन्ध बना कर, नदियों को गहरा करके, तथा ठोकर आदि बनाकर पानी को रोक लिया है। इसके कारण बाढ़ रुक गयी है और विप्लवकारी दृश्य जैसा कि हमारे यहां हो जाता है, वह नहीं होने पाता।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां १३३ गांव हैं और वे सभी पानी से भरे हुये हैं। खेतों में पानी भरा है, मगर मालगुजारी किसानों से वसूल की जा रही है माननीय राजस्व मंत्री जी ने बड़ी कृपा करके एक आफिसर को जांच के लिये भेजा (मैं उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं) कि वह जाकर जांच करे कि जो खेत बाढ़ में कट जाते हैं उस खेत के किसानों से वसूली क्यों हो रही है। उस आफिसर ने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट भी कर दी, मगर ६ महीने हो गये, लालफीताशाही के कारण उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। कल महामहिम राज्यपाल जी जब बाढ़ का निरीक्षण करने गये थे तो किसान उनसे रो रो कर कह रहे थे और अपनी पीड़ा को बता रहे थे। एक ऐसा किसान था जिस पर १० हजार रुपया जुर्माना हुआ था, उसका घर कट गया था, खेत कट गया था, न उसके पास रहने को घर बचा था, न जमीन बची थी, वह कह रहा था कि मैं १० हजार रुपया कहां से दूं ?

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

मान्यवर, जो सहायता हम देते हैं वह भी उन लोगों को नहीं मिल पाती है। एक तरफ हम पानी की कमी महसूस करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह पानी बेकार में बहता है। सरकार को पानी के रोकने की योजना बनानी चाहिये। हमारे यहां कुछ नहरें बनायी जा रही हैं, मगर वह काम ईमानदारी से नहीं हो रहा है। सरकार के अधिकारी ईमानदारी से वह काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में दोहरीघाट सहायक परियोजना बन रही है जिसमें लाखों रुपया खर्च हो रहा है। उस योजना से बलिया की लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। दोहरी घाट पम्प नहर, आजमगढ़ में बनी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आजमगढ़ से वह चलती है लेकिन आजमगढ़ में उसके पानी का हिस्सा कम जाता है, ज्यादा बलिया में जाता है। सरकार ने इसीलिये आजमगढ़ में अधिक पानी देने के लिये बलिया में दोहरी घाट सहायक परियोजना पर काम शुरू किया है। उसमें करोड़ों रुपया व्यय हो रहा है। अभी मैं घर गया था

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

तो मैंने देखा कि गवर्नमेन्ट का लाखों रुपया बरबाद हो रहा है। हेड पर अस्थायी भवन अभी बने हैं और अभी मई के महीने में एक लाख रुपये का पेमेंट हुआ और १७ जुलाई की वर्षा में वह बह कर ध्वस्त हो गया। आफिसर से शिकायत की, मंत्री जी से शिकायत की, सरकार से शिकायत की लेकिन फिर वही आफिसर जिनके खिलाफ शिकायत की उन्हीं के पास कागज जांच के लिये चला जायगा। हमारे भोजपुरी में एक काहवत है "चामे के धोकरी, कुकुर रखवार" वही हालत यहां भी है। जिसके खिलाफ शिकायत है उसी से उस शिकायत के बारे में पूछा जाय तो वह शिकायत दूर नहीं हो सकती है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं सरकार के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घाघरा में इस साल ऐसी बाढ़ आयी है, जब से मेरा होश है, ४०–४५ वर्ष में ऐसी बाढ़ नहीं आयी, ऐसी जल्दी बाढ़ जुलाई के शुरुआत में कभी नहीं आयी। बांढ़ का नतीजा यह हुआ कि बहुत से कि अपने खेतों में बीज नहीं डाल सके और जो डाले भी वे उग नहीं सके। नतीजा यह है कि सौ फीसदी फसल खतम हो गयी है। जनवरी, फरवरी का महीना जो किसानों के लिये गाढ़ा होता है, कष्टदायक होता है, और ईख की फसल किसानों के लिये बहुत बड़ा सहारा होती रही है ईख की फसल भी इस साल खतम हो गयी। नयी ईख की फसल तो सोलह आने खतम हो गयी लेकिन जो पुरानी फसल थी वह दो चार आने बच गयी है। मैं सरकार से स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि और राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक डेढ़ महीना बाढ़ को आये हो गया, चाहे बड़े किसान हों, चाहे छोटे किसान हों, उनको एक महीने के अन्दर खाने के लिये आपने कौन सा प्रबन्ध किया है ? कल हाजीपुर, आजमगढ़ में महामहिम का प्रोग्राम था, देखा। १ रुपया ३३ पैसे किलो बजरी मिल रही है और कुछ ही किसानों को। मैं नहीं समझता कि इस तरह से बजरी देकर सरकार बाढ़ के जमाने में किसी की जान कैसे बचा सकेगी ?

जहां एक तरफ सरकार ने किसानों से लेवी वसूल की हैं और लेवी वसूल करके जो शहर में रहते हैं उनको खाने के लिये दे रही हैं, वहीं गांव में रहने वालों को सरकार बाजरा, मक्का, मटर और जौ आदि मोटे अनाज भी नहीं दे पा रही है। इसको मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं कि हम अपने मन से अपनी तारीफ करते हैं कि हम सब को गल्ला दे रहे हैं तो वह कोई तारीफ नहीं है। तारीफ तो वह है जब कि हमारी तारीफ और करें। इसलिये मैं माननीय सिंचाई मंत्री और राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि और सही माने में वे नदी के कटाव को रोकना चाहते हैं तो उसके लिये अपने खजाने को खोलें। मैं नहीं मानता हूं कि लखनऊ शहर को बचाने के लिये तो ९ करोड़ रुपये खर्च किया जाय जिसकी आबादी कितनी बड़ी है, गोंडा, बहराइच, देवरिया और गोरखपुर के मुकाबले में और वहां के लिये पैसे का प्रबन्ध न हो। अधिष्ठाता महोदय, घाघरा ने गोंडा, बहराइच, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बलिया के किनारों का कटाव इस तरह से इस साल किया है कि हजारों किसानों के परिवार बिना घरद्वार के होकर खानाबदोश की तरह रह रहे हैं। वह लोग जिनके पास ५० एकड़ खेत थे वह आज घास काटकर, लकड़ी इकट्ठा करके बाजार में बेच कर गुजारा कर रहे हैं। देख कर उनको, हमारा दिल दहल जाता है, तकलीफ होती है कि आखिरकार हम समाजवाद की बात करते हैं, क्या हो रहा है ? मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष जी आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पैसा खर्च होता है, नदियों के कटाव को रोकने के लिये पैसा खर्च होता है लेकिन कब खर्च होता है—मई के महीने में नहीं होता है, जून के महीने में नहीं होता है, अप्रैल के महीने में नहीं होता है। जिस नदी में पानी नहीं होता है उस वक्त पैसा खर्च नहीं किया जाता है। खर्च होता है जब नदी में ३० फुट गहरा पानी हो जाता है। उस वक्त बल्लियां डाली जायंगी। नतीजा यह होता है कि जिस ठेकेदार को ३० फिट बल्ली नीचे धंसाने के लिये दिया जाता है वह ५ फिट बल्ली धंसाता है और इस तरह से लाखों रुपया बरबाद होता है। मैंने इस सवाल को उठाया था पर मंत्री जी को फुरसत नहीं है, अधिकारियों को फुरसत नहीं है, यह हर साल होता है। शिकायत कीजिये,

नोट कीजिये मंत्री जी, हमने शिकायत की थी कि दोहरी घाट मुख्य द्वार के पास डलिया डिगिया गांव में हजारों रुपये का पत्थर आया नहीं, आया दिखाकर ओवरसियर ने लूट लिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने शिकायत की, ओवरसियर मुअत्तल हो गया और फिर बहाल हो गया। कैसे हो गया ? बड़े-बड़े इन्जीनियर जो इस काम में लगे हुये हैं, वह सरकारी खजाने को, जनता को लूट रहे हैं और सरकार का ध्यान तक नहीं जाता है इसलिये मुझे अफसोस होता है।

मैं कहना चाहूंगा कि बाढ़ की समस्या को रोकना अनिवार्य है, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको खाना देना अनिवार्य है। जो १ हजार मासिक तनख्वाह पाते हैं उनको तो आप कंट्रोल पर गेहूं देते हैं, चावल देते हैं, चीनी देते हैं और उपाध्यक्ष जी, जो ४ आने की मजदूरी करते हैं उनको क्या दिया जाता है ? इसलिये इस विषय में गंभीरता पूर्वक तीनों मंत्रियों को सोचना और विचारना चाहिये जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। मैं उपाध्यक्ष जी, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता १९५४-५७ में जब श्री कमलापति त्रिपाठी सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने गांवों को ऊंचा करने की स्कीम चलायी थी। उन गांवों को जो नदियों के किनारे थे जहां बरसात में पानी भर जाता था उन गांवों को उन्होंने ऊंचा करा दिया था। कल हमने देखा कि उस गांव को इतने साल बीत जाने के कारण और लगातार बाढ़ के कारण फिर पानी वहां घुसा हुआ है। पानी घरों में घुसने के कारण बैठने की जगह नहीं है, मवेशियों के रहने की जगह नहीं है। तो सरकार विचार करके इस काम को करें।

कल दो सभायें थीं, महामहिम राज्यपाल महोदय भी गये थे। हमारे क्षेत्र में थीं हजारों लोग सभा में आये थे। बाढ़ से प्रभावित लोग मांग कर रहे थे कि हमारे गांवों को ऊंचा किया जाना चाहिये। मान्यवर, इसके साथ इन गांवों में जो कुयें हैं उन कुओं में भी बाढ़ का पानी घुस जाता है। उनको यही पानी पीना पड़ता है जिसके कारण बीमारी फैलती है। इसलिये इन गांवों में, कुओं में जहां बरसात का पानी भर जाता है, तो इन कुओं को भी ऊंचा किया जाना चाहिये जिसके बाढ़ का पानी इन कुओं में न जा सके। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। उस क्षेत्र के लड़कों की फीस हर साल माफ होती है। लेकिन अफसोस होता है कि स्कूल खुले हुये हैं। फीस माफी का आदेश नहीं गया है। स्कूलों में ८० फीसदी फीस का पैसा सरकार वेतन में जमा करा लेती है। यदि इस वक्त लड़के को फीस जमा करनी है तो वह नहीं जमा कर सकता है। स्कूल के अधिकारियों को आप कहते हैं कि फीस मत लो। नतीजा यह होता है कि उनको वेतन नहीं मिलता है। इसलिये आदेश ऐसे जाने चाहिये कि जो बाढ़ क्षेत्र के लड़के हैं उनकी फीस की वसूली न हो और सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उनकी फीस का पैसा जमा करे। मालगुजारी की भी वसूली माफ होनी चाहिये। जिनके नाम कागज से कट गये हैं उनको पूरे प्रदेश में एक प्रकार का आन्दोलन चलाना चाहिये जिससे जुर्माना जो हुये हैं वह जांच करके माफ होने चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह क्या बात है कि दियासलाई, एक किलो नमक और मिट्टी का तेल बंट रहा है। हमको इस पर सोचना पड़ेगा कि इन चीजों से पेट और रोजी का सवाल हल नहीं होने वाला है। इसलिये सिंचाई मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने तकनीकी अधिकारियों से राय लेकर काम करें।

मान्यवर, बाढ़ जुलाई या अगस्त में आती है और किसान के खेत मार्च और अप्रैल में खाली हो जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बाढ़ क्षेत्र में सरकार छोटे-छोटे नलकूप लगावें जिससे जिस समय खेत खाली हो तो वहां यदि खरीफ की फसल लें तो बाढ़ के पहले ही फसल को काट लेंगे और रबी की फसल को पानी देकर अच्छी पैदावार कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

विवाद तो नलकूप पर नहीं हो रहा है, बाढ़ पर हो रहा है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--

मान्यवर, मैं सुझाव दे रहा हूं।

इस प्रकार खरीफ और रबी की फसल अच्छी हो सकेगी। हर साल नमक और तेल बंटवाने से छुटकारा भी मिल जायेगा। इसलिये राजस्व मंत्री जी, खाद्य मंत्री और सिंचाई मंत्री जी इनकी ओर ध्यान दें।

श्री राम समुझ तिवारी (जिला बस्ती)--

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, बाढ़ की समस्या के संबंध में जो विचार हो रहा है तो मैं तो बाढ़ के अन्दर बसने वाला आदमी हूं। इस समय हमारे घर के चारों तरफ पानी है। अषाढ़ के महीने में फसल बोयी गयी तो वह बोते ही डूब गयी और इस समय तो बाढ़ काफी है। मैं नवगढ़ तहसील का रहने वाला हूं लेकिन हमारा क्षेत्र बस्ती के करीब है। लुम्बनी बस्ती रोड है वहां सुनता हूं कि बहुत दूर तक वह रोड कट गयी है। पिछले साल जो रोडें कट गयीं थीं उनकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई है और इस साल जो कट गयीं तो पता नहीं क्या होगा ? मान्यवर, बस्ती में एक दूसरी सड़क भी इस साल कट गयी है जो कभी नहीं कटती थी। बाढ़ के सम्बन्ध में जो राहत कार्य इस समय होता है वही अंग्रेजों के समय में भी होता था जैसे कि मिट्टी के तेल और नमक आदि बंटवाना। अंग्रेजों के जमाने में भी तेल, दियासलाई बांटी जाती थी। वही सरकुलर इनके पास भी रखा है और वही चीजें आज भी बांटी जाती हैं। अफसर लोग तेल, दियासलाई न बांट कर बांटते हैं बजरी और ज्वार और अपना खाते हैं पूड़ी। राजस्व मंत्री जी वहां गये और बहुत से लोगों को पकड़ा भी था। लेकिन इनको जानकारी नहीं कि वह लोग सब बहाल हो गये जिनको मुअत्तल किया था। इसी तरह से निरहू का घर गिरा और मदद पा गये राजबहादुर चन्द क्योंकि इनका असर है। जब दरख्वास्त दी गयी तो अफसर और कर्मचारी बर्खास्त हुए लेकिन फिर वह बहाल हो गये। इससे तो और बदनामी ही हुई कि मंत्री जी ने जिनको बर्खास्त किया वह फिर बहाल हो गये। यह बात सही है कि खाली नोन, तेल और दियासलाई देने से इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। रामचन्द्रजी से भरत जी ने कहा और कसम खाई कि हे भगवान अगर आपके जंगल जाने में मेरी कोई जानकारी हो तो फिर मेरा जन्म कछार में हो। हिन्दुओं में पुनर्जन्म की बात मानते हैं, पता नहीं खां साहब के धर्म में मानते हैं या नहीं ? कहने का मतलब यह है कि कछार का इलाका कष्ट का इलाका है।

अब बंधों की बात को देखें। जब बांध बनने की बात हुई तो एक एम० एल० ए० ने कहा कि मेरे गांव को उससे मिला दो, दूसरे ने कहा कि मेरे गांव को इससे मिला दो। नतीजा यह कि दोनों तरफ बांध बन गये। सफाई उनकी होती नहीं तो उनमें सिल्ट भर गयी। पहले जो पानी बहकर निकल जाता था और बिहार, बंगाल की तरफ जाता था. वह अब वहीं जमा होता है और भर जाता है। अंग्रजों के जमाने में भी वहां कुछ बंध बने थे और उनसे भी नुकसान होता था लेकिन अब हम नये अंग्रेज पैदा हो गये और मंत्री पर दबाव डालकर गलत बांध बनवा लिये। एक एम० एल० ए० ने मेरे जिले में हथवढ़ ताल के अन्दर बांध बनवाया है। हजारों रुपया हर साल उस पर खर्च होता है। लाभ कुछ नहीं। तीन साल से हमारे यहां खेत में दाना पैदा नहीं हुआ। खाद डालते हैं, दूसरी जगह से बीज लाकर बोते हैं सब नष्ट हो जाता है, बह जाता है। गन्ना हमारे यहां की मुख्य फसल है। दो साल से वह भी नहीं हो रहा है। इस साल सारा गन्ना सूख गया। जहां मंत्री जी पश्चिम की तरफ, बुन्देलखंड की तरफ देखते हैं तो इस पूर्वान्चल की तरफ भी देखें। यह वह इलाका है जो बहुत उपजाऊ है और कम मेहनत किये ही वहां पैदावार होती है। मेरठ में हर खेत में पानी है, हर खेत में ट्यूबवेल है, गंगा की नहर है, तब वह उतनी फसल पैदा नहीं करते हैं, जितना अगर हम बायें हाथ से फेंक दें अपने खेतों में तो पैदा हो जाय, अगर आप हमें ट्यूबवैल दें, गंगा जैसी नहर दें। लेकिन यह चीजें तो मिलती नहीं हैं बल्कि बाढ़ हर साल मिलती है जो सारी फसलों को बहा कर ले

जाती है। इसलिये हम चाहते हैं कि आप हमें अगर पम्पिंग कैनाल की व्यवस्था करें तो हम गर्मियों में एक अतिरिक्त फसल तैयार करना चाहते हैं। यही एक चारा रह जाता है।

जो अनुदान यहां से जाता है वह किसी को नहीं मिलता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर से लेकर नीचे पटवारी तक सब भ्रष्ट हो गये हैं, जो अनुदान यहां से भेजा जाता है वह सब पता नहीं कहां चला जाता है? अगर आप इसकी जांच भी करना चाहें तो नहीं हो सकती है। बाढ़ तो हर साल आयेगी और हर साल जांच होगी, तो नतीजा क्या निकलेगा? इसलिये कोई परमानेंट हल बाढ़ के इलाके के लिये होना चाहिये। अगर आप मान लीजिये बाढ़ के जिले में १० लाख रुपया खर्च करना चाहते हैं तो आप एक क्षेत्र को ले लीजिये, उसके बाद दूसरे क्षेत्र को ले लीजिये और जो वहां पर काम हो उसे पूरा कीजिये। इस काम के लिये आप एक कमीशन बैठाइये और उसको अमली जामा पहनाइये। गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, गोंडा, बलिया, आदि ये जिले हैं जो बाढ़ से अधिक प्रभावित होते हैं इसलिये इन जिलों के लिये आप एक सर्वे कमेटी बैठाइये जो परमानेंट इन्तजाम करे, अन्यथा इस तरह से कब तक काम चलेगा? दूसरी जरूरी चीज यह है कि आप लगान माफी के आर्डर तुरन्त भेजिये, फीस माफी के आर्डर तुरन्त भेजिये। पैसा तो आप भेजते हैं मार्च में और जरूरत अब होती है। इसलिये जब पैसा जाता है तो लोग अपना हिस्सा लेते हैं। जैसे अगर किसी का कत्ल हो और अगर उसको सजा २ महीने के अन्दर हो जाय तो किसी को पता भी लगे, लेकिन सजा तो होती है ४-५ साल बाद, लोग भूल जाते हैं कि कौन मरा था और कब मरा था। आज एक इन्दिरा गांधी ने देश को बचा लिया, लेकिन मुसीबत यह है कि हमारे यहां इतनी मंत्रियों की फौज है हिन्दुस्तान में, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। वह तो विधायक को विधायक नहीं समझते जैसे हम किसान को किसान नहीं समझते। एम० एल० ए० हो जाने के बाद जब कि उन्हीं की बिरादरी से आते हैं। मंत्री लोग अपने को सुपर अथारिटी समझ लेते हैं, जब कि वह न आई० ए० एस० हैं और न पी० सी० एस०, हमारी ही बिरादरी से आये हैं। अगर मान लीजिये दूसरों की गवर्नमेंट बन जाती है तो वह कैसे फिर मंत्री बने रहेंगे? इसलिये 'मनुआ फिर लागा पछतान', रावण भी बाद में पछताया था। इसलिये मंत्री लोगों ने अवसर पाया है, सरकार का धन है—"दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम'। आप सही लोगों का सही काम कीजिये, सार्वजनिक काम ज्यादा व्यक्तिगत काम कम कीजिये। जो पिछड़े हुये क्षेत्र हैं पूरब के, उन पर आप निगाह डालिये लोग कांग्रेस के पक्ष में कम नहीं हैं, तो फिर हमारे ऊपर आपकी निगाह क्यों नहीं होती है? क्यों हम लोग आपकी दया दृष्टि से वंचित रहे हैं? हमें पश्चिम से कोई गुरेज नहीं है, मेरठ भले ही जर्मनी बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम तो उसी चमरौटी में बसे हुए हैं, हम पर भी तो ध्यान दिया जाए। हमें भी ऊपर उठाया जाए। पूरब वाले बिलकुल पद दलित हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। मंत्रियों के यहां जाते हैं तो उनके सामने केवल कुछ टुकड़े मात्र फेंक दिए जाते हैं, इन एक दो टुकड़े से हमारा कोई काम नहीं बनने वाला है। पूरब के मंत्री ही कम हैं, पूरब के मंत्री ही कितने हैं, पूरब के राजमंगल पाण्डेय जी हैं, लेकिन काम उनका भी नजर नहीं आता है। बहुत हुआ स्कूटर बांट देते हैं, एक हमें भी भिजवाया है। तो मैं आपसे कह रहा था कि पूर्व के जिलों के लिये आप एक कमीशन बिठाओ। एक अंग शरीर का खराब रहेगा तो तन्दुरूस्ती नहीं रहने पावेगी। हमारा पेट बढ़ गया है, तो लोग हम पर हंसते हैं। शरीर के सब अंग बराबर रहते तो लोग न हंसते लेकिन केवल एक अंग पेट बढ़ा है, इसलिये हंसते हैं और हंसने वाली बात भी है। तो आप पूरे जिलों को एक साथ रखिए .....

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—
हो गया।

श्री राम समुझ तिवारी—
अरे भाई, खान बहादुर तो पहले बहुत कुछ दिया करते थे, आप भी कुछ दें खान साहब हमारे बहुगुणा जी भी बहुत गुण वाले हैं। बाढ़ प्राकृतिक प्रकोप है, उसके संबंध में जो मदद

[श्री राम समुझ तिवारी]

मिलती है, वह मुस्तकिल तरीके से कमीशन द्वारा इन्तजाम करके हमें बराबर मिलता जाए यह हम चाहते हैं। तत्काल तो लगान माफी, फीस माफी और तकावी के सिवा कुछ हो नहीं सकता है। जो आप तत्काल कर सकते हो उसके आदेश वायरलेस से करो। तब तो ठीक है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, सब बेकार है। किसी के कहने से जो आप मदद—खाद्य सामग्री आदि बंटवा देते हैं, उसको लोग सब खा लेते हैं, कुछ काम नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत धन्यवाद, आज आपकी उपाध्यक्षता में पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला है। इससे ज्यादा अब मैं कुछ नहीं चाहता हूं।

*श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, माननीय रामसुन्दर जी व तिवारी जी ने बाढ़ के संबंध में जो कठिनाइयां और सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता और उच्च सहायता के दुरुपयोग के सम्बन्ध में जो आलोचना की है, मैं उनकी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं। लेकिन मान्यवर, मेरी एक कठिनाई यह है कि इस सदन के अन्दर जब कभी भी इस पर चर्चा होती है तो उसका क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है और घूम फिर कर बाढ़ का चक्र केवल पूर्वी जिलों तक ही सीमित रह जाता है। इसलिये सरकार का ध्यान भी उसी ओर जाता है। मैं आपका ध्यान उन्नाव जनपद में आने वाली बाढ़ और उनसे होने वाली कठिनाइयों की ओर आपके द्वारा सिंचाई व राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और समस्याओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे जिले में उत्तर से दक्षिण तक—हरदोई के बार्डर से रायबरेली के बार्डर तक गंगा नदी बहती है। उसका ८ मील का भारी पेटा है, जो हर साल बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। थोड़ा इलाका था, लेकिन बढ़ते-बढ़ते बहुत सा हिस्सा हमारे इस जिले का गंगा के पेटे में चला गया है। इसकी ओर कानपुर के लोगों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और उन्नाव के लोगों तथा जन प्रतिनिधियों ने भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था जिससे सरकार की ओर से एक योजना बनी कि कानपुर के सामने गंगा नदी में एक बांध बनाया जाएगा, उसको आगे बढ़ाते हुए, उससे उन्नाव की कठिनाइयों को भी दूर किया जाएगा। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो योजना तैयार की गई थी, उसका न तो अब तक कोई कार्यान्वयन शुरू किया गया है और न उसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से कुछ बताया गया है कि उस पर कार्यवाई कब तक शुरू की जाएगी।

मान्यवर, हमारे जनपद में हजारों एकड़ जमीन गंगा के पेटे में जाने के बाद भी आजकल उन लोगों से, जिनके नाम से वे जमीने हैं, लगान लिया जा रहा है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि जब तक वे जमीन गंगा के पेट से बाहर न आ जाय, उस समय तक जो लगान वसूल किया जा रहा है और जो विकास कर वसूल किया जा रहा है, और उस जमीन का उत्पादन जोड़कर वहां के किसानों से लेवी वसूल की जा रही है, वह न किया जाय। इस सम्बन्ध में मैंने जिलाधिकारी, राजस्व मंत्री जी से बताया लेकिन अभी तक भी कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया गया है। अब मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से उन्नाव जनपद की ऐसी भूमि के बारे में निवेदन करूंगा कि जिन किसानों के नाम में वह जमीन है, उसके लगान की वसूली उस समय तक मुल्तवी की जाय जब तक वह गंगा के पेट से बाहर न निकले जो और वहां के किसानों से विकास कर वसूल किया गया है उसको वापस किया जाय और जो कोई लेवी वसूल की गई है, उसे वापस किया जाय और विचार करके उस क्षेत्र के लिये एक योजना बनाई जाय जिससे यह इलाका अलग रखा जा सके।

श्री उपाध्यक्ष—

कछार में भी बहुत सी जमीन है जिस पर मुफ्त में लोग कब्जा किए हुए हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भगवती सिंह विशारद—

हां, श्रीमन्, उस पर भी आता हूं। इसके बाद वहां पर जो जमीन है, उसके ऊपर जिन लोगों की जमीन है, वे कब्जा ही नहीं कर पाते हैं बल्कि दूसरे लोग कहीं गांव समाज का बहाना लेकर और कहीं कुछ और जबरदस्ती से उन पर कब्जा कर रखा है और सरकार को एक पैसा भी लगान के रूप में नहीं देते हैं। इसके ऊपर दोनों जिलों में झगड़े होते हैं और जो जबरदस्त लोग होते हैं वे कमजोर लोगों की फसल काट ले जाते हैं और कमजोर अपनी फसलों को कटते ही देखते रहते हैं, उसका कोई उपाय नहीं हो पाता है। मेरी प्रार्थना है कि माननीय राजस्व मंत्री जी किसी एक प्वाइन्ट से लें जहां से इस बात का सर्वे हो सके कि कहां-कहां क्षेत्र है, कहां-कहां और किस-किस का कब्जा है और कितना रकबा है मैंने इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद् और भूतपूर्व राजस्व मंत्री को लिखा लेकिन अब तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है और अवैध कब्जे ज्यों के त्यों बने हुए हैं। जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी और लखनऊ के आसपास बड़े बड़े लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उसी प्रकार से उन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं और न किसी प्रकार का लगान ही देते हैं, न उन्हें कोई आंच ही आती है और वे लेवी से भी मुक्त रहे होंगे, सरकार को उन्होंने एक दाना भी नहीं दिया होगा।

हमारे जिले में मान्यवर, दो नदियां हैं एक भोराही और एक लोनी। लोनी नदी में हर साल बाढ़ आती है। मैंने माननीय मंत्री जी ने प्रार्थना की थी कि लोनी नदी में जो रेलवे के पुल बने हुए हैं, उनको चौड़ा कराया जाय। एक लोनी प्रोजेक्ट बन कर आया भी लेकिन जब कम पैसे का प्रोजेक्ट बन कर आया तो कहा गया है कि इतने कम रुपये का प्रोजेक्ट बाढ़ नियंत्रण को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और जब ज्यादा पैसे का बन कर आया तो कहा गया कि सरकार के पास अब पैसा नहीं है। तो किसी भी प्रकार से उस पर काम नहीं हो पा रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी कृपया लोनी नदी का जो प्रोजेक्ट है, उस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन कराने की कृपा करें। उसमें रेलवे बोर्ड की भी सहायता लेनी पड़ेगी क्योंकि कई जगहों पर रेलवे लाइन पर जो पुल हैं उनको चौड़ा करना पड़ेगा और लोनी नदी को भी टेम करना पड़ेगा तब हमारे जनपद की बाढ़ की समस्या हल हो सकेगी।

दूसरी नदी मेरे क्षेत्र में भोराही नदी है। यह मेरे गांव के पास बहती है। नहर के खारिज का जो पानी है, वह इस नदी में गिरता है। जिस समय जनवरी या फरवरी में गेहूं की फसल तैयार होती है नहर का जो ज्यादा पानी होता है, वह उसमें छोड़ दिया जाता है। और मेरे ही गांव ऊंचा खेड़ा, परगना भगवन्तनगर के सारे क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैल जाता है और फसल जल जाती है। इसके संबंध में जिले से एक योजना बन कर आयी है। मैं प्रार्थना करूंगा कि उस योजना को भी स्वीकार करें। मैंने प्रारम्भ में भी कहा था कि उन्नाव जनपद में उत्तर से दक्षिण तक गंगा नदी बहती हैं और ८–१० मील की चौड़ी पट्टी बाढ़-पीड़ित क्षेत्र है जहां आवागमन के साधन नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने बोर्ड में और समस्याओं के समाधान के लिये जहां विचार करें वहां पर गंगा नदी का बांध बनने वाला है और उन्नाव जिले में उस बांध को आगे बढ़ावें और उत्तर के क्षेत्र से लेकर दक्षिण तक ऐसी सड़क बनावें जिससे आने-जाने के साधन बढ़ें और इस समस्या का भी समाधान हो सके।

मैंने जो बातें माननीय सिंचाई मंत्री और राजस्व मंत्री जी से कही है उन पर वे गम्भीरता से विचार करें और आशा है कि उन्नाव जनपद के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के निवासियों के साथ भी वे न्याय करेंगे।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी सदन में बाढ़ के ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार, कीमती सुझाव दिये। होता यह है कि जब जब भी बाढ़ आयी है तब-तब उस पर चर्चा होती है, बहस होती है और फिर बाढ़ का पानी जिस तरह से चला जाता है वैसे ही हमारे

[श्री मोहम्मद शकील अहमद]

विचार भी बहकर चले जाते हैं, लेकिन उन पर जो उचित कार्यवाही होनी चाहिये वह नहीं हो पाती। आजकल हम लोग एक साइंस के युग में अपना जीवन बिता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर दो बात ऐसी हैं जिन पर हमारी सरकार को विचार करना चाहिये। एक ओर हमारे खेत और फसलें बाढ़ के पानी में बह जाती हैं, दूसरी तरफ इस प्रदेश के अन्दर पानी की कमी के कारण फसलें बरबाद होती हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे को कन्ट्राडिक्ट करती हैं। हमारी जितनी भी प्लानिंग बाढ़ के संबंध में हुई है, जरूरत है कि हम फिर से उस पर विचार करें, क्योंकि कहीं-कहीं कोई न कोई चीज गड़बड़ जरूर है। अगर यह सही है कि यह पानी जो बाढ़ से आता है उसकी योजना बनायें तो उससे बिजली भी पैदा कर सकते हैं और जिन इलाकों में पानी की कमी है उन क्षेत्रों में पानी दे सकते हैं, लेकिन यह हो नहीं रहा है। और नतीजा यह है कि फसल बरबाद होती हैं और दूसरी प्राब्लम्स भी बाढ़ से पैदा हो जाती हैं।

मैं आपका ध्यान लखनऊ की तरफ दिलाना चाहता हूं। यहां गोमती नदी के ऊपर एक बांध लखनऊ शहर को बाढ़ से बचाने के लिये बनाया गया, लेकिन अभी-अभी जो बाढ़ आयी है उसमें पानी भी इतना नहीं बढ़ा जितना कि बढ़ना चाहिये था लेकिन आधे से अधिक लखनऊ शहर डूब गया। उसका कारण यह था कि जो शेल्टर बंन्धे के ऊपर गोमती नदी पर लगाये गये तो पी० डब्लू० डी० और सिंचाई विभाग के कर्मचारियों में झगड़ा होता रहा है कि इनको खोलने की और उठाने की जिम्मेदारी आपकी है वह कहें कि नहीं आपकी है और नतीजा यह हुआ कि काफी तबाही आयी और विशेषकर गरीबों की बस्तियां उसका निशाना बनीं। जो बन्धे बनाये गये हैं मैं अर्ज करना चाहता हुं कि भूतपूर्व सरकार ने एक अजीब ढंग से इसकी योजना बनायी थी कि जहां-जहां भूतपूर्व मुख्य मंत्री का अपना इन्टरेस्ट था मोतीमहल और बड़ी-ब ी इमारतों के संबंध में वहां बन्धा बना दिया गया और जहां दरियापार गरीबों की बस्तियां हैं उनको छोड़ दिया गया। पानी भी ज्यादा नहीं बढ़ा तब भी डालीगंज में खदरा और मदह गंज में गरीबों की बस्तियां बिलकुल डूब गयीं और बड़ा नुक्सान हुआ। दूसरी बात यह है कि यह बन्धा जो बनाया गया है वह इरिगेशन और पी० डब्लू० डी० विभाग ने बनाया है और उसके अन्दर बीच-बीच में थोड़ा बहुत फासला रख दिया गया था। इससे गोमती नदी का पानी दरियापार के क्षेत्रों में घुसता चला जा रहा है। डालीगंज में डायर मेकिन के और दूसरे इलाकों में यह जगहें छोड़ दी गयी हैं। मुझे बताया गया कि सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिये इन जगहों को छोड़ दिया गया। इसके कारण और ज्यादा गम्भीर स्थिति इस नगर की हो सकती है। लखनऊ की बदनसीबी यह है कि यह राजधानी है और यहां सारे मंत्री रहते हैं। इसलिये कहा जाता है कि लखनऊ में तो सब कुछ है। परन्तु चिराग तले अन्धेरा, लेकिन लखनऊ की समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। लखनऊ के ऊपर बहुत बड़ी तबाही गोमती नदी से आने वाली है क्योंकि गरीबों के इलाके में बन्धा बांधा नहीं गया, सिर्फ बड़े-बड़े इलाकों में ही बांधा गया है। जब बाढ़ आयेगी तो पानी उस जगह भी पहुंचेगा जहां अभी तक नहीं पहुंचा है

मेरा यह भी सुझाव है कि बन्धे के अलावा ड्रेजर के द्वारा अगर गोमती नदी को गहरा किया जाय तो पानी आसानी से बहेगा और हर बाढ़ में जो रेत आती है वह निकल जायेगी। अगर यह नहीं किया जायगा तो सिर्फ बांध बांधने से लखनऊ को नहीं बचाया जा सकता है। इस बन्धे को बनाने में पी० डब्लू० डी० ने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। जो बन्धा भरा गया है व जगह-जगह से कट रहा है क्योंकि सुपरवाइजर ने पहले नहीं देखा कि ठेकेदार कौन सा माल लगा रहा है। मेरे खयाल में सी० आई० डी० की कुछ इन्क्वायरीज भी हो रही हैं। मोती महल का पुल जब गिराया गया तो न जाने कितने मजदूर मर गये। उसकी भी जांच हो रही है। वहां पर पत्थर डालने का जो टेण्डर होता है उसमें जितनी मात्रा में टेन्डर डालने की बात होती है उससे कम पत्थर डाले जाते हैं और कागज में ज्यादा दिखला

दिया जाता है। इसलिये सरकार इसके ऊपर जांच करे और जहां जहां बन्धा बनने से रह गया है वहां-वहां बनवा कर उसे पूरा करे ताकि नगर के अन्दर सैलाब सम्बन्धी कोई मामला न उठ खड़ा हो।

*श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने बाढ़ पर विचार प्रकट करने का अवसर दिया। यह सर्व-विदित है कि इस समय घाघरा नदी में भीषण बाढ़ आयी हुई है और घाघरा नदी के किनारे जितने जिले पड़ते हैं वे भीषण बाढ़ से तबाह हैं, जैसे बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़। असेम्बली चालू होने के पूर्व मैं बलिया में था। अखबारों में देखता रहा कि बस्ती, गोरखपुर, देवरिया में बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिये सरकार ने काफी सहूलियत दी लेकिन बलिया में बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता करते हुये न मैंने देखा न सुना। जिलाधीश से भी मैंने पूछा लेकिन लगता है कि सरकार की तरफ से कोई सहूलियत वहां के लोगों को दी नहीं जा सकी। मान्यवर, यह दुर्भाग्य की बात है कि घाघरा नदी में इस समय से एक माह पूर्व ही उफान आ गया जिसके कारण किसान अपने खेतों की बोआई तक नहीं करा सके। जो भाई कर चुके थे उनकी फसलें नष्ट हो गयी। घाघरा की बाढ़ के कारण जो लोग बे घरबार हो गये हैं उनके सामने एक भीषण संकट उठ खड़ा हुआ है।

मान्यवर, बलिया जिला गंगा और घाघरा दो नदियों के बीच में पड़ता है। कभी वह जिला घाघरा से तबाह होता है तो कभी गंगा से। अब की बार गंगा जी की तो कृपा रही है मगर घाघरा नदी ने तबाह कर डाला है। जो लोग घाघरा के किनारे बसे हैं वे बिलकुल तबाह हो गये हैं। बाढ़ के अलावा कटान से भी हजारों घर तबाह हो गये हैं। गांव के गांव कटान से तबाह हो गये हैं। मैं इसके लिये तो सरकार को बधाई दूंगा कि उसने समय से रुपया भेजा, पर खेद की बात यह है कि आपके अधिकारियों ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया और कोई काम नहीं किया। मैंने वहां सिंचाई विभाग के एस० ई० तथा एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से परामर्श किया और उनको सलाह दी कि वे कटान को रोकने के लिये कुछ काम करें। मैंने कठोरा पर एक ठोकर बनाने की सलाह दी। उन्होंने हमारे सुझाव को स्वीकार भी किया और काम भी शुरू किया, मगर कोई नये सज्जन चीफ इन्जीनियर नियुक्त हुये हैं, उन्होंने ऐसा सुना है कि वह काम रुकवा दिया है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उनको ऐसे आदेश दें कि वे उस काम को शुरू करवा दें। वे मौके पर जायं और कटान को रोकने के लिये जो भी आवश्यक कार्यवाही हो उसे तुरन्त करें, ऐसा आप आदेश देने की कृपा करें।

बाढ़ के साथ-साथ इस वर्ष वहां बारिश भी काफी हुई है। बलिया में बारिश काफी होने के कारण जो बड़े-बड़े वहां तालाब हैं—जैसे कोईली मोहाल, कठोरा, सिकरिया कलां आदि वे सभी ऊपर तक भर गये हैं। उससे भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसके लिये मैं और हमारे यहां की जनता मंत्री जी से मिली भी थी। इस पानी की निकासी के लिये कोई प्रबन्ध शीघ्र किया जाना चाहिये। आपने इसके लिये आदेश भी दिये हैं मगर उन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक तरफ घाघरा की बाढ़ से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ इन तालाबों में पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। जो रुपया आपने दिया है उसे कृपया खर्च करायें और जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर कृपया विचार करें। बरसाती पानी की निकासी और कटान रोकने का कार्य शीघ्र कराने के आदेश दें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। देवरिया जनपद ऐसा जनपद है जहां बड़ी गन्डक, छोटी गन्डक, घाघरा, राप्ती, गुर्रा आदि कई नदियां हैं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह रुद्रपुर–कछार क्षेत्र कहलाता है। इसमें एक तरफ राप्ती नदी है और दूसरी तरफ गुर्रा नदी के बीच का वह इलाका है जिसमें ५५ गांव बराबर बाढ़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त]

में डूबे रहते हैं। इस वर्ष भी करीब १०० से अधिक गांव बाढ़ के प्रकोप के शिकार हुए हैं और वे जलमग्न हैं। मान्यवर, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वहां पर राप्ती और गुर्रा नदी पर कोई एक भी पुल नहीं है। आपके माध्यम से मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर सेतु निगम द्वारा तत्काल गुर्रा नदी पर पुल बनवाने की व्यवस्था की जाय। साथ ही सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के इतने दिनों बाद भी हमारे क्षेत्र में कोई ५ मील भी सड़क नहीं है। एक रुद्रपुर–नगवा सड़क है जिसकी बड़ी दुर्दशा है। मैं चाहूंगा कि वे इस सड़क का निर्माण अवश्य करा दें। अभी कुछ दिन पूर्व मेरे इलाके में लघु उद्योग मंत्री इस्तफा हुसैन साहब गय थे तो वे देवरिया भी तशरीफ लाये थे। मेरे साथ उन्होंने भी बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया। मान्यवर, रुद्रपुर–देवरिया सड़क जिसका निर्माण सार्वजनिक विभाग ने कराया था, वर्षों पुरानी सड़क है, लेकिन आज उसकी दुर्दशा ऐसी है कि कोई भी मोटर चालक या उस सड़क से गुजरने वाला आदमी ही उसका अनुभव कर सकता है। उस सड़क के बीच-बीच में जगह जगह गड्ढे हैं। उसे तत्काल और अविलम्ब बनवाया जाय और यदि यह सम्भव न हो तो कम से कम उसकी मरम्मत तुरन्त करवा दी जाय। इसी तरह से गौरी बाजार–रुद्रपुर और रुद्रपुर–बरहज सड़क की भी बड़ी दुर्दशा है। वहां भी तत्काल मरम्मत कराने की व्यवस्था होनी चाहिये।

फसल होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि इस साल बरसात की वजह से फसल तो बिलकुल हुई ही नहीं है। समीपवर्ती सभी १०० गांव पानी में डूब गये हैं। इस-लिये फसलों के पैटर्न का भी कुछ ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि बाढ़ के पूर्व ही कुछ फसलें पैदा करने की व्यवस्था की जाय या ट्यूबवेल वगैरा लगा कर भी उनके माध्यम से यह काम हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ और हमारा इलाका ऐसा है कि जहां बन्धों की जरूरत है। मैं उनको मुबारकवाद देता हूं कि उन्होंने वहां कुछ बन्धे बनवाने की व्यवस्था की लेकिन उतना नहीं हो सका जितना होना चाहिये था। इस लिये मेरा निवेदन है कि उस रकम को अभी आप रहने दें और उसी रकम को अगर दूसरे कामों में या सड़कों के बनाने में डाइवर्ट हो सकता हो तो उसे लगा दें। इन शब्दों के साथ मैं अपने क्षेत्र की दुर्दशा की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं कि वह वर्षों से उपेक्षित चला आ रहा है। इस बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में जो प्रति वर्ष बाढ़ के प्रकोप का शिकार होता रहा है, उसकी दुर्दशा इतनी बुरी है कि वह कहीं नहीं जा सकती। हमारे क्षेत्र के लोग आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि कुछ न कुछ उस क्षेत्र के लिये होगा।

(श्री राम लखन के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष––

आप तो कल बोल चुके हैं। उसी क्रम में बोल सकते थे अब नहीं अवसर मिलेगा। अब आपको समय नहीं दिया जायगा। एक विषय पर दोबारा नहीं बोलने दिया जाता, एक बार आप बोल चुके हैं, उसी क्रम में बोल सकते थे। अब माननीय सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र बोलें।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र (जिला देवरिया)––

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उस जनपद से आता हूं जहां पर ४ मुख्य और बड़ी खतरनाक नदियां हैं। उत्तर में बड़ी गंडक, दक्खिन में घाघरा, पूर्व में राप्ती और पश्चिम में छोटी गंडक। यह हमारे यहां की ज्योग्रफी है। हर साल बाढ़ से इस जनपद में तबाही होती है और हर साल सरकार खर्च भी करती है, सहायता के नाम पर। हर साल सहायता के नाम पर काफी पैसा खर्च होता है। बरबादी के लिहाज से जो पैसा खर्च होता है वह कुछ माने नहीं रखता। वहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर जितने लोग बाढ़ से तबाह होते हैं और जितना नुकसान होता है, सरकार को उस पर एक बार सोचना होगा और सरकार को सोचना चाहिये कि क्या परमानेन्ट सोल्यूशन होना चाहिये। आप हर साल कुछ लाख रुपये जरूर देते हैं। बंधों के नाम पर, कटाव के नाम पर लेकिन वह निश्चित रूप से इंजीनियरों की पाकेट का विषय बनता है। अभी जैसा माननीय जगन्नाथ चौधरी जी ने बताया कि इंजीनियर साहब की शिकायत होती थी कि पैसा बाद में मिलता है। लेकिन अगर इस साल पैसा समय से चला गया तो काम क्यों नहीं हुआ है। काम समय से शुरू होना चाहिये था। लेकिन काम शुरू होता है वहां पर जब बाढ़ आती है क्योंकि बाढ़ के नाम पर जो चीज कागज में दर्ज की जाती है उसका बेरीफिकेशन नहीं होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब अधिकारीगणों को समय से पैसा मिल गया तो काम समय से प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया। अगर काम समय से नहीं आरम्भ किया गया तो मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि उनकी मंशा गलत थी। हमारे जिले में फसल की बरबादी इस साल नदियों से और छोटे-छोटे नालों से हुयी है। प्रारम्भ में पानी के आ जाने के कारण कुछ बुवाई हो गयी थी और बुवाई हो ही नहीं सकी। इसलिये भीषण अकाल की स्थिति है। और सालों में तो बाढ़ आखिर में आती थी कुछ फसल तब तक तैयार हो जाती थी और कुछ फसल निकाल ली जाती थी जिससे कुछ सहायता मिल जाती थी। इस अकाल की स्थिति में सरकार को खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं को उन क्षेत्रों में भेजना चाहिये। सिंचाई मंत्री जी का ध्यान मैं आपके माध्यम से मान्यवर, आकर्षित करना चाहता हूं कि घाघरा नदी तो खास कर मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है हर साल बाढ़ आती है।

बरहज नगरपालिका जिसकी आबादी २५ हजार के करीब है, वहां रेलवे स्टेशन, कालेजेज और सरकारी आफिसेज हैं, वह खुद कटाव पर खतरे की जगह पर स्थित है। पिछले साल जहां कटाव हो रहा था वहां ३० नाव पत्थर गये थे। वह पत्थर वहां जाकर वहां गिरा दिये गये और जब कोई मंत्री या अधिकारी वहां जाता है तो वह पत्थर देखता है। और कहता है पत्थर पड़े हुये हैं। तो यह पत्थर जहां पर गिराये गये वहां पर इनकी आवश्यकता नहीं थी, वहां पर यह नहीं लगे हैं। तो इस तरह से पैसा देने से कोई फायदा नहीं है। हम तो यह समझते हैं कि बार बार किसी चीज को कहते हैं और कार्यवाही नहीं होती है तो मैं यहे मानने लगता हूं कि इसमें निश्चित रूप से सरकार का हाथ है। इंजीनियर कृपा पात्र हैं इसलिये कुछ कर नहीं पाते या कोई और बात है ? या कोई मजबूरी है जिससे कार्यवाही नहीं की जाती है। पिछले साल गौरी बाजार क्षेत्र नहर के पानी से बरबाद हुआ। उसमें मुख्य मंत्री जी गये थे गोरखपुर, मंत्री जी भी गये थे। जांच हुयी और जब यह त्रुटि पायी गयी तो किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी। हमारे यहां ८–१० गांव ऐसे हैं जो कट रहे हैं। परहटा, परसिया, कलिया आदि गांव हैं जो कट रहे हैं। ठोकर बनाने के लिये कोई योजना बनी थी, क्या प्रगति हो रही है नहीं मालुम। मैं यह मानता हूं कि पैसे का अभाव हो सकता है। बड़ी बड़ी स्कीमों को लागू नहीं कर सकते तो जितनी छोटी छोटी योजनायें हैं, पानी की निकासी करनी है जिसमें १०–५ हजार रुपये में कार्य हो सकता है आप उनको नोटिस में लें। ड्रेनेज विभाग के अधिकारी गण बाढ़ में मिलते हैं, दौरा करते हैं और पेट्रोल फूंक देते हैं। बाढ़ के पहले उनका कहीं पता नहीं रहता है। एक गांव बेल है जहां २० फीट का बंधा बांध देने से और यदि उसमें रेगुलेटर लगा दें तो १० हजार एकड़ की बचत हो सकती है। श्री इस्तिफा हुसैन जी वहां गये थे और उन्होंने विचार व्यक्त किया था कि यह बड़ी भूल हुई कि इस पर अभी तक क्यों विचार नहीं किया गया। उन गांवों को जो बाढ़ में हम मदद देते हैं तो उसी धन से बन्धा भी बन सकता है। लेकिन अधिकारी लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो कम पैसे में पूरा हो जाय उसको वह करते हैं। हमने लिखकर भी दिया है लेकिन पता नहीं कब वह काम पूरा होगा। जहां बांध बनने चाहिये वहां न ही बनते हैं लेकिन किसी को ओबलाइज करने के लिये उनके क्षेत्र में बांध बांधने को सरकार तैयार हो जाती है। इसलिये जहां कहीं आवश्यकता हो उसका सर्वे कराकर अपने पास रिकर्ड रखें और प्राथमिकता के आधार पर या जो ज्यादा फायदा दे सके उसको पहले करें। आपके पास कोई लेखा जोखा नहीं है। मैं घाघरा नदी से अपने क्षेत्र में प्रभावित होने वाले इंच-इंच क्षेत्र को जानता हूं। लेकिन पता नहीं आपके

[श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र]

पास रिपोर्टें आयी हैं कि नही। घाघरा नदी श्री हरि केवल प्रसाद के क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। मैं उस क्षेत्र को देखकर आया हूं। इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि आप कष्ट करके वहां चलें और वहां की आवश्यकता को देखें तथा इंजीनियरों की सतर्कता पर ध्यान दें कि कैसे वह काम कर रहे हैं। बाढ़ आयेगी और उस समय पत्थर फेंक देंगे और लाखों रुपय के बिल बनाकर दे देंगे। इसलिये इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी बरहज के कटाव पर ध्यान दें, नहीं तो अरबों रुपये की अचल संपत्ति समाप्त हो जायेगी। रेलवे स्टेशन और स्कूल समाप्त हो जायेंगे। राप्ती और घाघरा नदी वहां पर मिलती हैं जिससे कटाव शुरू होता है। इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये, नही तो करोड़ों और अरबों रुपये का नुकसान होगा।

*राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, कल से आजतक हमारे माननीय सदस्यों ने जो बाढ़ के संबंध में विचार प्रकट किये और जो अपने सुझाव दिये वह बहुत मूल्यवान हैं। यह सही है और कि हमारे प्रान्त में बराबर प्रतिवर्ष जन संख्या का, कृषि का और अकृषि क्षेत्र का बराबर नुकसान होता रहता है। यह बहुत दिनों से समस्या है। इस समस्या का निराकरण सोचा जाय तो, जैसा सिंचाई मंत्री जी ने कहा वह हमारे सामर्थ के बाहर है। कुछ बाढ़ तो इन कारणों से आती है कि जो नदियां दूसरे प्रदेशों से आती हैं वे प्रदेश जब तक हमारे प्रान्त के साथ कोई कम्प्रोमाइज या मसविदा तैयार नहीं करते हैं तब तक उन बाढ़ों का पूर्ण रूप से रोकना असम्भव होगा। इसमें दो राय नहीं कि जनता को बाढ़ से असहनीय तकलीफ होती है। श्रीमन्, बाढ़ की व्यवस्था कई विभागों से सम्बन्धित है। एक तो सिंचाई विभाग है, दूसरा पी० डब्लू० डी० और तीसरा राजस्व विभाग। राजस्व विभाग बाढ़ के लिए कोई स्थायी निराकरण नहीं कर सकता। क्योंकि कई जिलों में देखा कि कुछ बांध बन गये या कोई सड़क बन गयी तो उनकी वजह मे पानी इकट्ठा हो जाता है। इस विभाग का सम्बन्ध केवल इतना है कि अगर बाढ़ आ जाय तो राहत कार्यों के द्वारा क्या मदद हो सकती है। जो सूचना जिलाधिकारियों द्वारा या माननीय सदस्यों द्वारा मिलती है तो यह विभाग राहत कार्य पर खर्च करता है। जिस जिलाधिकारी ने जितनी धनराशि की मांग की उसे यहां से तुरन्त भेज दिया गया। कल बस्ती जिले में एक लाख रुपया भेजा गया। लेकिन एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह कम है। मुख्य मंत्री जी ने मुझे आदेश दिया कि पांच लाख रुपया भेज दो। लेकिन कुछ माननीय सदस्य आये और उन्होंने कहा कि गल्ला बांटने में भ्रष्टाचार है। यह बस्ती जिला वह है जहां पारसाल बाढ़ में मेरे सुपुर्द वह सौंपा गया था और मैं ९ दिन वहां रहा। जैसा कि तिवारी जी ने कहा हमारे अच्छे-अच्छे अधिकारी मौके पर बाजारा और ज्वार बांट रहे थे और लिख रहे थे चना। वह अधिकारी सस्पेंड हुए। लेकिन जैसा तिवारी जी ने कहा वह बहाल हो गये। यह भी सही है कि इसकी सूचना मुझे नहीं है। इसलिये जब पांच लाख रूपये भेजने की बात हुई तो माननीय सदस्यों ने आकर कहा कि इसका दुरुपयोग होगा। इतना तो है कि किसी विभाग में जो पकड़ा जाता है गलत काम करते हुए तो उसको सजा दी जाती है लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नीचे से ऊपर तक सम्बन्धित हैं। किसी अधिकारी की अगर जांच कराई जाती है उसके ऊपर के अधिकारी द्वारा तो बहुत कम बात आती है। जैसे इरिगेशन है। अगर शिकायत होगी तो उसी के ऊपर का अफसर जांच करने जाता है। भगवान जाने कि क्यों कम रिपोर्ट आती है कि भ्रष्टाचार कम होता है।

कुछ मुआइने भी इस दरमियान किये और कुछ अधिकारियों ने उन मुआइनों को गलत बताया लेकिन शिक्षा मंत्री ने ऐक्शन लिया।

आज बाढ़ की स्थिति यह है कि जिन बारह जिलों की सूचना मेरे पास आई है उसमें जो भीषण बाढ़ है वह बस्ती में है। प्रभावित गांवों की संख्या २६९ है, जनसंख्या ७,९७,२०० प्रभावित हुई और जो क्षेत्रफल प्रभावित हुआ एग्रीकल्चरल और नान-एग्रीकल्चरल वह है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

५,२६,२५० जिसमें एग्रीकल्चरल क्षेत्रफल की सूचना अभी मेरे पास नहीं आयी है क्योंकि अभी इसका मूल्यांकन नहीं हुआ। केवल बस्ती जिले को छोड़कर प्रभावित क्षेत्रफल की सूचना जो मेरे पास आई है वह ४१,३९० है। यह क्षेत्रफल कृषि का है। बराबर निरन्तर प्रति वर्ष हमारी खाद्य की स्थति पर प्रभाव पड़ता। इसमें कोई स्कीम ऐसी होनी चाहिये—चाहे वह धीरे-धीरे ही क्रियान्वित हों, इस बाढ़ के प्रकोप को रोका जा सके। लेकिन कुछ प्रकृति का भी कारण होता है, कितना ही मनुष्य क्यों न प्रयास करे लेकिन जहां प्रकृति का प्रकोप होता है वहां मुश्किल होती है। लखनऊ में ६ करोड़ का बांध बनाया गया लेकिन फिर भी यहां कई मकान पहले जो वर्षा हुई थी उसमें क्षति हुई, जब उसका कारण बोर्ड में आया तो मुख्य कारण यह बताया गया कि वह नीची सतह पर मकान है और बांध की गलती की वजह से वहां पानी का निकास नहीं हो पाता। तो जिस अच्छाई के लिये ६ करोड़ रुपया व्यय किया गया, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्राउन्ड के कारण जो पानी का लागिंग हो जाता है उसकी वजह से नुकसान होता है।

जहां तक वितरण व्यवस्था का प्रश्न है, चना एक ऐसी चीज है जो जीवन के लिये उपयोगी है उसी का वितरण किया जाता है। बाकी वस्तुओं के लिये तो आग की आवश्यकता होती है, लेकिन चना एक ऐसी वस्तु है जो अगर बाढ़ के पानी से ही भिगो दिया जाय तो एक जीवन बन जाता है। लेकिन कहीं-कहीं से शिकायत मिली है कि वहां चना को जो बांटने के जिम्मेदार हैं कुछ अपने थोड़े से फायदे के लिये गरीबों को दूसरी वस्तुएं बांट देते हैं। तो मेरे विभाग का सिर्फ इतना कसूर हो सकता है कि अगर किसी जिलाधिकारी ने रुपया मांगा हो और न भेजा जाय। मैं दावे के साथ कह सकता हूंकि जिस अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी, उसको उसी हिसाब से रुपया भेजा गया है। जहां तक हमारे विशारद जी ने जो बात कही, वह सही है कि यह समस्या पुरानी है और उचित भी है। बाढ़ से जो खेत बह जाते हैं, उनके नाम लगान चलता है तो यह अनुचित बात है। मैंने इस सम्बन्ध में सब जगह डाइरेक्शन भेज दिये हैं कि अगर किसी की जमीन बह जाती है तो लगान माफी होना चाहिये और लगान माफी की वजह से न उन पर लेवी होगी और न उन पर विकास कर लगेगा लेकिन इन्द्राज उनके नहीं कटने चाहिए, ताकि जमीनें जब कभी निकल आएं तो फिर वे लोग उन्हें जोतने लगें।

जहां तक फीस का प्रश्न है, उसमें बराबर आर्डर्स हैं कि यदि इतने एकड़ तक के किसानों के ल.के बाढ़ से प्रभावित हुए हैं तो उन्हें फीस माफी होगी और सरकार उन संस्थाओं की क्षति का भुगतान करेगी। इसी तरह से लगान का है कि जहां-जहां प्रभावित हुए हैं और इतने एकड़ के हैं। इसमें थोड़ा रिस्ट्रक्शन रखना पड़ा है, क्योंकि मान लीजिए किसी के ४ खेत हैं, तो उसका लगान तो रुक सकता है, लेकिन फीस माफी पर रोक लगानी पड़ती है। उसकी भी फीस माफी होना कुछ उचित नहीं रहता है। इसलिये इस पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ता है। तो मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं और जो उनके सुझाव हैं, जिनको सिंचाई मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने सुना है, वे सब सरकार के विचाराधीन हैं, कैबिनेट में भी उन पर विचार हुए हैं कि क्या कोई परमानेन्ट स्कीम हो सकती है। इस सम्बन्ध में विदेशों से भी परामर्श हो रहा है। नैपाल से भी बात हुई है, क्योंकि वहां से कई नदियां निकलती हैं। केन्द्रीय सरकार को इस बात के आदेश भेजे गये हैं कि वह इस समस्या को अपने हाथ में ले ले, तभी इसका पूर्ण निवारण हो सकेगा। अब मैं समझता हूं कि इसके अलावा राजस्व विभाग की ओर से कोई निवारण की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और ४ अगस्त, दिन सोमवार को ११ बजे पुनः हम बैठेंगे।

(इसके बाद सदन २ बजकर ३१ मिनट पर सोमवार, ४ अगस्त, १९७५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१ अगस्त, १९७५।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९५ पर)

उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व विधेयक, १९७५

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

चार या उससे अधिक फ्लैटों वाले भवनों में अलग-अलग फ्लैटों के स्वामित्व और उपयोग से सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व अधिनियम, १९७५ कहलायेगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम का लागू होना

२—यह अधिनियम केवल उस सम्पत्ति पर लागू होगा जिसका एक मात्र स्वामी या जिसके सभी स्वामी सम्यक रूप से ऐसी घोषणा निष्पादित तथा रजिस्ट्री कराकर जिसमें धारा १० में निर्दिष्ट विशिष्टियां दी हुई हों, उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर दें :

परन्तु कोई भी सम्पत्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नहीं की जायेगी, जब तक कि इसका आवासिक प्रयोजनों के लिये वास्तव में उपयोग न किया जाता हो या उपयोग किया जाना प्रस्थापित न हो :

परन्तु यह और कि ऐसी भूमि का जिस पर कोई भवन स्थित हो, एक मात्र स्वामी या उसके सभी स्वामी उस भूमि को इस शर्त के साथ इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर सकेंगे कि वह या वे ऐसी भूमि का पट्टा फ्लैट के स्वामियों को करेंगे और ऐसी दशा में पट्टे की शर्तें तथा निर्बन्धन निष्पादित किये जाने वाले पट्टे की लिखत की एक प्रतिलिपि ऐसी घोषणा में लगा कर या अन्यथा, घोषणा में प्रकट किये जायेंगे ।

परिभाषायें

३—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "फ्लैट" का तात्पर्य किसी सम्पत्ति के ऐसे भाग से है जिससे किसी सड़क, मार्ग या राज-मार्ग पर अथवा ऐसी सड़क मार्ग या राज-मार्ग तक जाने वाली किसी सामान्य क्षेत्र पर सीधा निकास हो तथा जो सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अपने अविभाजित हित सहित एक स्वतंत्र आवासिक इकाई हो ;

(ख) "भवन" का तात्पर्य एक ही परिक्षेत्र में स्थित ऐसे किसी भवन या एकाधिक भवनों से है जिनमें कुल मिलाकर चार या उससे अधिक फ्लैट हों ;

(ग) "उपविधियों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों से है ;

(घ) "सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(१) भूमि जिस पर भवन स्थित हो और भूमि तथा भवन के सभी सुखाचार, अधिकार और उपांग;

(२) भवन की नींव, स्तम्भ, गर्डर, धरन, आलम्ब, मुख्य दीवालें, छतें, हाल, गलियारे, लाबियां, सीढ़ियां, सोपान, अग्नि-सोपान, प्रवेश तथा निकास द्वार;

(३) तहखाने, अधः कोष्ठ, प्रांगण, उद्यान, गाड़ी खड़ी करने के स्थान और भंडारकरण के स्थान;

(४) सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिये सेवायोजित प्रतिहारों या व्यक्तियों के वास के लिये परिसर;

(५) सामान्य सेवायें जैसे शक्ति, प्रकाश, गैस, गर्म या ठंडा पानी, तापन, प्रशीतन, वातानुकूलन तथा सीवर व्यवस्था ;

(६) एलीवेटर, टैंक, पम्प, मोटर, कम्प्रेसर, पाइप तथा नाली और साधारणतः सामान्य उपयोग के लिये विद्यमान सभी साधित्र तथा संस्थापन;

(७) ऐसी अन्य सुविधायें जिनके लिये घोषणा में विशेषतः व्यवस्था की जाय;

(८) सम्पत्ति के ऐसे अन्य सभी भाग जो उसके अस्तित्व, अनुरक्षण तथा सुरक्षा के लिये आवश्यक या सुविधाजनक हो या साधारणतः सामान्य उपयोग में हों;

(ङ) "सामान्य व्यय" का तात्पर्य सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं के प्रशासन, अनुरक्षण, मरम्मत या प्रतिस्थापन के व्ययों तथा फ्लैटों के स्वामियों के संगम द्वारा फ्लैटों के स्वामियों के प्रति निर्धारित सभी अन्य राशियों से है;

(च) "सामान्य लाभ" का तात्पर्य सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं से समस्त आय, किराया, लाभ तथा राजस्व के उस अतिशेष से है जो सामान्य व्यय को कटाने के पश्चात् बचे;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अधीन नियुक्त आवास आयुक्त से है;

(ज) "घोषणा" का तात्पर्य ऐसी लिखत से है जिसके द्वारा कोई सम्पत्ति एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की जाय;

(झ) "सीमित सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं" का तात्पर्य उन सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं से है जिन्हें घोषणा में अन्य फ्लैटों को अपवर्जित करके किसी फ्लैट या किन्हीं फ्लैटों के उपयोग के लिये आरक्षित अभिहित किया जाय;

(ञ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(ट) "सम्पत्ति" में कोई भूमि, उस पर निर्मित या निर्माण के लिये प्रस्थापित कोई भवन तथा सामान्य क्षेत्र और सुविधायें समाविष्ट हैं।

फ्लैटों का अन्तरणीय तथा दाय योग्य सम्पत्ति होना

४—(१) प्रत्येक फ्लैट का स्वामी घोषणा के अनुसार अपने फ्लैट के एकल स्वामित्व तथा कब्जे का हकदार होगा ।

(२) धारा २ के द्वितीय परन्तुक के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई फ्लैट सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अपने अविभाजित हित सहित, समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थान्तर्गत दाय योग्य तथा अन्तरणीय स्थावर सम्पत्ति होगा :

परन्तु किसी फ्लैट का और ऐसे फ्लैट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधायें में अविभाजित हित के प्रतिशत का, किसी भी प्रयोजन के लिये विभाजन या अन्तर्विभाजन नहीं किया जायगा ।

सामान्य क्षेत्र और सुविधायें

५—(१) प्रत्येक फ्लैट का स्वामी सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में, घोषणा में अभिव्यक्त प्रतिशत के अनुसार, अविभाजित हित का हकदार होगा ।

(२) सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में प्रत्येक फ्लैट के स्वामी के अविभाजित हित के प्रतिशत में, जैसा कि वह घोषणा में अभिव्यक्त हो, समस्त फ्लैटों के स्वामियों की सहमति के बिना जो इस अधिनियम की अपेक्षानुसार सम्यक् रूप से निष्पादित तथा रजिस्ट्रीकृत की गई संशोधित घोषणा में अभिव्यक्त हो, कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

(३) सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित के प्रतिशत को उस फ्लैट से, जिससे वह अनुलग्न हो, पृथक नहीं किया जायगा, और वह फ्लैट के साथ हस्तांतरित अथवा विल्लंगमित समझा जायगा, भले ही हस्तांतरण-पत्र या अन्य लिखत में ऐसा हित अभिव्यक्ततः उल्लिखित न हो ।

(४) सामान्य क्षेत्र और सुविधायें अविभाजित रहेंगे, और उसके विभाजन या प्रविभाजन के लिये किसी फ्लैट के स्वामी या अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर कोई वाद नहीं लाया जायगा, जब तक कि सम्पत्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों से प्रत्याहृत न कर ली गई हो ।

(५) प्रत्येक फ्लैट का स्वामी सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं का उपयोग उन प्रयोजनों के लिये जिनके लिये वे आशयित हों, अन्य फ्लैटों के स्वामियों के विधिपूर्ण अधिकारों को प्रतिबाधित या अधिक्रमित किये बिना कर सकेगा ।

(६) सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं के अनुरक्षण, मरम्मत तथा प्रतिस्थापन और उनमें कोई परिवर्द्धन या सुधार करने से सम्बन्धित कार्य इस अधिनियम और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा ।

(७) फ्लैट के स्वामियों के संगम को प्रत्येक फ्लैट में किन्हीं भी सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं के जो वहां हों या जो वहां से सुगम हों, अनुरक्षण, मरम्मत तथा प्रतिस्थापन के लिये अथवा सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं को अथवा अन्य फ्लैटों को होने वाले किसी नुकसान को रोकने के लिये उनमें आपाती मरम्मत के लिए, युक्ति-युक्त समय के दौरान , समय-समय पर पहुंच का अप्रतिसंहरणीय अधिकार होगा जिसका प्रयोग संगम की ओर से प्रबन्धक या प्रबन्धक बोर्ड द्वारा ऐसी सहायता से जो, यथास्थित, प्रबन्धक या प्रबन्धक बोर्ड आवश्यक समझे, किया जायगा ।

उपविधियों, प्रसंविदाओं आदि का अनुपालन

६—प्रत्येक फ्लैट का स्वामी उपविधियों तथा घोषणा में उपवर्णित प्रसंविदाओं, शर्तों तथा निर्बन्धनों का कड़ाई से अनुपालन करेगा और उसके द्वारा उनमें सेकिसी का भी अनुपालन न किया जाना फ्लैटों के स्वामियों के संगम की ओर से प्रबन्धक या प्रबन्धक बोर्ड के अनुरोध पर, या समुचित मामले में किसी

फ्लैट के व्यथित स्वामी द्वारा, नुकसानी की वसूली के लिए या अन्य अनुतोष अथवा अनुतोषों के लिये कार्यवाही करने का आधार होगा।

कतिपय कार्य का प्रतिषिद्ध होना

७—किसी फ्लैट का स्वामी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो सम्पत्ति अथवा दायित्व की सुदृढ़ता या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो और वह न तो कोई सारवान संरचना करेगा और न कोई अतिरिक्त तहखाना या अधःकोष्ठ खोदेगा ।

फ्लैटों पर विल्लंगम

८—(१) उस कालावधि के दौरान जब सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन रहे, सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई विल्लंगम सृजित नहीं किया जायगा :

परन्तु ऐसी कालावधि के दौरान प्रत्येक फ्लैट पर तथा ऐसे फ्लैट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुवधाओं में अविभाजित हित के प्रतिशत पर, उसी रीति से कोई विल्लंगम सृजित किया जासकेगा जिस रीति से व्यक्तिगत स्वामित्व के अधीन किसी अन्य पृथक सम्पत्ति खंड के सम्बन्ध में विल्लंगम सृजित किया जाता है ।

(२) सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं केलिये किये गये श्रम तथा दी गई सामग्री के बारे में, यदि वह इस अधिनियम, घोषणा या उपविधियों के अनुसार फ्लैटों के स्वामियों के संगम, प्रबन्धक या प्रबन्धक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो, यह समझा जायगा कि उसे प्रत्येक फ्लैट के स्वामी की अभिव्यक्त सम्मति से किया गया या दिया गया है और वह सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ के अधीन प्रत्येक फ्लैट पर भार या विल्लंगम के लिये आधार होगी तथा उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन होगी ।

(३) (क) दो या उससे अधिक फ्लैटों पर संयुक्त रूप से किसी भार या विल्लंगम के प्रभावी होने की दशा में, पृथक-पृथक फ्लैटों के स्वामी अपने-अपने फ्लैटों की तथा ऐसे फ्लैटों से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित के प्रतिशत की, घोषणा में दिये गये प्रतिशत के अनुसार, प्रत्येक प्रभावित फ्लैट पर आरोप्य भिन्न या अनुपाती धनराशि का भुगतान करके भार या विल्लंगम से हटा सकेंगे ।

(ख) ऐसी किसी संदाय, उन्मोचन अथवा अन्य तुष्टि के पश्चात् फ्लैट और उससे अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित का प्रतिशत, इस प्रकार प्रदत्त, तुष्ट अथवा उन्मोचित भार या विल्लंगम से तत्पश्चात् मुक्त और बरी हो जायेंगे ।

(ग) ऐसा आंशिक संदाय, तुष्टि या उन्मोचन ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई भार या कोई अन्य विल्लंगम हो, असंदत्त, अतुष्ट या अननुमोचित किस फ्लैट और उससे अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित के प्रतिशत पर, उसके अधिकार को प्रवर्तित कराने की कार्यवाही कराने से निवारित नहीं करेगा ।

सामान्य लाभ तथा व्यय

९—सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में फ्लैटों के स्वामियों के अविभाजित प्रतिशत के अनुसार उनके बीच सम्पत्ति का सामान्य लाभ बांटा जायगा और सामान्य व्यय भारित किया जायगा ।

घोषणा की विषय वस्तु

१०—(१) धारा २ में निर्दिष्ट घोषणा ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जो विहित की जाय, प्रस्तुत की जायगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) सम्पत्ति का वर्णन अर्थात् उस भूमि का वर्णन जिस पर भवन स्थित है या स्थित किया जाने वाला है और क्या वह भूमि माफी की है या पट्टाधृत है और क्या भूमि का कोई पट्टा धारा २ के द्वितीय परन्तुक के अनुसार दिया जाना है, और भवन या प्रस्थापित भवन का वर्णन जिसमें मंजिलों तथा तहखानों की संख्या तथा फ्लैटों की संख्या उल्लिखित की जायगी;

(ख) सम्पत्ति में स्वामी या स्वामियों के हित का स्वरूप ;

(ग) वर्तमान विल्लंगम, यदि कोई हो, जिससे सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो;

(घ) प्रत्येक फ्लैट का वर्णन जिसमें उसकी अवस्थिति, लगभग क्षेत्रफल, कमरों की संख्या, निकटस्थ सामान्य क्षेत्र जिस पर उसका निकास हो तथा उसकी समुचित पहचान के लिये आवश्यक कोई भी अन्य आधार—तथ्य;

(ङ) सीमित सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं का वर्णन;

(च) सीमित सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं, यदि कोई हो, का वर्णन जिसमें यह उल्लिखित किया जायगा कि किन फ्लैटों के लिये उनका उपयोग आरक्षित है;

(छ) सम्पत्ति और प्रत्येक फ्लैट का मूल्य तथा सभी प्रयोजनों के लिये जिनके अन्तर्गत मतदान भी है प्रत्येक फ्लैट से अनुलग्न और उसके स्वामी का सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित का प्रतिशत ।

अधिनियम के उपबन्धों से प्रत्याहरण

११—(१) समस्त फ्लैटों के स्वामी तदर्थ निष्पादित किये गये लिखत द्वारा सम्पत्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों से प्रत्याहृत कर सकेंगे।

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों से सम्पत्ति को प्रत्याहृत कर दिये जाने पर यह समझा जायगा कि वह फ्लैटों के स्वामियों के सामान्य स्वामित्व में है और उस सम्पत्ति में ऐसे प्रत्येक स्वामी का अंश वह प्रतिशत होगा जो सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में ऐसे स्वामी के स्वामित्व में हो।

(३) किसी भी फ्लैट को प्रभावित करने वाला कोई विल्लंगम सम्पत्ति में फ्लैट के स्वामी के अविभाजित हित के प्रतिशत में, वर्तमान पूर्विकता के अनुसार जैसा कि इसमें व्यवस्थित है, अन्तरित समझा जायगा।

(४) उप धारा (१) में व्यवस्थित प्रत्याहरण बाद में सम्पत्ति का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पुनः कर दिया जाना किसी प्रकार से वर्जित न करेगा ।

घोषणा आदि के लिखतों का अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकरणीय होना

१२—धारा १० में निर्दिष्ट घोषणा या उसका कोई संशोधन या धारा ११ में निर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबन्धों से किसी सम्पत्ति के प्रत्याहरण से सम्बन्धित समस्त लिखतें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ की धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अर्थान्तर्गत अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकरणीय लिखतें समझी जायंगी ।

उपविधियां

१३—(१) प्रत्येक सम्पत्ति का प्रबन्ध ऐसी उपविधियों के अनुसार किया जायगा जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाई जायें।

(२) उपविधियों में अन्य विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित की भी व्यवस्था की जायगी, अर्थात् :—

(क) वह रीति जिसके अनुसार फ्लैटों के स्वामियों का संगम बनाया जायगा, फ्लैटों के स्वामियों में से प्रबन्धक बोर्ड का निर्वाचन, बोर्ड गठित करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऐसे बोर्ड के उन सदस्यों की संख्या जो प्रति वर्ष निवृत्त होंगे, बोर्ड की शक्तियां तथा उसके कर्त्तव्य, बोर्ड के सदस्यों को पद से हटाने का ढंग, सचिव या प्रबन्धक को नियुक्त करने की बोर्ड की शक्ति, ऐसे सचिव या प्रबन्धक को शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन;

(ख) फ्लैटों के स्वामियों के अधिवेशन बुलाने का ढंग और गण-पूर्ति के लिये उनकी संख्या;

(ग) अध्यक्ष का, जो बोर्ड के तथा फ्लैटों के स्वामियों के संगम के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा, निर्वाचन;

(घ) सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं का अनुरक्षण, मरम्मत तथा प्रतिस्थापन और उसके लिये संदाय;

(ङ) फ्लैटों के स्वामियों से सामान्य व्यय के अंश को वसूल करने की रीति;

(च) कोई अन्य विषय जो सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिये आवश्यक समझा जाय।

पृथक निर्धारण

१४—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक फ्लैट तथा सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित में उसके प्रतिशत को, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्ग्रहणीय रेट तथा कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ पृथक सम्पत्ति समझा जायगा।

सामान्य व्ययों के लिये सम्पत्ति का भार

१५—किसी फ्लैट पर प्रभार्य सामान्य व्ययों के अंश के लिये फ्लैटों के स्वामियों के संगम द्वारा निर्धारित सभी धनराशियां ऐसे फ्लैट पर सिवाय उस भार के, यदि कोई हो, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय करों के संदाय के लिये हो, अन्य सभी भारों से पूर्वक भार होगी।

बीमा

१६—(१) प्रबन्धक या प्रबन्धक बोर्ड को, यदि घोषणा या उप-विधियों द्वारा या फ्लैटों के स्वामियों के बहुमत द्वारा अपेक्षा की जाय तो, अथवा ऐसे बन्धकदार के अनुरोध पर जिसको किसी फ्लैट के सम्बन्ध में प्रथम बन्धक किया गया हो, सम्पत्ति का अग्नि और ऐसे अन्य परिसंकटों से हानि के या नुकसान के विरुद्ध, ऐसी शर्तों पर तथा उतनी धनराशियों के लिये जिनके लिये अपेक्षा की जाय या अनुरोध किया जाय, बीमा कराने का प्राधिकार होगा और वह उसका बीमा करायेगा।

(२) सम्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसी बीमा कवरेज घोषणा में निश्चित प्रतिशतों के अनुसार फ्लैटों के स्वामियों में से प्रत्येक के लिये न्यासी के रूप में ऐसे प्रबन्धक के या फ्लैटों के स्वामियों के संगम के प्रबन्धक बोर्ड के नाम से लिखा जायगा ।

(३) ऐसे बीमा से सम्बद्ध किश्तें सामान्य व्यय होंगी ।

(४) ऐसे बीमे के पूर्ववर्ती उपबन्धों से प्रत्येक फ्लैट के स्वामी के अपने लाभ के लिये अपने फ्लैट का बीमा करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

सम्पत्ति के विनाश या नुकसान पर व्ययन

१७---यदि समस्त सम्पत्ति या उसके भाग का नुकसान या विनाश होने क दिनांक से साठ दिन के भीतर फ्लैटों के स्वामियों के संगम द्वारा यह अवधारित न किया जाय कि उसकी मरम्मत करना है या उसका पुनर्संनिर्माण या विनिर्माण करना है, तब और उस दशा में---

(क) सम्पत्ति के बारे में यह समझा जायगा कि वह फ्लैटों के स्वामियों के सामान्य स्वामित्व में है;

(ख) सामान्य स्वामित्व वाली सम्पत्ति में प्रत्येक फ्लैट के स्वामी का जो अविभाजित हित होगा वह अविभाजित हित का वह प्रतिशत होगा जो सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में ऐसे स्वामी के स्वामित्व में पहले से हो;

(ग) किसी भी फ्लैट को प्रभावित करने वाले कोई विल्लंगम वर्तमान पूर्विकता के अनुसार सम्पत्ति में फ्लैट के स्वामी के अविभाजित हित के प्रतिशत में जैसा कि इसमें व्यवस्थित है, अन्तरित समझे जायेंगे;

(घ) किसी फ्लैट के स्वामी के वाद पर सम्पत्ति के सम्बन्ध में विभाजन की कार्यवाही की जा सकेगी और उस दशा में सम्पत्ति के बीमा के शुद्ध आगम सहित, यदि कोई हो, विक्रय के शुद्ध आगम को एक निधि समझा जायगा तथा उसे, फ्लटों के स्वामियों के समस्त सम्बन्धित अंशों का उस सीमा तक जो इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त हो, तथा सम्पत्ति में प्रत्येक फ्लैट के स्वामी के स्वामित्व में उसके अविभाजित हित पर समस्त भारों का, पहले भुगतान करने के पश्चात् समस्त फ्लैटों के के स्वामियों में उसी प्रतिशत के अनुसार विभक्त किया जायगा जो सम्पत्ति में प्रत्येक स्वामी के स्वामित्व के विभाजित हित के प्रतिशत के बराबर हो।

विधिक कार्यवाहियां

१८---(१) किसी फ्लैट के स्वामी के अधिकारों को परिसीमित किये बिना दो या अधिक फ्लैटों के स्वामियों की ओर से सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं से अथवा एक से अधिक फ्लैटों से सम्बन्धित किसी वाद हेतुक के सम्बन्ध में जैसे उनके अपने-अपने हित प्रतीत हों, प्रबन्धक या प्रबन्धक बोर्ड द्वारा, दोनों में से किसी भी दशा में प्रबन्धक बोर्ड के विवेकानुसार वाद लाया जा सकेगा तथा विधिक कार्यवाहियां की जा सकेंगी ।

(२) सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं या एक से अधिक फ्लैटों से सम्बद्ध किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों में, दो या अधिक फ्लैट के स्वामियों पर आदेशिका की तामील उस व्यक्ति पर की जा सकेगी जिसे आदेशिका की तामील प्राप्त करने के लिये घोषणा में पदाभिहित किया गया हो।

फ्लैटों के स्वामियों, किरायेदारों आदि पर अधिनियम आबद्धकर होगा

१९—(१) समस्त फ्लैटों के स्वामी, ऐसे स्वामियों के किरायेदार, स्वामियों तथा किरायेदारों के कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई सम्पत्ति या उसके किसी भाग का किसी रीति से प्रयोग करेंगे, इस अधिनियम के और घोषणा और उपविधियों के अधीन होंगे।

(२) इस अधिनियम, घोषणा या उपविधियों के अधीन नियत मतदान प्रतिशत के अनुसार फ्लैटों के स्वामियों के संगम द्वारा विधि पूर्वक किये गये समस्त करार, विनिश्चय तथा अवधारण समस्त फ्लैटों के स्वामियों पर आबद्ध कर समझे जायेंगे ।

असंदत्त सामान्य व्ययों के लिये विक्रेता आदि का संयुक्त और पृथक दायित्व

२०—(१) किसी फ्लैट के विक्रय या अन्य अनुदान पर, उस फ्लैट का क्रेता या अनुदानगृहीता ऐसे विक्रय या अनुदान के समय तक के सामान्य व्ययों में से विक्रेता या अनुदाता के अंश के लिये उसके प्रति समस्त असंदत्त निर्धारणों के लिये, विक्रेता या अनुदाता साथ के संयुक्ततः और पृथकतः दायी होगा किन्तु इससे क्रेता या अनुदानगृहीता द्वारा उसके लिये संदत्त की गई धनराशि को विक्रेता या अनुदाता से वसूल करने के क्रेता या अनुदानगृहीता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(२) ऐसा कोई भी क्रेता या अनुदानगृहीता सचिव या प्रबन्धक बोर्ड से ऐसा विवरण पाने का हकदार होगा जिसमें विक्रेता या अनुदाता के सम्बन्ध में असंदत्त निर्धारण की धनराशि दी हुई हो और ऐसे फ्लैट के सम्बन्ध में सामान्य व्ययों के किसी ऐसे असंदत्त अंश के लिये जो उसमें दी गई धनराशि से अधिक हो, न तो क्रेता या अनुदानगृहीता दायी होगा और न विक्रय या अनुदत्त किया गया फ्लैट किसी भार के अधीन होगा ।

शंकाओं का दूर किया जाना

२१—शंकाओं को दूर करने के लिये एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, प्रत्येक फ्लैट पर जिसके साथ उसके सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में उसका अविभाजित हित भी है, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उपबन्ध किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति पर लागू होते हैं ।

नियम बनाने की शक्ति

२२—(१) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य—शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब कि उसका सत्र हो रहा हो कुल तीस दिन की कालावधि पर्यन्त जो एक सत्र या एक से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित हो सकेगी, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन होते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन, उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व विधेयक, १९७५ का उद्देश्य संयुक्त भवनों के अलग-अलग फ्लैटों की अन्तरणीयता को सुकर बनाने की दृष्टि से उनके स्वामित्व और उपयोगसे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करना है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि अलग-अलग फ्लटों के सम्बन्ध में स्थानीय या कोई अन्य कर पृथक् रूप से निर्धारित किये जायं।

इस समय फ्लैटों के विक्रेताओं को ऐसे फ्लैट बेचने या बन्धक रखने में कठिनाई होती है। प्रस्थापति उपबन्धों से लोग स्वतंत्र फ्लैट वाले बहुखंडी भवनों में पूंजी लगाने के लिये प्रोत्साहित होंगे ।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

जगदीश शरण अग्रवाल,
स्वायत्त शासन मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ख"

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९५ पर)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७५

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९५२ ई० की धारा ४ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, उसकी धारा ४ में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि खंड (ख) या (ग) में निर्दिष्ट मेम्बर निर्वाचित नहीं किये जाते हैं, राज्य सरकार उस खंड में उल्लिखित व्यक्तियों के वर्ग वाले मेम्बरों को नामजद कर सकती है, और इस प्रकार नामजद व्यक्ति उस खंड के अधीन मेम्बरों के यथाविधि निर्वाचन तक पद धारण करेंगे।"

धारा ४१ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ४१ में—

(क) शब्द "अधिकार" के स्थान पर शब्द "अधिकार और कर्त्तव्य" रख दिये जायं।

(ख) उपधारा (१) में, शब्द, अंक और अक्षर "धारा ४१-क के अधीन संघटित" निकाल दिये जायं।

(ग) खण्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(२) प्रत्येक वर्ष, संकाय के हाथों में इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये, पर्याप्त निधि सौंपना",

धारा ४१-क का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ४१-क में—

(क) उपधारा (२) में,

(१) खंड (घ) में शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "खंड (ख) तथा (ग)" के पूर्व शब्द तथा अंक "धारा ४ के" बढ़ा दिये जायें और शब्द "निर्धारित रीति से" के स्थान पर शब्द "ऐसी रीति से जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दें" रख दिये जायं।

(२) निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि धारा ४ के खंड (ख) के मेम्बर उस खंड के अधीन निर्वाचित नहीं किये जाते हैं किन्तु उस धारा के प्रतिबंधात्मक खंड के अधीन नामजद किये जाते हैं तब तक इस उपधारा के खंड (ख) और (घ) में उल्लिखित मेम्बर भी राज्य सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति होंगे।"

(ख) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(५) एक संकाय फंड स्थापित किया जायेगा, और उसके नामे निम्नलिखित धन जमा किया जायगा :—

(क) धारा ४१ के खंड (२) के अधीन संकाय के हाथ में सौंपा गया समस्त धन,

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त समस्त ग्रान्ट,

(ग) संकाय द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त धन।

(६) उपधारा (५) के अधीन स्थापित फण्ड पर धारा ४५ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(७) संकाय का अध्यक्ष संकाय फण्ड में उपलब्ध धन का आहरण तथा वितरण प्राधिकारी होगा।"

धारा ४१—ख का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ४१—ख में, खंड (घ) में, शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "संकाय" रख दिया जाय।

धारा ४५ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ४५ में, शब्द "इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया" के स्थान पर शब्द "स्टेट बैंक आफ इंडिया" रख दिया जाय।

धारा ५५ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ५५ की उपधारा (१) में वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित नया प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा विनियम संकाय की सिफारिश के बिना नहीं बनाया जायगा।"

धारा ५७ का प्रतिस्थापन

८—मूल अधिनियम की धारा ५७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

नियम और विनियम

"५७—(१) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त जो उसके एक सत्र में या एक से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रखते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान

मंडल के दोनों सदन, उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों; किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

(२) बोर्ड द्वारा इस अधिनयम के अधीन बनाया गया कोई विनियम तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उसकी पुष्टी राज्य सरकार द्वारा न कर दी जाय और उसे गजट में प्रकाशित न कर दिया जाय।"

परिशिष्ट का संशोधन

९—मूल अधिनियम के परिशिष्ट में, खंड (१) में, शब्द "बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संचालित रख दिये जायं।

केंद्रीकरण

१०—मूल अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सरकारी आदेश संख्या ४९२/५-९-१०२-७२, दिनांक ४ फरवरी, १९७५ के अनुसरण में होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश द्वारा मार्च, १९७५ में संचालित समस्त परीक्षाओं का विधि मान्य होना और सदैव रहना माना जायेगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९७४ होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के लिये एक संकाय संघटित करने और होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड को पुनर्गठित करने की व्यवस्था करने के लिये पारित किया गया था। कुछ मुकदमेबाजी के कारण संकाय को संघटित और बोर्ड को पुनर्गठित किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इसलिए उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम १९५१ को संशोधित करना आवश्यक समझा गया जिससे कि अन्तरिम अवधि में राज्य सरकार बोर्ड के सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट कर सके और बोर्ड यथाशीघ्र कार्य करना प्रारम्भ कर सके।

२—राज्य सरकार की जानकारी में यह बात भी लाई गई कि पर्याप्त निधि के अभाव में संकाय अपने कर्त्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन नहीं कर सकता। अतएव, यह व्यवस्था की जा रही है कि बोर्ड प्रतिवर्ष संकाय के हाथ में पर्याप्त निधि सौंपेगा।

३—अधिनियम में कतिपय अन्य छोटी-मोटी कमियों को दूर करने के लिये भी इस अवसर का लाभ उठाया जा रहा है।

४—उपर्युक्त प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

प्रभु नारायण सिंह,
स्वास्थ्य मंत्री।

नत्थी "ग"

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९५ पर)

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९७५

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, १९७३ का संशोधन करने के लिये ;

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९७३ की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, १९७३ की धारा ३ में, उपधारा (१) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात् :—

"(ख) उपर्युक्त प्रकार के प्रविष्ट विद्यार्थियों को राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सा कालेजों में प्रवेश पाने के लिये विशेष परीक्षा में बैठने के लिये तैयार करने के लिये उन्हें प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया जायगा, और ऐसा प्रशिक्षण देने तथा परीक्षा लेने म उपगत व्यय खंड (क) में अभिदिष्ट धन में से काट लिया जायगा, और कोई भी विद्यार्थी दिनांक ३१ मार्च, १९७६ को या उसके पूर्व अपने द्वारा भुगतान की गयी धनराशि के अतिशेष की वापसी के लिये निदेशक से आवेदन कर सकेगा, तथा निदेशक उसके ऐसे अंश को जो व्यय के बाद बची धनराशि से अनुपाततः उनके लिये उपलब्ध हो, लौटा सकेगा" ;।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा संस्था (निवारण) अधिनियम, १९७३ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९७३) की धारा ३ की उपधारा (१) (ख) में यह व्यवस्था है कि जो विद्यार्थी, दिनांक २४ नवम्बर, १९७२ के पूर्व खोले गये अप्राधिकृत चिकित्सा कालेजों में प्रविष्टि हुये हों और जिन्होंने किसी अभिदान, दान या फीस का भुगतान किया हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक मास के भीतर अपने द्वारा भुगतान की गयी धनराशि की वापसी के लिये निदेशक से आवेदन कर सकेंगे और निदेशक अपना यह समाधान हो जाने पर कि धनराशि का भुगतान उक्त प्रकार से किया गया था, उक्त प्रकार से भुगतान की गयी धनराशि को अथवा उसके ऐसे अंश को, जो व्यय के बाद बची धनराशि से अनुपाततः उसके लिये उपलब्ध हो, लौटा देगा, किन्तु सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज, वाराणसी के, जिस पर उक्त अधिनियम का प्रभाव पड़ा था, विद्यार्थी अपने द्वारा जमा की गयी धनराशि की वापसी के लिये, उच्च न्यायालय में रिट के विचाराधीन रहने तथा उस पर न्यायालयका रोधनादेश होने के कारण एक मास के नियत समय के भीतर आवेदन नहीं कर सके, इसलिये उक्त समय-सीमा को दिनांक ३१ मार्च, १९७६ तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि उपर्युक्त चिकित्सा कालेज के विद्यार्थियों के दावे तय किये जा सकें।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

प्रभु नारायण सिंह
स्वास्थ्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—एल० २०६ वि० सभा—(६५५)—१९७५—८४५।